प्रकाशन क्रमांक...

शासकीय उपयोग हेतु

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति का आधारभूत सर्वेक्षण प्रतिवेदन

निर्देशन
शम्मी आबिदी IAS

प्रतिवेदन
गुलाब राम पटेल
अंकिता कुंजाम
भूषण सिंह नेताम

सहयोग
मीना घनेलिया
निर्मल बघेल
अमर दास

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रकाशन क्रमांक...

शासकीय उपयोग हेतु

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति का आधारभूत सर्वेक्षण प्रतिवेदन

वर्ष - 2020

प्रतिवेदन
गुलाब राम पटेल
अंकिता कुंजाम
भूषण सिंह नेताम

निर्देशन
शम्मी आबिदी IAS

सहयोग
मीना घनेलिया
निर्मल बघेल
अमर दास

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय–सूची

अध्याय 1 – प्रस्तावना

अध्याय 2 – अध्ययन क्षेत्र एवं जनजाति परिचय

अध्याय 3 – जनजातीय परिचय

अध्याय 4 – सामाजिक–जनांकिकीय

- जिलावार परिवार संकेन्द्रण
- विकासखण्डवार संकेन्द्रण
- परिवार प्रकार
- जनसंख्या
- जिलेवार जनसंख्या संकेन्द्रण
- विकासखण्डवार जनसंख्या संकेन्द्रण
- ग्रामवार जनसंख्या संकेन्द्रण
- उम्र–समूह अनुसार जनसंख्या
- लिंगानुपात
- जिलेवार लिंगानुपात
- विकासखण्डवार लिंगानुपात
- जनसंख्या वृद्धिदर
- वैवाहिक स्थिति
- वैवाहिक उम्र
- धार्मिक आस्था
- सामाजिक नेतृत्व

अध्याय 5 – शैक्षणिक स्थिति

- अध्ययनरत् सदस्यों का विवरण
- अध्ययन समाप्त किये सदस्यों का विवरण
- कुल साक्षर सदस्य
- साक्षरता दर
- शालागामी उम्र–समूह में साक्षरता
- आंगनबाड़ी में अध्ययनरत् विद्यार्थी

अध्याय 6 – स्वास्थ्य स्थिति
अध्याय 7 – सामाजिक–आर्थिक स्थिति
आवास
आवास का प्रकार
कार्यशीलता
व्यावसायिक वर्गीकरण
रोजगार हेतु मानव दिवस
भूमिधारिता एवं भूमि प्रकार
स्वयं के आधिपत्य की भूमि
पशुधन
वृक्षों पर स्वामित्व
आय के स्रोत
कुल वार्षिक आय
कुल वार्षिक आय का वितरण
कुल वार्षिक व्यय
कुल वार्षिक व्यय का वितरण
ऋणग्रस्तता
वनोपज एवं कृषि उपजों का विनिमय
पलायन की स्थिति
अध्याय 8 – शासकीय योजनाओं से लाभान्वयन
अध्याय 9 – सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय 01
प्रस्तावना

विषय–प्रवेश

भारत के विभिन्न प्रदेशों में ग्रामीण तथा नगरीय अंचलों से दूर जंगलों, पहाड़ियों, तराईयों आदि क्षेत्रों में आदिम अवस्था में रहने वाले लोगों को अनुसूचित जनजाति सम्बोधित किया जाता है।

भारतीय जनजातियों को विद्वानों द्वारा अलग–अलग नामों से सम्बोधित किया गया है, जैसे– आदीवासी, पहाड़ी जनजातियां, जंगली निवासी, पिछड़ा हिन्दु, विलीन मानवता आदि। भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है जबकि वर्तमान में इनको आदिवासी वन्यजाति, अरण्यवासी, गिरीजन आदि अनेक नामों से जाना जाता है।

मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, पुरात्वविद् एवं इतिहासकार इन्हें पाषाण युगीन मानव सभ्यता तथा ग्रामीण सभयता के बीच की कड़ी मानते है। अर्थात् विकसित मानव समाज के पूर्वज प्रागैतिहासिक पाषाण कालीन सभ्यता के पश्चात् आदिवासी सभ्यता से गुजरते हुये क्रमशः ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक एवं पाश्चात्य की ओर विकसित हुये है।

इन समूहों के अपने निश्चित **निवास क्षेत्र, एक बोली, प्रकृति पूजक एवं स्वयं के देवी–देवता, सामान्य संस्कृति, राजनैतिक संगठन, वधूमूल्य प्रथा, वन आधारित अर्थवव्यस्था**एवं **संस्कृति** आदि के साथ विशिष्टता लिये हुये होते है।

अन्य समुदायों से पृथक्कीय जीवन–शैली आदि के कारण यह समुदाय अन्य वर्गों की तुलना में आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुये है। स्वतंत्र भारत में भारत का संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत् ऐसे समुदायों को विशिष्ट जनजातीय लक्षणों के आधार पर चिन्हित करते हुये अनुसूचित (सूचीबद्ध) करते हुए ''अनुसूचित जनजाति'' के रूप में मान्यता दी गई है।

भारतीय संविधान के तहत् सर्वप्रथम 06.09.1950 को अनुसूचित जनजाति की सूची जारी की गई। यह सूची पृथक राज्यों के लिये पृथक–पृथक जारी की जाती है, संविधान के अनुच्छेद 342 में भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है; कि वह किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में अधिसूचित कर सकते है।

भारतीय संविधान के भाग–4 के अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति तथा सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा के लिये विभिन्नउपबंधों के तहत् संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Safeguard) किये गये हैं।

उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों के तहत् समस्त राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही है जिससे उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने प्रयासरत् है।

भारत की जनगणना 2011 अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य में भारत की जनगणना 2011 अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या का 30.62 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों का है। भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत् छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में 42 जनजातीय समूह को अनुसूचित किया गया है।

राज्य में जनगणना 2011 अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 7822902 (पु. 3873191, म. 3949711) है जिसमें 07.56 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवासरत् है, शेष 92.44 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत् है।

शैक्षणिक स्थिति के संदर्भ में जनगणना 2011 अनुसार राज्य अनुसूचित जनजाति जनंसख्या में साक्षरता की दर 50.03 प्रतिशत (पुरूष साक्षरता 58.85 प्रतिशत एवं स्त्री साक्षरता 41.38 प्रतिशत है। राज्य की कुल साक्षरता दर 60.21 प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 10.18 प्रतिशत कम है।

विशेष पिछड़ी जनजातियां

भारत के वनांचलों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न जनजातीय समूह निवास करते है ये समूह मानव सभ्यता के विकास के दृष्टिकोण से अत्यंत पिछड़े हुये हैं तथा अभी भी आरंभिक या आदिम अवस्था (Primitive Stage) में है। पश्चात् भी अपनी नैतिक सांस्कृतिक विशेषताओं को नष्ट नहीं होने दिये है।

स्वतंत्रता के लगभग 25 वर्ष पश्चात् भारत सरकार द्वारा आदिवासी विकास की दशा एवं दिशा के संबंध में समीक्षा करने पर यह पाया कि अनुसूचित जनजातियों में से कुछ अनुसूचित

जनजातियां जो उस समूह के सबसे अंतिम छोर पर है जिन्हें अनुसूचित जनजातियों हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है अथवा वे लाभ नहीं ले रहे थे, उनके लिये पृथक से कार्य योजना निर्माण का निर्णय लिया गया है। जैसे एक ही परिवार के सभी बच्चों अथवा संतानों का बौद्धिक एवं शारीरिक विकास एक सा नहीं हो पाता है या कोई संतान अन्य की अपेक्षा शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कम वृद्धि करता है, तो चिकित्सक द्वारा उसे अतिरिक्त देख–रेख के साथ–साथ विशेष पोषण की सलाह दी जाती है, उसी प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय जनजातियों हेतु किये गये समग्र विकास की समीक्षा उपरांत अनुसूचित जनजाति में से कुछ समुदाय जो अपेक्षाकृत कम विकसित हुये या योजनाओं का लाभ विभिन्न कारणों से नहीं प्राप्त कर रहे थे, के विशेष क्रियान्वयन पर बल दिया गया। वर्ष 1973 में **''ढेबर कमीशन''** द्वारा जनजातीय समूहों में से सर्वाधिक कम विकसित समुदायों के लिये पृथक से आदिम जनजाति समूह (Primitive Stage Groups) नाम से पृथक श्रेणी का गठन किया गया।

भारत सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जनजातियों में से कुछ निश्चित समुदायों को उनके निम्न साक्षरता दर (Low Literacy Level), कम होती जनसंख्या या स्थिर जनसंख्या (Declining of Population or sfagr Population) प्राक कृषि पद्धति (Preagriculture Techniques) एवं आर्थिक रूप से पिछड़ापन (Economically Backward ness) आदि मापदंडों के आधार पर चिन्हित कर वर्ष 1975 में सर्वप्रथम 52 अनुसूचित जनजातियों को एवं तत्पश्चात् 1993 में 23 अनुसूचित जनजातियों अर्थात् कुल 75 अनुसूचित जनजातियों को आदिम जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) में सूचीबद्ध करते हुये अनुसूचित जनजातियों के लिये चलायी जा रही विकासोन्मुखी योजनाओं के अतिरिक्त पृथक से योजनाएं संचालित किये जाने का प्रावधान किया गया।

देश के विभिन्न राज्यों हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित आदिम जनजातियों की सूची निम्नांकित हैः–

क्र.	राज्य	संख्या	आदिम जनजातियां
1.	आंध्रप्रदेश	12	बोडो गदबा, बोंडो पोरजा, चेंचू, डोंगरिया, खोंड़स, गुटीव गदबा खोंड पोरजा, कोलम, कोंडा रेड्डीज, कोंडा संवरा, कुटिया कोंध, परांगी परजा धोटी
2.	बिहार (झाारखंड सहित)	09	असुर, बिरहोर, बिरजिया, हिल खरिया, कोरबा, माल पहारिया, पहारियास, सौरिया पहारिया, सवर
3.	गुजरात	05	काधोड़ी, कोटवालिया, पढार, सिद्दी, कोलधा
4	कर्नाटक	02	जेनू कुऊबा, कोरगा

5.	केरल	05	चोलानायकन (कट्टूनायकन का एक वर्ग), कादर, कट्टूनायकन, कुऊम्बा, कोरगा)
6.	मध्यप्रदेश (छ.ग. सहित)	07	अबूझ मारिया, बैगा, भारिया, हिल–कोरवा, कमार, सहरिया, बिरहोर
7.	महाराष्ट्र	03	काटकरी (काधोड़िया), कोलम, मारिया गोंड
8.	मणिपुर	01	मरम नागा
9.	उड़ीसा	14	बिरहोर, बोन्डो, डीडाथी, डोंडारिया खोंद जुआंग, खरिया, कुटिया कोंध, लांजा, सौरा, कोधा, मांकडिया, पौडी, भुंइया, सौरा, चुकटियां भुंजिया
10.	राजस्थान	01	सहारिया
11.	तमिलनाडू	06	कट्टू नाइकन, कोटा, कुऊम्बा ईरूला, पनियान, रोड
12.	त्रिपुरा	01	श्रेंगस
13.	उत्तरप्रदेश	02	बुइसा, राजी
14.	पश्चिम बंगाल	03	बिरहोर, लोधा, टोटा
15.	अंडमान एवं निकोबार आईलैंड	05	ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगे सेटेनेलिस, शाम्पेन्स

उपरोक्त छत्तीसगढ़ राज्य की कुल 42 अनुसूचित जनजाति में से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार कमार, बिरहोर, अबूझमाड़िया, हिल, या पहाड़ी कोरबा एवं बैगा अनुसूचित जनजातियों को आदिम जनजाति (Tribal Groups) समूह घोषित किया गया है।

वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा उक्त आदिम जनजाति समूह (PTG) शब्द के स्थान पर Primitive Vulnarable Tribal Groups (PVTGs) शब्द को मान्यता प्रदान की है।

क्र.	PVTGS का नाम	निवासरत् जिले
1.	कमार	गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, कांकेर
2.	अबूझमाड़िया	नारायणपुर
3.	पहाड़ी कोरबा	कोरबा, जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर
4.	बिरहोर	बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जशपुर
5.	बैगा	कबीरधाम, कोरिया, बिलासपुर, मुंगेली, राजनांदगांव

भारत सरकार द्वारा उपरोक्त विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु राज्य सरकारों को विशेष अभिकरण गठित करने का सुझाव दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य हेतु घोषित 5 पिछड़ी जनजातियों हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नानुसार विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण अथवा प्रकोष्ठों का गठन किया गया है–

क्र.	विशेष पिछड़ी जनजाति का नाम	अभिकरण/प्रकोष्ठ का स्थान
1.	कमार	▪ विशेष पिछड़ी जनजाति कमार विकास अभिकरण, गरियाबंद ▪ विशेष पिछड़ी जनजाति कमार प्रकोष्ठ, नगरी (धमतरी) ▪ विशेष पिछड़ी जनजाति कमार प्रकोष्ठ, महासमुद ▪ विशेष पिछड़ी जनजाति कमार प्रकोष्ठ, भानुप्रताप (जिला–कांकेर)
2.	बैगा	▪ विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण, कबीमरधाम ▪ विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण, बिलासुपर ▪ विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा प्रकोष्ठ, कोरिया ▪ विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा प्रकोष्ठ, राजनांदगांव ▪ विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा प्रकोष्ठ, मुंगेली
3.	पहाड़ी कोरबा	▪ विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण, अंबिकापुर, सरगुजा ▪ विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण, जशपुर ▪ विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा विकास प्रकोष्ठ, कोरबा ▪ विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा विकास प्रकोष्ठ, बलरामपुर
4.	बिरहोर	▪ विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर विकास अभिकरण, जशपुर ▪ विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर प्रकोष्ठ, धरमजयगढ (जिला–रायगढ़)
5.	अबूझमाड़िया	▪ विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया विकास अभिकरण, नारायणपुर

उपरोक्तानुसार यह अध्ययन प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के आधारभूत सर्वेक्षण पर आधारित है।

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर द्वारा वर्ष 2015–16 की वार्षिक कार्य योजना प्रस्ताव में राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों के आधारभूत सर्वेक्षण हेतु प्रस्तावित किया गया। भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के शत–प्रतिशत् वित्तीय अनुदान से उक्त कार्य संपादित किया गया।

अध्ययन प्रविधियां

आधारभूत सर्वेक्षण राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों के समस्त परिवारों का किया जाना था अतः बैगा जनजाति के अध्ययन हेतु भी **''जनगणना पद्धति'' (Census method)** अर्थात् शत–प्रतिशत् परिवारों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया।

आंकड़ों/तथ्यों के एकत्रीकरण में प्राथमिक तथ्य संकलन (Primitive Data Collection) हेतु पूर्व में भारत सरकार से प्राप्त अनुसूची (Seheduled) के माध्यम से प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर जानकारी प्राप्त की गई।

द्वितीयक तथ्य संकलन (Secondary Data Collection) पूर्व सर्वेक्षण ग्रामवारी सूची, जनगणना प्रतिवेदन, पूर्व प्रकाशित पुस्तकें एवं प्रतिवेदन आदि का सहयोग लिया गया।

प्राप्त आंकड़ों की कम्प्यूटर एंट्री पश्चात् प्राप्त आंकड़ों निष्कर्षों के साथ सारणीयन (Tabulation) का कार्यकर व्याख्या करते हुये प्रतिवेदन लेखन का कार्य किया गया।

अध्ययन का उद्देश्य

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के आधारभूत सर्वेक्षण का उद्देश्य निम्नांकित है–

1. बैगा जनजाति की जनांकिकीय स्थिति का अध्ययन करना।
2. बैगा जनजाति की सामाजिक–आर्थिक स्थिति ज्ञात करना।
3. बैगा जनजाति की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना।
4. बैगा जनजाति में विकासीय योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करना आदि है।

अध्ययन का महत्व

उक्त आधारभूत सर्वेक्षण से प्राप्त जिलावार, विकासखंडवार, ग्रामवार परिवारों की संख्या, जनसंख्या, आवास, प्रकार, आय–व्यय के स्त्रोत एवं आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति आदि के प्राप्त निष्कर्षों से इन समुदायों के लिये संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं भविष्य की योजना निर्माण में यह अध्ययन सहायक होगा।

==0==

अध्याय 02

अध्ययन क्षेत्र एवं जनजाति परिचय

छत्तीसगढ़ में बैगा आदिम जनजाति समूह बिलासपुर, मुंगेली,कबीरधाम, कोरिया एवं राजनांदगांव जिले में निवासरत है। अतः सर्वेक्षण का कार्य उक्त 05 जिलों में किया गया है। अध्ययन क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय निम्नांकित है :–

बिलासपुर जिला

छत्तीसगढ़ का घनी आबादी वाला उत्तर–मध्य भाग इस जिले के अंतर्गत आता है। यह जिला $21^0 47'$ तथा $23^0 8'$ उत्तरी अक्षांश और $81^0 14'$ तथा $83^0 15'$ पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। बिलासपुर जिले का कुल क्षेत्रफल 8271 वर्ग किमी. है।यह जिला उत्तर में मध्यप्रदेश राज्य के शहडोल तथा छत्तीसगढ राज्य के सरगुजा, दक्षिण में दुर्ग और रायपुर, पूर्व में रायगढ़ और पश्चिम में डिंडोरी तथा कवर्धा जिला से घिरा हुआ है।

इस जिले का नाम मुख्यालय नगर बिलासपुर के नाम पर पड़ा है।यह कहा जाता है कि इस नगर की स्थापना लगभग 400 वर्ष पूर्व **"बिलासा"** नामक एक केंवटिन मछुआरिन द्वारा की गई थी, जिसके आधार पर यह नाम पड़ा है।

यह जिला छत्तीसगढ़ राज्य के मैदान तथा उत्तरी पठार और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं उत्तर–पश्चिमी भाग में पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की मैकलपर्वत श्रेणी तथा उत्तर और उत्तर–पूर्व में छोटा नागपुर पठार की है। जिले की मुख्य नदियों में शिवनाथ, मनियारी, अरपा, खारंग,आगर एवं छोटी नर्मदा है। पठार का उत्तरी भाग अधिकांशतः ऊंचा–नीचा तथा खुला है किंतु इसकी मिट्टी घटिया बलुई है। जिले का मध्य एवं दक्षिणी भाग मैदानी है। इस जिले की मृदा काली मिट्टी है, जिसे कन्हार, मटासी व डोरसा में बाटा जा सकता है। इसके अतिरिक्त लेटराइट व जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। यहॉ मुख्य रूप से चावल, गेंहू, चना, तिवडा, मूंगफल्ली, आदि की कृषि की जाती है।

बिलासपुर वन मण्डल के वनों को मोटे तौर पर साल और मिश्रित वनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इन वनों में मुख्य रूप से साल, बीजा, तेंदु, महुॅआ, चिरौंजी, धावड़ा, बांस, कहुआ, कल्मी या हल्दू, मुरही, आम, जामुन, कर्रा, तिंसा, भिर्रा व खम्हार आदि वृक्ष पाये जाते हैं। तेंदु, महुॅआ, चिरौंजी, जामुन, शहद आदि प्रमुख वनोपज है।

वन्य प्राणियों के अंतर्गत बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, वन बिलाव, नेवला, लकड़बग्घा, भेड़िया, गीदड़, सोनकुत्ता, लोमड़ी, जंगली हाथी, लंगूर, लाल मुंह वाला बंदर, हिरण, नील गाय, सांभर, चीतल, बारहसिंगा व जंगली सुअर आदि पाये जाते है। जिले के अंतर्गत अचानकमार, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र आता है,जो कि टाईगर रिजर्व में शामिल है,जहॉ सर्वाधिक मात्रा में बाघ पाये जाते हैं।

जिले की जलवायु गर्म और शुष्क, ग्रीष्म ऋतु वाली है तथा मानसूनी हवाओं से जुलाई अगस्त माह में अच्छी वर्षा होती है।

छत्तीसगढ़ राज्य का खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत में महत्वपूर्ण स्थान है। बिलासपुर जिले में चूना पत्थर एवं डोलोमाइट के भंडार है। बिलासपुर के चिल्हाटी में चूना पत्थर तथा हिर्री, बेलपान और धूमा में डेलोमाइट पाया जाता है

जनगणना 2011 के अनुसार बिलासपुर जिले में कुल जनसंख्या 2663629 है जिसमें 1351574 पुरूष एवं 1312055 महिला जनसंख्या है। महिला पुरूष लिंगानुपात 969 है,जो राज्य के लिंगानुपात 991 की तुलना में कम है।

जिले की कुल जनसंख्या का 25.41 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का है,जहॉ अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 498469 है,जिसमें पुरूष जनसंख्या 248172 एवं महिला जनसंख्या 250297 है। जिले का महिला पुरूष लिंगानुपात (969) की तुलना में अनुसूचित जनजाति का महिला पुरूष लिंगानुपात (1009) अधिक है।

जिले की कुल साक्षरता दर 70.78 प्रतिशत है। वही जिले की अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर 61.68 प्रतिशत है।

कबीरधाम (कर्वधा) जिला

यह जिला $21^0$32′ से $21^0$35′ उत्तरी अंक्षाश तथा $80^0$48′ से $80^0$28′ पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1925 वर्ग कि.मी. है। कबीरधाम जिले का मुख्यालय कवर्धा है। तेरहवी–चौदहवी शताब्दी में कवर्धा क्षेत्र में नागवंश का शासन था, जो फणिनागवंश के नाम से प्रख्यात था। कवर्धा से लगभग 16 कि.मी. की दूरी पर स्थित मड़वा महल एवं भोरमदेव नामक मंदिर से विक्रम संवत् 1406 अर्थात् 1349 ई. का एक शिलालेख मिला है। भोरमदेव छत्तीसगढ़ को नागवंशी राजाओं की एक महत्वूपूर्ण देन है जो 9वीं–10वी शताब्दी में निर्मित

खुजराहों के मंदिरों से प्रेरित चंदेल शैली में निर्मित वास्तुकला का उदाहरण हैं ब्रिटिश शासन काल में कवर्धा एक रियासत थी।

यह जिला छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर–पश्चिम भाग में स्थित है। इसके उत्तर में जिला बिलासपुर तथा मध्यप्रदेश राज्य का डिंडौरी जिला, पश्चिम में मध्यप्रदेश राज्य का जिला बालाघाट,एवं पूर्व में जिला बिलासपुर एवं दुर्ग तथा दक्षिण दिशा में जिला राजनांदगांव है।

छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने के पूर्व कबीरधाम जिला कवर्धा राजस्व अनुभाग के नाम से जाना–पहचाना जाता था। जिले का गठन, मध्यप्रदेश राज्य के 16 जिलों की गठन की शासन की स्वीकृति की श्रृंखला में वर्ष 1998 में हुआ। पूर्व में यह जिला राजनांदगांव एवं बिलासपुर में शामिल था।

छत्तीसगढ़ राज्य भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ का मैदान एवं पठारी क्षेत्र में विभाजित किया गया है। जिला कवर्धा का उत्तर–पश्चिम भाग पठारी क्षेत्र में तथा दक्षिण–पूर्वी भाग मैदानी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत है।जिले की प्रमुख नदियों में संकरी एवं बंजर नदी प्रमुख है।यहां लैटेराइट मिट्टी, लाल–पीली मिट्टी तथा जिले के पश्चिम भाग में काली मिट्टी पायी जाती है। जिले की मुख्य फसल धान है अन्य मुख्य फसलें तुअर, चना, गन्ना एवं सोयाबीन है। यह जिला प्रदेश के वृष्टि छाया क्षेत्रों में से एक है। जिले की जलवायु मानसूनी है। जिसके कारण जिले में अन्य की अपेक्षा कम वर्षा होती है।

छत्तीसगढ़ अंचल में जिला कवर्धा वन संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साल एवं सागौन जिले की प्रमुख वृक्ष प्रजातियॉ है। लघु वनोपज में बांस, तेदूपत्ता, महुआ, चिरौजी आदि है। कवर्धा जिला का भोरमदेव अभ्यारण्य राज्य के 11 अभ्यारण्यों में से एक है। यह 163.80 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैला है। अभ्यारण्य में बाध, तेदुआ, सांभर, नीलगाय आदि वन्य पशु जाये जाते है।

छतीसगढ़ राज्य खनिज संसाधन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। जिला कवर्धा में भी अनेक प्रकार के खनिज भण्डार है। यहॉ चूना पत्थर, बॉक्साइट एवं लोहा के निक्षेप है। कबीरधाम के रणजीतपुर में चुना पत्थर,बोरई दलदली में बॉक्साइट तथा एकलामा, चेलिकलामा में लौह अयस्क पाया जाता है।

जनगणना 2011 के अनुसार कबीरधाम जिले में कुल जनसंख्या 822526है जिसमें 412058 पुरूष एवं 410468 महिला जनसंख्या है। महिला पुरूष लिंगानुपात 997 है,जो राज्य के लिंगानुपात 991 की तुलना में अधिक है।

जिले की कुल जनसंख्या का 25.41 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का है,जहॉ अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 167043 है, जिसमें पुरूष जनसंख्या 82597 एवं महिला जनसंख्या 84446 है। जिले का महिला पुरूष लिंगानुपात 997 है जो जिले की अनुसूचित जनजाति का महिला पुरूष लिंगानुपात 1022 से कम है।

जिले की कुल साक्षरता दर 60.85 प्रतिशत है। वही जिले की अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर 52.82 प्रतिशत है।

कोरिया जिला

कोरिया जिले का क्षेत्रफल 5977.70 वर्ग कि.मी. है। कोरिया जिले में 5 विकासखंड बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ़, सोनहत, भरतपुर तथा खड़गवां है। संपूर्ण जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। कोरिया जिला छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में स्थित है। इसके पूर्व में सूरजपुर जिला, उत्तर में मध्यप्रदेश का सीधी जिला, दक्षिण में बिलासपुर (गौरेला पेंड्र मरवाही) एवं कोरबा जिला तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश का शहडोल जिला स्थित है।

इस जिले का गठन 1998 में किया गया। इसके पूर्व यह जिला सरगुजा जिले का विस्तृत क्षेत्र होने के कारण विकास की मुख्य धारा से पिछड़ा जा रहा था, अतः इसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कोरिया जिले का गठन किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य को भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ का मैदान एवं पठारी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जिला कोरिया पठारी क्षेत्र में स्थित है। यह भाग जंगलों तथा छोटी–छोटी पहड़ियों से भरा पड़ा है। देवगढ़ पहाड़ियों के दक्षिण में तथा सरगुजा बेसिन के पश्चिम में एक पठार का भाग प्रतीत होता है। यह सरगुजा बेसिन के अंतर्गत है। कर्क रेखा इस जिले की मध्य से गुजरती है। जिले की नदियों में हसदेव नदी, बनास नदी, गोपद नदी तथा केवई नदी प्रमुख है।

इस क्षेत्र में मुख्यतः लाल–पीली मिट्टी पाई जाती है। कोरिया जिले की प्रमुख फसल धान है। धान के अतिरिक्त मक्का, गेहूँ आदि फसल उगाई जाती है।

इस जिले के मध्य से कर्क रेखा के गुजरने के कारण यहां की जलवायु मानसूनी है। यहा गर्मी उष्णार्द्र एवं शीत ऋतु में अधिक ठंड होती है।

कोरिया जिले में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वन पाये जाते है। इन वन क्षेत्रों में साल, साजा, धवड़ा, वीजा आदि बहुमूल्य इमारती एवं अन्य जलाऊ लकड़ी के वृक्ष है। वनोपज के रूप में तेंदूपत्ता, हर्रा, बहेरा, महुआ, चार, आंवला आदि पाये जाते हैं। गुरूघासीदास वन अभ्यारण्य का कुछ क्षेत्र इस जिले के अंतर्गत आता है। इस अभ्यारण्य में बाघ, तेंदुआ, गौर, नीलगाय, चीतल, सांभर आदि वन्य पशु जाये जाते है।

कोरिया जिले में प्रमुख रूप से कोयला पाया जाता है एवं खनिज फायरक्ले अल्प मात्रा में पाया जाता है, जो सिरेमिक उद्योग में काम आता है। चिरमिरी क्षेत्र, भरतपुर, जनकपुर , सोनहट,चरचा में कोयले का विशाल भण्डार है।

जनगणना 2011 के अनुसार कोरिया जिले की कुल जनसंख्या 658917 है जिसमें 334737 पुरूष एवं 324180 महिला जनसंख्या है। महिला पुरूष लिंगानुपात 968 है, जो राज्य के लिंगानुपात 991 की तुलना में कम है।

जिले की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 304280 है, जिसमें पुरूष जनसंख्या 152659 एवं महिला जनसंख्या 151621 है। जिले का महिला पुरूष लिंगानुपात 968 है जो जिले के अनुसूचित जनजाति महिला पुरूष लिंगानुपात 993 से कम है।

जिले की कुल साक्षरता दर 70.64 प्रतिशत है। वही जिले में अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर 62.60 प्रतिशत है।

राजनांदगांव जिला

राजनांदगांव जिला $20^0 70'$ से $22^0 29'$ उत्तरी अक्षांश तथा $80^0 23'$ से $81^0 29'$ पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राजनांदगांव जिल का निर्माण 26 जनवरी 1973 को हुआ एवं 2 जुलाई 1998 को पुर्नगठन हुआ जिसमें जिले के कवर्धा राजस्व अनुभाग को पृथक कर नया जिला कबीरधाम बनाया गया। जिले का कुल क्षेत्रफल 8022.52 वर्ग किमी. है।

जिला राजनांदगांव प्रागैतिहासिक काल से आबाद रहा है, राजनांदगांव जिले के चितवा डोंगरी में नव पाषाण काल के औजार एवं उपकरण प्राप्त हुए है। ब्रिटिश शासन काल में

राजनांदगांव खैरागढ़, छुईखदान एवं कवर्धा आदि रियासतें थी। 1 नवंबर 1956 को भाषायी आधार पर नये मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। इसमें सूंपूर्ण छत्तीसगढ़ अंचल (दुर्ग जिला जिसमें राजनांदगांव सहित) शामिल था। 1973 में इसे पृथक जिला बनाया गया। मई वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश में 16 छोटे जिलों के निर्माण प्रक्रिया मे तहत् वर्तमान राजनांदगांव विभाजित जिला बनाया गया जो वर्ष 2000 में गठित नये राज्य छत्तीसगढ़ में अपरिवर्तित रूप से समाविष्ट है।

राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य पश्चिम में स्थित है। इसके उत्तर में जिला कवर्धा पूर्व में जिला दुर्ग एवं बालोद व दक्षिण में जिला कांकेर जिले की सीमायें हैं। पश्चिम दिशा में महाराष्ट्र राज्य का भण्डारा जिला है।

जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में स्थित है। जिले में मैकल श्रेणी पश्चिम सीमांत क्षेत्र में डोंगरगढ़, खैरागढ़ एवं छुईखदान तहसीलों के पश्चिमी हिस्सों में स्थित है। जिले की सीमांत उच्च भूमि जिले की अंबागढ़ चौकी मोहला (उत्तरी भाग) तहसील में स्थित है। राजनांदगांव जिले की प्रमुख नदी शिवनाथ नदी है। जिसका उद्गम राजनांदगांव जिला के अंबागढ़ चौकी के पानाबरस पहाड़ी से हुआ है। जो दक्षिण पूर्व से उत्तर–पूर्व की ओर बहती हुई महानदी में मिलती है। जिले की अन्य प्रमुख नदियों में कोटरी एवं बाघ नदी है। क्षेत्र में अधिकांशतः लाल–पीली मिट्टी पायी जाती है।

जिले की मुख्य फसल धान है। इसके अतिरिक्त गेंहू, तुअर, अरहर की पैदावार मे राजनांदगांव अग्रणी जिला है। सोयाबीन, चना, अलसी, कपास आदि की भी पैदावार पर्याप्त मात्रा में होती है।

राजनांदगांव जिला साल तथा सागौन बहुमूल्य प्रजातियों के वृक्षों से आच्छादित है। यहां नर बांरू, लाठी बांरू, तेंदूपत्ता, महुआ, लाख, आंवला, तेंदू, हर्रा आदि वनोपज वृक्ष पाये जाते हैं।

राजनांदगांव जिला सहित सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ (बस्तर के लौह खनिज श्रृंखलाओं को छोड़कर) एक तरह से चूने के बड़ी–सी चट्टान पर बसा है। जिले में चूना पत्थर, यूरेनियम, सोना, फ्लोराईड आदि के निक्षेप हैं। जिले के भंडारीटोला में यूरेनियम के भंडार, टप्पा क्षेत्र में सोने के भण्डार तथा चांदी डोंगरी में फ्लोराईड के भंडार, बोरियाटिब्बू क्षेत्र में लौह अयस्क तथा अमलीडीह एवं बोरतलाब में क्वार्टजाईट के भंडार उपलब्ध हैं।

जनगणना 2011 के अनुसार राजनांदगांव जिले की कुल जनसंख्या 1537133 है। जिसमें 762855 पुरूष एवं 774278 महिला जनसंख्या है। जिले की महिला पुरूष लिंगानुपात 1015 है, जो राज्य के लिंगानुपात 991 की तुलना में अधिक है।

जिले की कुल जनसंख्या का 25.41 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का है, जहॉ अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 405194 है,जिसमें पुरूष जनसंख्या 198032 एवं महिला जनसंख्या 207162 है। जिले का महिला पुरूष लिंगानुपात 1015 की तुलना में अनुसूचित जनजाति का महिला पुरूष लिंगानुपात 1046 अधिक है।

जिले की कुल साक्षरता दर 75.96 प्रतिशत है। वही जिले में अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर 72.51 प्रतिशत है।

==0==

अध्याय 03
जनजातीय परिचय

भारत के विभिन्न प्रदेशों में जनजातियां निवास करती है। भारत की जनजातियां विभिन्न क्षेत्रों में रहते हुए अपनी संस्कृति के माध्यम से भारतीय संस्कृति को एक विशिष्ट रूप देने में योगदान करती है।

भारत सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत् छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में 42 जनजातीय समुदायों एवं उसकी उपजातियों को अधिसूचित किया गया है, जिसमें अनुक्रमांक 03 पर शामिल बैगा अनुसूचित जनजाति को भारत सरकार द्वारा विशिष्ट मापदंडों के आधार पर विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है।

छत्तीसगढ़ में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा की वर्तमान सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का पुनर्रावलोकन निम्नांकित बिन्दुओं में दर्शाने प्रयास किया गया है, हालांकि शासन द्वारा संचालित विभिन्न विकास मूलक योजनाओं का प्रभाव भी परिलक्षित होता है किंतु आज भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से इस समुदाय में मौलिकता दिखाई देती है।

सामान्य वर्गीकरण

छत्तीसगढ़ में बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर मध्य आदिवासी क्षेत्र के अर्न्तगत आती है, जो कबीरधाम, कोरिया, बिलासपुर, राजनांदगांव एवं मुंगेली जिलें में पायी जाती हैं।

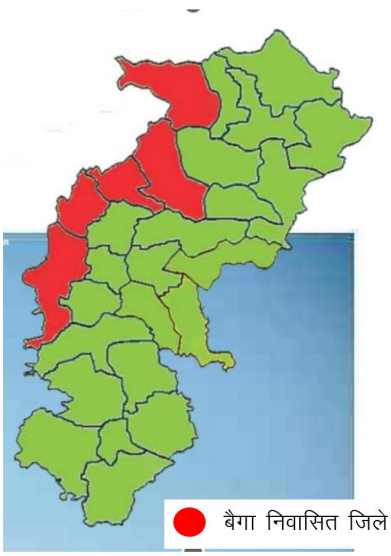

जनसंख्यात्मक दृष्टिकोण से बैगा छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों में सर्वाधिक आबादी वाली जनजातीय समुदाय है।

उत्पत्ति

बैगा जनजाति देश के सबसे प्राचीन आदिवासी समूहों में से एक है। बैगा जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।

किवंदन्तियों के अनुसार ब्रम्हाजी ने सृष्टि की रचना की तब दो व्यक्तियों को धरती पर उतारा उनमें से एक को ब्रम्हाजी ने एक हल पकड़ाया तो वह खेती करने लगा अतएव गोंड कहलाया। दूसरे व्यक्ति को ब्रम्हाजी ने टंगिया (कुल्हाड़ी) पकड़ाया तो वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर लकड़ी काटने चला गया, चूंकि उस समय वस्त्र नहीं था इसलिये यह नंगा बैगा कहलाया। इन्हीं के वंशज बैगा जनजाति कहलाते हैं।

भौतिक संस्कृति

मानव द्वारा अपनी आजीविका संचालन अथवा निर्वाह हेतु भौतिक संसाधनों से निर्मित की गई वस्तुओं का संग्रह ही भौतिक–संस्कृति (Material Culture) कहलाता है।

बैगा जनजाति घने जंगलों एवं दुर्गम पहाड़ियों, घाटियों में निवास करते है। पूर्व में बैगा जनजाति एक ही स्थान पर स्थायी रूप से निवास नही करते थे, परंतु अब बैगा जनजाति एक ही स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगे है एवं स्थायी कृषि भी करते है।

बैगा जनजाति के घर जंगल में आसानी से प्राप्त लकड़ी **घास–फूस** एवं **मिट्टी** से बने होते है, प्रायः एक या दो तीन कमरों के होते है, अनाज रखने **कोठी, धान कुटने मुसल, बाहाना, जांता,** बैठने अथवा **सोने चाप/चटाई,** वनोपज संकलन एवं संग्रहण हेतु बांस से निर्मित **टोकरी, सूपा,** शिकार उपकरणों में **तीर धनुष, कुल्हाड़ी (टंगिया) गुलेल** व मछली पकड़ने **जाल** एवं भोजन **पकाने मिट्टी, एल्युमिनियम, पीतल** के बर्तन आदि दिखाई देते है।

पुरूष छोटी धोती या पंछा पहनते है तो बैगा स्त्रियां सफेद **लुगड़ा** घूटने तक पहनती है। स्त्रियों के श्रृंगार में कमर में **करधन**, गले में चांदी का **रूपया माला**, **बिरनमाला, सुतिया**, हाथ में कांच की चुड़िया कलाई में **ऐठी,** नाक में **लौंग, फूली** कान में **खिनवा, कर्णफूल** आदि पहनी है। बैगा महिलाएं आभूषण के साथ–साथ गोदना भी गुदवाती है। इनकी संस्कृति में गोदना का अत्याधिक महत्व है। स्त्रियां शरीर के विभिन्न हिस्से में गोदना गुदवाती है।

कृषि उपकरणों में **नागर, कुदाली, गैंती, दाती, बसुला, हसिया, साबर, बिधना, छौवा (टोकरा), टांगा (कुल्हाड़ी)** प्रमुख है, शिकार उपकरणों में **धनुष, गुलेल,** मत्साखेट में प्रमुख **बीसरा, खमोरिया, मोराई, गरी, चोरिया** आदि हैं।

संगीत उपकरणों में **मांदर, ढोल, नगाड़ा, टिमकी** आदि हैं। जिसे धार्मिक उत्सवों, त्यौहारों, विवाह, फागुन आदि अवसरों पर बजाया जाता है।

जीवन चक्र (Life Cycle)

जन्म संस्कार

बैगा जनजाति में स्त्री के रजस्वाला होने को मुरमैली होना कहा जाता है, सामान्यतः 12–13 वर्ष की अवस्था में बालिकाओं में ऋतुस्त्राव प्रारंभ हो जाता है। सामान्य शब्दों में बैगा समुदाय में स्त्रियों का मासिक धर्म रूकने को गर्भावस्था का प्रारंभ मान लिया जाता हैं। गर्भवती बैगिन (बैगा जनजाति की स्त्री) घर, खेत और जंगल का कार्य अनवरत करती है। गर्भावस्था में अनेक निषेधों (Toboos) पेड़ पर चढ़ना मिट्टी उठाना आदि का पालन करना पड़ता है। प्रसव के समय महिला को माई बेला (बेल) की जड़ चबाने के लिए दिया जाता है, ऐसी मान्यता है कि इससे प्रसव आसानी से हो जाता है। महिला का प्रसव दाई या घर/गांव की बुजुर्ग महिलायें करवाती है। बच्चे के जन्म के बाद दाई गर्मनाल या नरा को **बांस की पतली खपच्ची (लकड़ी)** काट कर प्रसूता कक्ष में गाड़ देती है। वर्तमान में नाल को काटने के लिए **छूरे** या **ब्लेड** का उपयोग होता है। इसके पश्चात् शिशु को सुपा में सुला दिया जाता है। जिसमें पहले से कोदो या कुटकी के कुछ दाने रखे रहते है। कुछ समय पश्चात् शिशु को गर्म पानी से नहलाया जात है। 2–5 घंटे के पश्चात् शिशु को दुध पिलाती है। शिशु के जन्म के **छठे दिन षष्ठी (छठी)** मनाया जाता है। सगे–संबंधी को **महुआ शराब**, **मुर्गा, भात** आदि भोज देकर खुशियां मनायी जाती है। संतान होने पर स्त्री (प्रसूता) को कुछ निषेधों का पालन करना होता है, इनमें संतानों में (लड़का–लड़की) में कोई भेद नहीं मानते।

विवाह संस्कार

बैगा जनजाति में सामान्यतः विवाह हेतु लड़कों की उम्र 16–18 वर्ष तथा लड़कियों की 14–16 वर्ष माना जाता है। बैगा जनजाति बर्हिविवाही गोत्र वाला समुदाय है। इनमें **ममेरे फुफेरे संतान विवाह (Cross Causin Marrige), लमसेना (सेवा विवाह), सहयलायन विवाह, घूसपैठ, गुरावट (विनियम)** आदि विवाह प्रचलित है। इनमें पुर्नविवाह को समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।

विवाह में **वधुमूल्य प्रथा** प्रचलित है। वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को **खर्च (वधुधन)** के रूप में **चावल, दाल, हल्दी, तेल, गुड़** व कुछ रूपये **नगद** दिया जाता है।

विवाह प्रस्ताव या पहल वर पक्ष द्वारा की जाती है, विवाह के सामाजिक नियमों की पूर्ति होने पर **सगाई, तेल–हल्दी, मड़वा, बारात, भांवर, सेंदूर, टिकान, भोज प्रक्रिया** से बैगा जनजाति में विवाह की सभी रस्म समुदाय के जानकार बड़े–बुजुर्गो की देखरेख में संपन्न होती है।

मृत्यु संस्कार

बैगा जनजाति आत्मावादी समुदाय है अर्थात् मृत्यु उपरांत भी जीवन में विश्वास करती है, मृत्यु के पश्चात् शव को दफनाया जाता है। मृत्यु के तीसरे दिन **''तिजनहावन''** व दसवे दिन **''दशकरम''** किया जाता है। दफनाने की प्रक्रिया में शव का सिर उत्तर दिशा में रखा जाता है। सबसे पहले मृतक का बड़ा लड़का या पति शव पर मिट्टी डालता है मृतक के उपयोग की हुई वस्तुएं रख दी जाती है, परिवार के सदस्यों द्वारा **दाढ़ी, मूछ, सिर के बाल** कटाते है एवं मृत्यु भोज कराते है।

सामाजिक संरचना

बैगा आदिम जनजाति पितृवंशी पितृसत्तात्मक व पितृ स्थानीय समुदाय है, जहां परिवार का मुखिया पुरूष होता है। परिवार का पालन एवं भरण पोषण की जिम्मेदारी मुखिया की होती है। इनमें परिहास एवं परिहार संबंधी नातेदारी व्यवस्था होती है, इनके नातेदार रक्त एवं विवाह संबंधी होते है, सामाजिक सहसंबंध एवं अन्तर्जातीय संबंधों का पालन किया जाता है।

मुख्य रूप से इनमें **धुर्वे, मरकाम, परतेती, तेकाम, नेताम, मरावी** आदि गोत्र होते है। इनके गोत्र **टोटेमिक (Totemic)** होते है।

आर्थिक जीवन

बैगा जनजाति का आर्थिक जीवन मुख्य रूप से कृषि, वनोपज संग्रहण, शिकार एवं पशुपालन पर निर्भर है। **जंगली कंदमूल, तेन्दूपत्ता, गोंद, लाख, शहद, तीतुर, भेलवा** आदि एकत्र कर बेचना एवं स्वयं उपयोग करना, **मोहलाईन छाल से रस्सी निर्माण कर** एवं **बांस की टोकरी, झऊॅहा** आदि का विक्रय कर अपना जीविकोपार्जन करते है।

''बेवर'' कृषि इनके आजीविका का प्रमुख साधन है। जल स्त्रोतों से या वर्षाकाल में मत्स्याखेट भी करते है।

धार्मिक जीवन

बैगा जनजाति अलग–अलग अवसरों एवं त्यौहारों पर देवी–देवताओं की पूजा करते है । इनमें अपने पूर्वजों (पितृ देव) की भी पूजा की जाती है।

बैगा जनजाति के लोग **जादू–टोना, भूत–प्रेत** में भी बहुत विश्वास रखते है।

"भूमका" इनके देवी–देवताओं का पुजारी (धार्मिक मुखिया) होता है।

बैगा जनजाति के ग्रामों में ग्राम देवी–देवताओं के रूप में – **बूढ़ा देव, ठाकुर देव, ठकुराईन माई, बाघ देव, बुढ़ी माई, गांव गुसाइन** आदि की पूजा अर्चना की जाती है। जहां विशिष्ट अवसरों पर सामुदयिक रूप से पूजा अर्चना किया जाता है।

कुल देवी–देवताओं के रूप में **दुल्हा देव, नारायण देव** आदि को प्रमुखता से माना जाता है।

बैगा जनजाति में विशेष अवसरों एवं त्यौहारों पर बलि देने की भी प्रथा है। अपने देवी–देवताओं एवं पूर्वजों को मनाने, शांत रखने के लिए मुर्गा, बकरा, सुअर की पुजेई देते है।

इनके प्रमुख त्यौहार में हरेली, नवाखानी, दशहरा, दीवाली, करमा पूजा होली आदि है।

लोक कलाएं

बैगा जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य **करमा, बिलमा लंहगी** तथा **झरपट** है, लोक गीतों में **करमा, ददरिया, सुआ गीत, विवाह गीत, माता गीत, फाग गीत** आदि है। इनके प्रमुख वाद्ययंत्र **मांदर, नगाड़ा, ढोल, टिमकी** आदि है।

राजनैतिक संगठन

बैगा जनजाति में परम्परागत जाति पंचायत व्यवस्था पायी जाती है। इनमें प्रत्येक ग्राम स्तर पर ग्राम स्तरीय जाति पंचायत व्यवस्था पायी जाती है, जिसमें मुखिया होता है। इस जाति पंचायत का प्रमुख कार्य सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखना है, तथा ग्राम स्तर पर छोट–छोटे सामाजिक अपराधों का निपटारा किया जाता है।

ग्राम पंचायत स्तर पर मामलों के निपटारा न होने पर या सामुदयिक मामले या अन्य आवश्यकतानुसार मुद्दे परगना स्तरीय बैगा जाति पंचायत में निपटारे हेतु प्रस्तुत किया जाता है। पंचायत में प्रकरण अनुसार परम्परागत तरीके से सामाजिक भोज या जुर्माना, जाति बहिष्कार जैसे दण्डों का प्रावधान किया गया है।

==0==

अध्याय 04
सामाजिक जनांकिकीय

1. जिलावार परिवार संकेन्द्रण

छत्तीसगढ़ राज्य की **"बैगा"** विशेष पिछड़ी जनजाति का सामाजिक जनांकिकीय दृष्टि से जिलेवार परिवारों का संकेन्द्रण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 01

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा परिवार का जिलावार सकेन्द्रण

क्र.	जिला का नाम	बैगा परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	बिलासपुर	3675	14.95
2	कबीरधाम	11261	45.80
3	कोरिया	5947	24.19
4	मुंगेली	2358	9.59
5	राजनांदगांव	1348	5.48
योग		**24589**	**100.00**

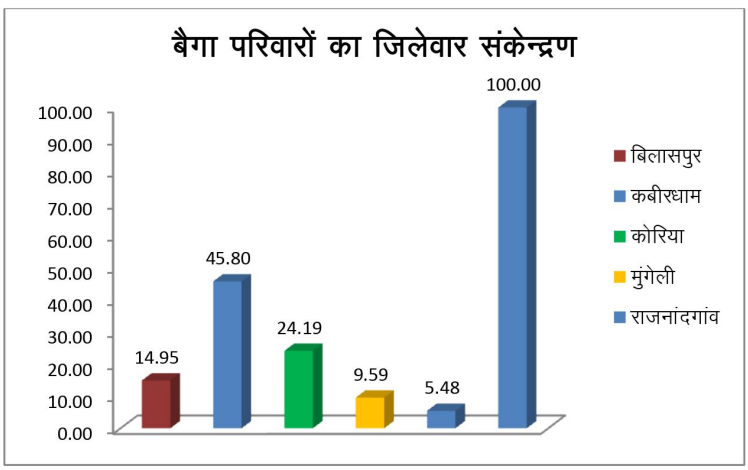

उपरोक्त तालिका अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के कुल 24589 प्ररिवार निवासरत है। जो राज्य के बिलासपुर, कबीरधाम, कोरिया, मुंगेली तथा राजनांदगांव जिले में निवासरत है।

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति का जिलेवार परिवार संकेन्द्रण सर्वाधिक कबीरधाम जिले में 45.80 प्रतिशत (N = 11261) तथा न्यूनतम राजनांदगांव जिले मे 5.48 प्रतिशत (N = 1348) पाया गया है।

अन्य जिलों में जिलेवार परिवार संकेन्द्रण पर दृष्टि डाले तो, कोरिया जिले में 24.19 प्रतिशत (N = 5947), बिलासपुर जिले में 14.95 प्रतिशत (N = 3675) तथा मुंगेली जिले में 9.59 प्रतिशत (N = 2358) निवासरत है।

2. विकासखण्डवार सकेन्द्रण

छत्तीसगढ़ राज्य के बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति निवासित जिलों के विकासखण्डों में बैगा परिवारों के संकेन्द्रण का विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 02

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा परिवार का विकासखण्डवार सकेन्द्रण

क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	बैगा परिवार	
			संख्या	प्रतिशत
1	बिलासपुर	गौरेला	2095	8.52
2		कोटा	1520	6.18
3		तखतपुर	60	0.24
	योग		**3675**	**14.95**
4	कबीरधाम	बोडला	6636	26.99
5		पण्डरिया	4625	18.81
	योग		**11261**	**45.80**
6	कोरिया	भरतपुर	5155	20.96
7		खडगवां	355	1.44
8		मनेन्द्रगढ़	437	1.78
	योग		**5947**	**24.19**
9	मुंगेली	लोरमी	2358	9.59
	योग		**2358**	**9.59**
10	राजनांदगांव	छुईखदान	1348	5.48
	योग		**1348**	**5.48**
कुलयोग			**24589**	**100.00**

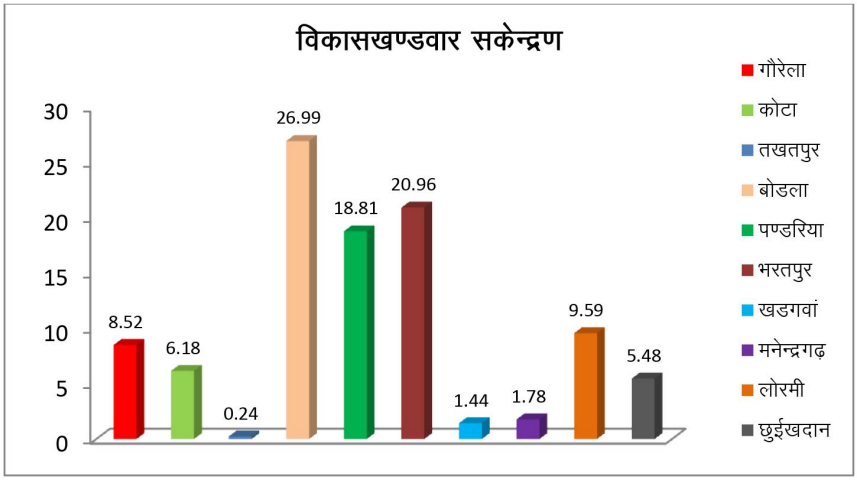

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, राज्य में बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों का सर्वाधिक संकेन्द्रण छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले मे है इसी प्रकार विकासखण्डवार परिवार संकेन्द्रण में भी कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखण्ड में सर्वाधिक 26.99 प्रतिशत (N = 6636) है, जो किसी अन्य जिले के कुल संकेन्द्रण से भी ज्यादा है। विकासखण्डवार परिवार संकेन्द्रण में न्यूनतम बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखण्ड में पाया गया है जो 0.24 प्रतिशत (N = 60) है।

3. परिवार का प्रकार

मानव समाज के विकास के साथ–साथ परिवार के भी विभिन्न प्रकार अस्तित्व में आये है। प्रत्येक स्थान की भौगोलिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों ने भिन्न–भिन्न प्रकार की परिवार व्यवस्था को जन्म दिया है। परिवार प्रकार एक परिवार अन्तर्गत निवास करने वाले वैवाहिक जोड़ों (रक्त संबंधी अथवा विवाह संबंधी नातेदारी सहित) के आधार पर केन्द्रीय (मूल), संयुक्त अथवा विस्तृत परिवार प्रकार के रूप में वर्गीकृत होते है।

ऐसे परिवार जिसमें एक विवाहित जोड़ा एवं उनकी संताने निवासरत है उसे केन्द्रीय या एकाकी परिवार कहा जाता है। ऐसे परिवार जिसमें तीन या तीन से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ–साथ एक ही घर में निवास करते है और परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते है, उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है एवं ऐसे परिवार जिसमें रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी नातेदारी के वैवाहिक जोड़े एवं उसकी संताने एक साथ निवासरत होते है, उसे विस्तृत परिवार कहा जाता है।

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में परिवार प्रकार की स्थिति निम्न तालिका अनुसार है

तालिका क्रमांक 03

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा मे परिवार का प्रकार

क्र.	परिवार का प्रकार	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	केन्द्रीय	23549	95.77
2	संयुक्त	993	4.04
3	विस्तृत	47	0.19
योग		**24589**	**100.00**

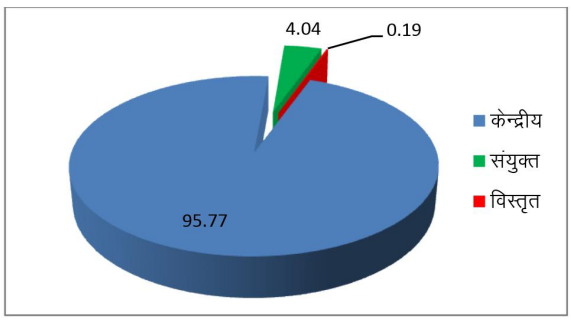

उपरोक्त तालिका में दर्शित आंकड़ो के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत कुल 24589 बैगा परिवारों में सर्वाधिक 95.77 प्रतिशत (N = 23549) केन्द्रीय या मूल परिवार है। इसी प्रकार 4.04 प्रतिशत (N = 993) संयुक्त परिवार एवं 0.19 प्रतिशत (N = 47) विस्तृत परिवारों पाये गये है।

शासन की परिवार मूलक योजनाएं, शिक्षा का प्रसार आधुनिकीकरण, नगरीकरण, नवीन सामाजिक संरचना आदि कारणों से परिवार में परिवर्तन की प्रवृत्ति संयुक्तता से नाभिकता की ओर है।

जनसंख्या

छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर, कबीरधाम, कोरिया, मुंगेली, राजनांदगांव जिले के कुल 10 विकासखण्ड में निवासरत बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल जनंसख्या निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 04

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा मे परिवार की जनसंख्या

क्र.	जनसंख्या					
	पुरूष		स्त्री		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	44402	50.28	43915	49.72	88317	100.00
कुल परिवार – 24589						

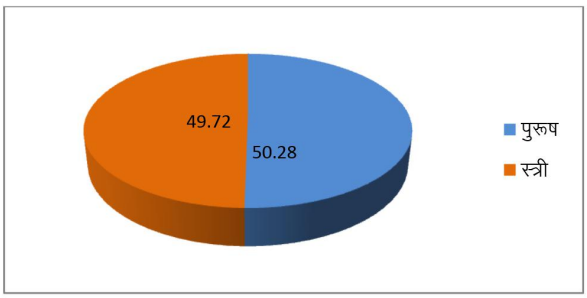

उपरोक्त तालिका अनुसार बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के कुल 24589 परिवारों की कुल जनसंख्या 88317 है, जिसमें पुरूष जनसंख्या 44402 (50.28 प्रतिशत) तथा महिला जनसंख्या 43915 (49.72 प्रतिशत) है। पुरूष जनसंख्या–महिला जनसंख्या से 0.56 प्रतिशत अधिक है।

4. जिलेवार जनसंख्या सकेन्द्रण

छत्तीसगढ़ राज्य मे जिलावार निवासित बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों में जनसंख्या विवरण निम्नांकित है –

तालिका क्रमांक 05

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा मे जिलेवार जनसंख्या का संकेन्द्रण

क्र.	जिला	परिवार संख्या	जनसंख्या					
			पुरूष		स्त्री		योग	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	बिलासपुर	3675	6052	13.63	5849	13.32	11901	13.48
2	कबीरधाम	11261	22121	49.82	21858	49.77	43979	49.80
3	कोरिया	5947	9794	22.06	9874	22.48	19668	22.27
4	मुंगेली	2358	4229	9.52	4155	9.46	8384	9.49
5	राजनांदगांव	1348	2206	4.97	2179	4.96	4385	4.97
	योग	**24589**	**44402**	**50.28**	**43915**	**49.72**	**88317**	**100.00**

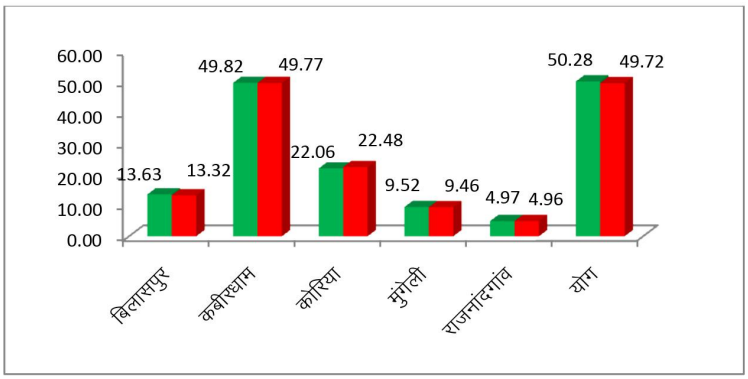

उपरोक्तानुसार दर्शित है कि राज्य में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा की कुल जनसंख्या मे से सर्वाधिक 49.80 प्रतिशत (N=43979) जनसंख्या कबीरधाम जिले मे निवासरत है जिसमें 49.82 प्रतिशत (N=22121) पुरूष एवं स्त्री जनसंख्या 49.77 प्रतिशत (N=21858) है।

कोरिया जिले में कुल बैगा जनसंख्या का 22.27 प्रतिशत (N=19668) भाग निवासरत है। जिसमें पुरूष जनसंख्या 22.06 प्रतिशत (N=9794) तथा स्त्री जनसंख्या 22.48 प्रतिशत (N=9874) है।

बिलासपुर जिला अन्तर्गत राज्य की कुल बैगा जनसंख्या का 13.48 प्रतिशत (N=11901) भाग निवासरत है। जहां पुरूष जनसंख्या 13.63 प्रतिशत (N=6052) एवं स्त्री जनसंख्या 13.32 प्रतिशत (N=5849) है।

मुंगेली जिला अन्तर्गत राज्य की कुल बैगा जनसंख्या का 9.49 प्रतिशत (N=8384) भाग निवासरत है। जहां पुरूष जनसंख्या 9.52 प्रतिशत (N=4229) एवं स्त्री जनसंख्या 9.46 प्रतिशत (N=4155) है।

राज्य में कुल बैगा जनसंख्या मे से सर्वाधिक कम जनसंख्या में निवासरत होने वाला जिला राजनांदगांव है जहां कुल बैगा जनसंख्या का 4.97 प्रतिशत (N=4385) भाग निवासरत है, जिसमें 4.97 प्रतिशत (N=2206) पुरूष जनसंख्या एवं 4.96 प्रतिशत (N=2178) स्त्री जनसंख्या का है।

संक्षेप में बैगा जनसंख्या संकेन्द्रण (Baiga Population Concentration) की दृष्टि से प्रथम कबीरधाम जिला, द्वितीय कोरिया, तृतीय बिलासपुर, चतुर्थ स्थान पर मुंगेली एवं अंतिम पांचवे स्थान पर जिला राजनांदगांव है।

5. विकासखण्डवार जनसंख्या सकेन्द्रण

छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति का विकासखण्डवार जनसंख्या संकेन्द्रण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 06

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा मे विकासखण्डवार जनसंख्या का संकेन्द्रण

क्र.	जिला	विकासखण्ड	परिवार संख्या	जनसंख्या					
				पुरूष		स्त्री		योग	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	बिलासपुर	गौरेला	2095	3319	7.47	3186	7.25	6505	7.37
2		कोटा	1520	2624	5.91	2528	5.76	5152	5.83
3		तखतपुर	60	109	0.25	135	0.31	244	0.28
4	कबीरधाम	बोड़ला	6636	13525	30.46	13314	30.32	26839	30.39
5		पण्डरिया	4625	8596	19.36	8544	19.46	17140	19.41
6	कोरिया	भरतपुर	5155	8358	18.82	8537	19.44	16895	19.13
7		खडगवा	355	638	1.44	587	1.34	1225	1.39
8		मनेन्द्रगढ़	437	798	1.80	750	1.71	1548	1.75
9	मुंगेली	लोरमी	2358	4229	9.52	4155	9.46	8384	9.49
10	राजनांदगांव	छुईखदान	1348	2206	4.97	2179	4.96	4385	4.97
योग			**24589**	**44402**	**50.28**	**43915**	**49.72**	**88317**	**100.00**

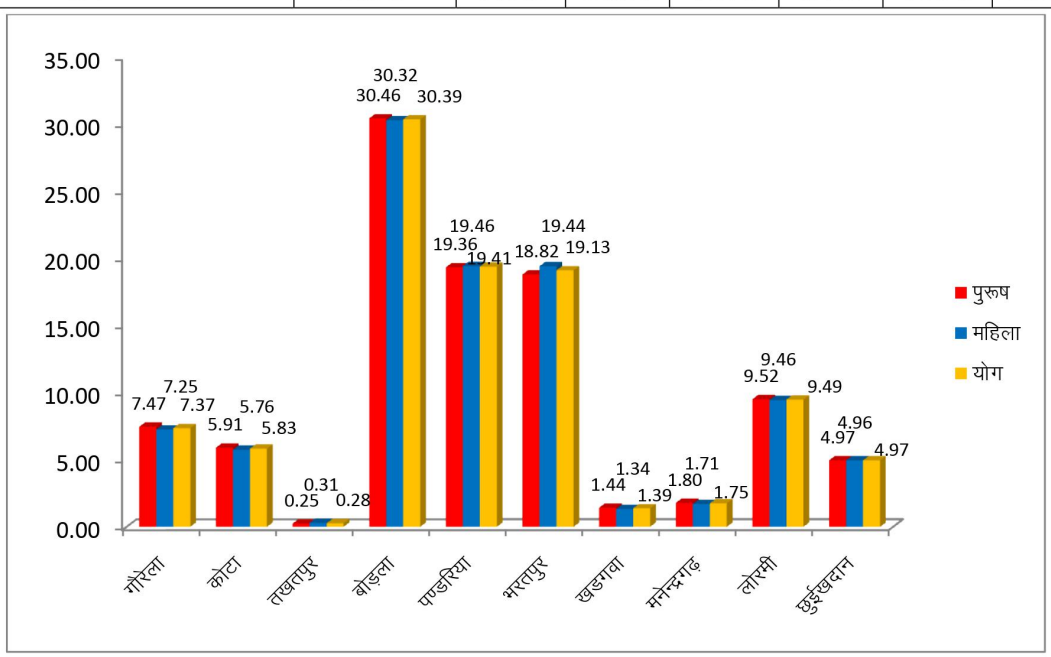

उपरोक्त तालिका अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल जनसंख्या 88317 है, जिसका सर्वाधिक जनसंख्या संकेन्द्रण कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखण्ड में 30.39 प्रतिशत (N=26839) है तथा न्यूनतम जनसंख्या संकेन्द्रण बिलासपुर के तखतपुर विकासखण्ड में 0.28 प्रतिशत (N=244) है।

राज्य में 5 जिलों के 10 विकासखण्डों में निवासरत बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति का जनसंख्या संकेन्द्रण में से 07 विकासखण्डों में 10 प्रतिशत से भी कम है।

6. उम्र समूह अनुसार जनसंख्या

किसी समुदाय की सामाजिक जनांकिकीय संरचना मे समुदाय की जनसंख्या के संदर्भ में उम्र समूह अनुसार जनसंख्या वर्गीकरण एक अति महत्वपूर्ण तथ्य होता है। बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति मे कुल जनसंख्या का उम्र समूह अनुसार वितरण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 07

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा मे उम्र समूह अनुसार जनसंख्या वितरण

क्र.	उम्र समूह का विवरण	जनसंख्या					
		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	0–6	7306	16.45	7144	16.27	14450	16.36
2	7–14	8477	19.09	8111	18.47	16588	18.78
3	15–25	8243	18.56	9010	20.52	17253	19.54
4	26–45	12187	27.45	11484	26.15	23671	26.80
5	46–60	4430	9.98	4135	9.42	8565	9.70
6	60 से अधिक	1699	3.83	1984	4.52	3683	4.17

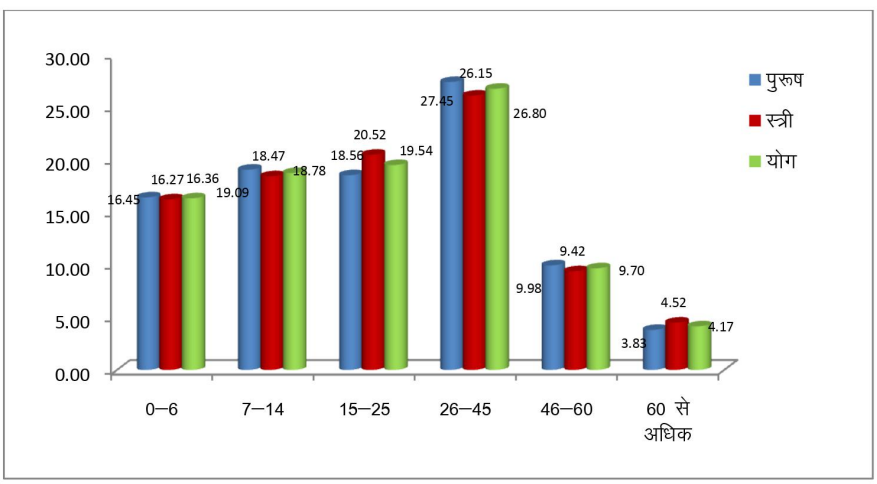

छत्तीसगढ़ राज्य की बैगा जनजाति की कुल जनसंख्या 88317 है जिसमें, 44402 पुरूष जनसंख्या एवं 43915 स्त्री जनसंख्या है। उपरोक्त तालिका अनुसार सर्वेक्षित बैगा जनजाति मे सर्वाधिक जनसंख्या 26.80 प्रतिशत (N=23671) 26–45 वर्ष उम्र समूह की है। तत्पश्चात क्रमशः 19. 54 प्रतिशत (N=17253) 15–25 वर्ष उम्र समूह, 18.78 प्रतिशत (N=16588) 7–14 उम्र समूह, 16.36 प्रतिशत (N=14450) 0–6 उम्र समूह, 9.70 प्रतिशत (N=8565) 46–60 वर्ष उम्र समूह की तथा 4.17 प्रतिशत (N=3683) 60 वर्ष से अधिक के उम्र समूह की है।

उम्र समूह की जनसंख्या का वर्गीकरण देखने से ज्ञात होता है कि 15–25 वर्ष उम्र समूह एवं 60 वर्ष से अधिक के उम्र समूह में पुरूषों की तुलना में महिला जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है।

7. लिंगानुपात

किसी भी समुदाय में सामाजिक–जनांकिकीय वितरण का आधार उस समुदाय के स्त्री–पुरूष लिंगानुपात होता है। स्त्री–पुरूष लिंगानुपात किसी समुदाय की साम्यावस्था को बनाये रखने का कार्य करती है। स्त्री–पुरूष लिंगानुपात से आशय किसी समूह अथवा समुदाय में प्रति हजार पुरूषो पर स्त्रियों की संख्या से है। बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में स्त्री–पुरूष लिंगानुपात निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 08

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा मे लिंगानुपात

क्र.	बैगा जनसंख्या		
	पुरूष	स्त्री	लिंगानुपात
1	44402	43915	989

उपरोक्तानुसार बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति का आधारभूत सर्वेक्षण अनुसार स्त्री–पुरूष लिंगानुपात 989 पाया गया है।

जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का लिंगानुपात 991 है एवं छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात 1020 है। बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति का लिंगानुपात 989 राज्य के लिंगानुपात 1020 की तुलना में कम है जो कि विचारणीय है।

8. जिलेवार लिंगानुपात

छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति का जिलावार स्त्री–पुरूष लिंगानुपात निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 09

जिलेवार लिंगानुपात

क्र.	जिला का नाम	बैगा जनसंख्या		लिंगानुपात
		पुरूष	स्त्री	
1	बिलासपुर	6052	5849	966
2	कबीरधाम	22121	21858	988
3	कोरिया	9794	9874	1008
4	मुंगेली	4229	4155	983
5	राजनांदगांव	2206	2179	988

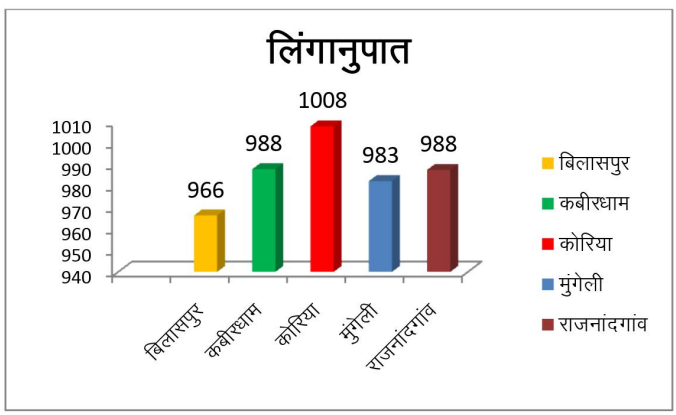

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य की बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति निवासरत 05 जिलों मे से 04 जिलों यथा बिलासपुर, कबीरधाम, मुंगेली एवं राजनांदगांव जिलों में स्त्री–पुरूष लिंगानुपात 1000 से कम है। कोरिया जिले में सर्वाधिक प्रति हजार बैगा पुरूषों की तुलना में 1008 महिलाएं, कबीरधाम एवं राजनांदगांव जिले में 1000 पुरूषों की तुलना में 988 महिलाएं, मुंगेली जिले मे प्रति हजार पुरूषों की तुलना में 983 महिलाएं तथा बिलासपुर जिले में 1000 पुरूषों की तुलना में 966 महिलाएं है।

कबीरधाम जिले में जहां बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों के संकेन्द्रण एवं जनसंख्या संकेन्द्रण की स्थिति में अन्य जिलों की अपेक्षा सर्वाधिक है, वही बैगा स्त्री–पुरूष लिंगानुपात की स्थिति विषम है। जहां प्रति हजार बैगा पुरूषों की तुलना में केवल 988 महिलाएं है।

9. विकासखण्डवार स्त्री–पुरूष लिंगानुपात

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति राज्य के 05 जिलों के 10 विकासखण्डों में निवासरत है। विकासखण्डवार स्त्री–पुरूष लिंगानुपात की स्थिति का विवरण निम्नांकित है –

तालिका क्रमांक 10

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा मे विकासखण्डवार जनसंख्या मे लिंगानुपात

क्र.	जिला	विकासखण्ड	जनसंख्या		
			पुरूष	स्त्री	लिंगानुपात
1	बिलासपुर	गौरेला	3319	3186	960
2		कोटा	2624	2528	963
3		तखतपुर	109	135	1239
4	कबीरधाम	बोड़ला	13525	13314	984
5		पण्डरिया	8596	8544	994
6	कोरिया	भरतपुर	8358	8537	1021
7		खडगवा	638	587	920
8		मनेन्द्रगढ़	798	750	940
9	मुंगेली	लोरमी	4229	4155	983
10	राजनांदगांव	छुईखदान	2206	2179	988
योग			**44402**	**43915**	**989**

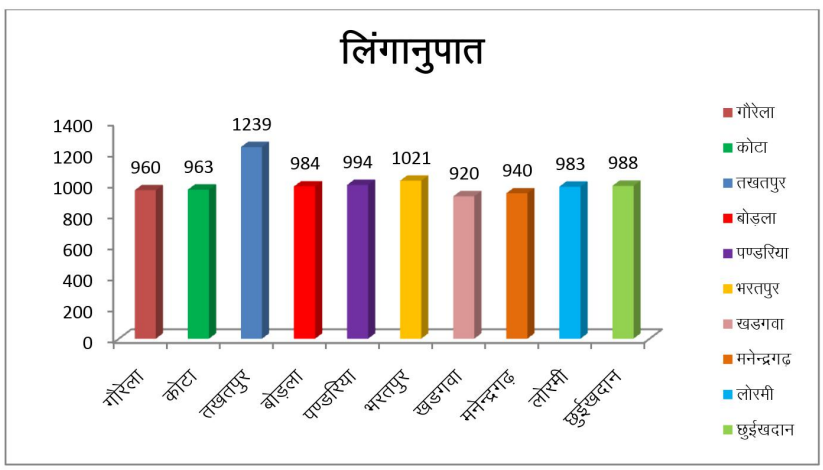

उपरोक्त तालिका अनुसार बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति निवासित 10 विकासखण्डों में से मात्र 02 विकासखण्ड बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखण्ड तथा कोरिया जिले के भरतपुर विकासखण्ड में महिला–पुरूष लिंगानुपात 1000 से अधिक है।

शेष 08 विकासखण्डों में लिंगानुपात हजार से कम है। सर्वाधिक लिंगानुपात (1239) बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखण्ड में तथा न्यूनतम लिंगानुपात (920) कोरिया जिले के खड़गवा विकासखण्ड में पाया गया है।

10. जनसंख्या वृद्धि दर

किसी समुदाय/समूह की जनसंख्या वृद्धि दर (दशकीय) को निम्नांकित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है –

$$\frac{\text{दशकीय जनसंख्या का अंतर}}{\text{पूर्व दशक की जनसंख्या}} \times 100$$

A सर्वेक्षण 2005–06 में बैगा जनसंख्या = 67241
B सर्वेक्षण 2015–16 में बैगा जनसंख्या = 88317
C दशकीय जनसंख्या का अंतर (AB-C) = 21076

अर्थात,

$$\frac{88317 - 67241 = 21076}{88317} \times 100$$

= **23.86 प्रतिशत**

अतः उपरोक्तानुसार राज्य की बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 23.86 प्रतिशत पायी गई। जो छत्तीसगढ़ राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वृद्धिदर 18.23 प्रतिशत की तुलना में अधिक है जो कि एक धनात्मक पहलू है।

11. वैवाहिक स्थिति

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के सामाजिक जनांकिकीय परिप्रेक्ष्य में वैवाहिक स्थिति का विवरण निम्नांकित है –

तालिका क्रमांक 11

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा मे वैवाहिक स्थिति

क्र.	वैवाहिक स्थिति	वैवाहिक स्थिति					
		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	विवाहित	19974	44.98	20211	46.02	40185	45.50
2	विधवा / विधुर / परित्यक्ता	2826	6.36	1493	3.40	4319	4.89
योग		**22800**	51.35	**21704**	49.42	**44504**	50.39

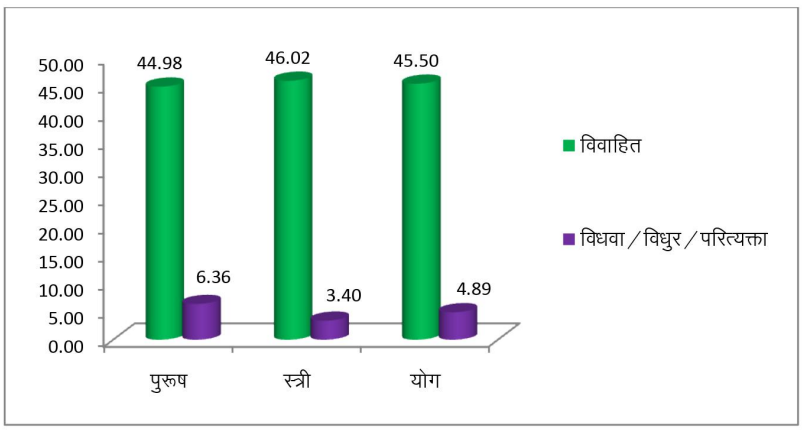

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में कुल जनसंख्या 88317 है जिसमें 44402 पुरूष एवं 43915 महिला जनसंख्या है। वैवाहिक स्थिति के संदर्भ में उपरोक्त तालिका मे दर्शित आंकड़ों के अनुसार बैगा जनजाति में 44.98 प्रतिशत (N=19974) पुरूष विवाहित एवं 46.02 प्रतिशत (N=20211) महिला विवाहित है।

12. वैवाहिक उम्र

किसी भी समुदाय में सदस्यों की वैवाहिक उम्र का निर्धारण सामाजिक एवं स्वास्थ्यगत कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। सामाजिक रूप से वैवाहिक दायित्वों के सफलतापूर्वक निष्पादन हेतु शारीरिक विकास क्षमता के साथ–साथ मानसिक विकास का होना भी आवश्यक होता है।

सामान्यतः जनजातीय समाजों में यह धारणा प्रचलित है कि एक बालिका का मासिक धर्म प्रारंभ होने पर उसे विवाह योग्य समझा जाता है। वहीं बालको की दाढ़ी–मूंछ आने व अन्य शारीरिक बदलाव को स्वयं के परिवार संचालन की क्षमता आ जाने को विवाह योग्य आयु के रूप में देखा जाता है।

बाल विवाह निरोधक (संशोधित) अधिनियम 1978 में विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित किया गया है।

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा में पुरूष एवं स्त्री वर्ग में विवाह उम्र का विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 12

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा मे वैवाहिक उम्र समूह का वितरण

क्र.	विवाह उम्र समूह का विवरण	जनसंख्या					
		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	15 से कम	3583	15.71	402	1.85	3985	8.95
2	15–18	12415	54.45	4714	21.72	17129	38.49
3	19–21	4225	18.53	11121	51.24	15346	34.48
4	22–24	403	1.77	2899	13.36	3302	7.42
5	25 से अधिक	134	0.59	814	3.75	948	2.13

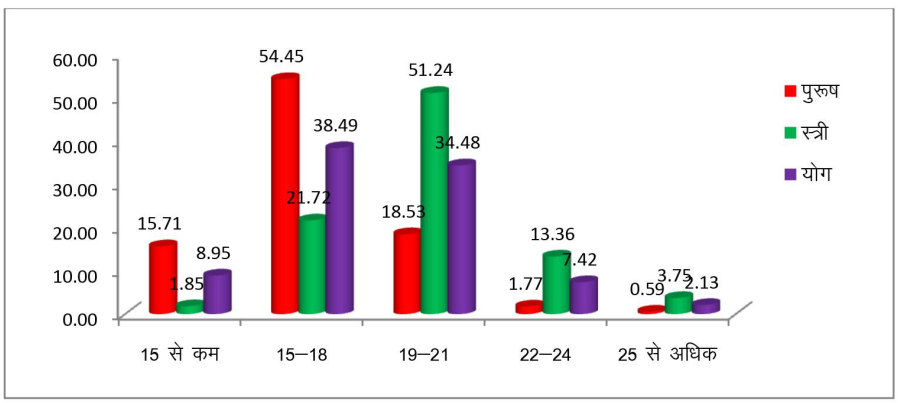

पूर्व तालिका अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा की कुल जनसंख्या में से 44504 सदस्य विवाहित अथवा विधवा/विधुर/परित्यक्ता पाये गये, जिसमें 22800 पुरूष एवं 21704 महिला सदस्य है।

उपरोक्त तालिका अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा में 8.95 प्रतिशत (N=3985) सदस्यों का विवाह 15 वर्ष की आयु के पूर्व होना पाया गया, जिसमें पुरूष 15.71 प्रतिशत (N=3583) की तुलना में महिलाओं की संख्या 1.85 प्रतिशत (N=402) बहुत कम पाई गई।

15–18 वर्ष की आयु में बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के 38.49 प्रतिशत (N=17129) सदस्यों के विवाह हुये, जिसमें 54.45 प्रतिशत (N=12415) पुरूष एवं 21.72 प्रतिशत (N=4714) महिला सदस्य है।

19–21 वर्ष उम्र समूह में बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में 34.48 प्रतिशत (N=15346) सदस्यों का विवाह होना पाया गया, जिसमें 18.53 प्रतिशत (N=4225) पुरूष एवं 51.24 प्रतिशत (N=11121) महिला सदस्य है।

22–24 वर्ष की आयु में विवाह करने वाले बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के स्त्री–पुरूष सदस्यों की संख्या 7.42 प्रतिशत (N=3302) पाया गया। वहीं 25 या 25 वर्ष से अधिक की आयु में विवाह करने वाले सदस्यों की संख्या 2.13 प्रतिशत (N=948) है।

निष्कर्ष स्वरूप ज्ञात होता है कि 18 या 18 वर्ष से कम की आयु में बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के 70.16 प्रतिशत (N=15998) पुरूषों के विवाह हुये, वहीं महिलाओं के 21 वर्ष की आयु के पहले 74.81 प्रतिशत (N=16237) विवाह हुए।

13. धार्मिक आस्था

राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के समस्त परिवार धार्मिक रूप से आदि परम्परा का निर्वाह करते हुये स्वयं को हिन्दू धर्म के धर्मावलंबी मानते है।

14. सामाजिक नेतृत्व

सामाजिक – जनांकिकीय अंतर्गत समुदाय के संचालन, एकरूपता एवं सामाजिक मूल्यों एवं विश्वासों को बनाये रखने सामाजिक नेतृत्व की भी आवश्यकता होती है। जिसके लिए विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के परिवारों में परम्परागत सामाजिक पद का नेतृत्व करने की स्थिति का विवरण निम्नांकित है –

तालिका क्रमांक 13

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा मे सामाजिक नेतृत्व का वितरण

क्र.	नेतृत्व (सामा.) धारिता का विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	धर्म निरपेक्ष मुखिया	87	0.35
2	धार्मिक मुखिया	106	0.43
3	गुनिया/सिरहा	107	0.44
4	ज्योतिषी	11	0.04
5	चौकीदार/कोटवार	32	0.13
6	अन्य सा. पद	21	0.09
कुल सर्वेक्षित परिवार– 24589		**364**	1.48

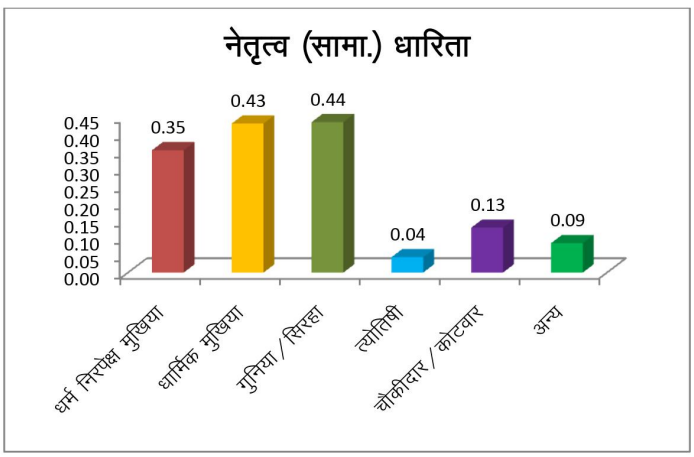

राज्य मे निवासरत बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के 88317 सदस्यों में से केवल 1.48 प्रतिशत (N=364) सदस्य ही सामाजिक नेतृत्व में सहभागी पाये गये। जिसमें 0.35 प्रतिशत सदस्य धर्म निरपेक्ष मुखिया के रूप में, 0.43 प्रतिशत सदस्य धार्मिक मुखिया के रूप में एवं 0.44 प्रतिशत सदस्य गुनिया सिरहा (लोक चिकित्सक–वनौषधीय उपचारक) के दायित्व का निर्वहन कर रहे है। वही सामाजिक कार्यो के संचालन हेतु 0.13 प्रतिशत परिवार सामाजिक चौकीदार या कोटवार की भूमिका का निर्वहन कर रहे है।

==0==

अध्याय 05
शैक्षणिक स्थिति

शिक्षा किसी भी समाज के समग्र विकास का प्रमुख आधार है। समाज की संस्कृति की निरंतरता, समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों की रक्षा के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। विकास के क्रम में मानव समुदाय का एक हिस्सा जिसे हम आदिवासी या जनजाति के नाम से जानते है, जो सामान्यतः सुदूर क्षेत्रों, वनों एवं पहाड़ियों में निवास करने, जनजागरूकता की कमी, शिक्षा के प्रति उदासीनता एवं बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण अन्य शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में पिछड़े हुए है।

विशेष पिछड़ी जनजातियां अन्य अनुसूचित जनजातियों की तुलना में अधिक विषम परिस्थितियों में निवासरत है, अतः इनकी शैक्षणिक स्थिति अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक पिछड़ी हुई है।

भारत सरकार द्वारा भी किसी अनुसूचित जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने हेतु निर्धारित किये गये मापदण्डों में से समुदाय की अल्प साक्षरता दर भी एक कारण रहा शामिल किया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में इन वर्गों के विकास हेतु विगत 07 दशकों से भारत सरकार एवं राज्य सरकारें उनके शैक्षणिक विकास हेतु अनेक योजनाएं संचालित कर रही है, जिनके धीरे–धीरे सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे है।

बैगा जनजाति में साक्षरता

सात वर्ष से अधिक आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति जिसे किसी भी एक अनुसूचित भाषा मे लिखना और पढ़ना आता हो, उसे साक्षर कहा जाता है।

वर्तमान में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा में साक्षरता दर का विवरण निम्नानुसार है –

1. बैगा जनजाति में साक्षरता

छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा में कुल साक्षरता का विवरण निम्नांकित है –

तालिका क्रमांक 14

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा मे साक्षरता दर

क्र.	साक्षरता दर					
	पुरूष		स्त्री		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	22546	60.78	17320	47.10	39866	53.97
0–6 वर्ष उम्र समूह को छोड़कर कुल जनसंख्या – 73867 (पुरूष 37096, महिला 36771)						

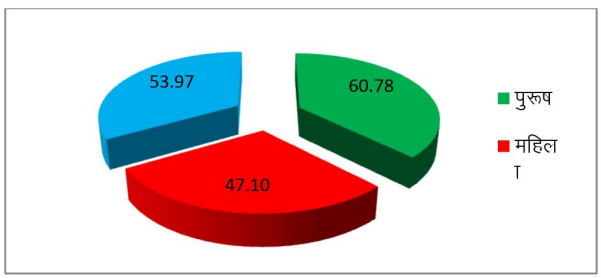

उपरोक्तानुसार बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल जनसंख्या 88317 है जिसमें पुरूष जनसंख्या 44402 एवं स्त्री जनसंख्या 43915 है। उक्त जनसंख्या में से 0–6 वर्ष उम्र समूह की जनसंख्या (कुल 14450, पुरूष 7306 एवं स्त्री 7144) को साक्षरता दर ज्ञात करने हेतु घटाने पर कुल जनसंख्या 73867 (पुरूष 37096, एवं महिला 36771) शेष बचती है। अर्थात साक्षरता ज्ञात करने हेतु 0–6 वर्ष की आयु की जनसंख्या को हम साक्षर अथवा निरक्षर दोनों ही वर्गों में शामिल नही कर सकते है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में वर्तमान में साक्षरता दर 53.97 प्रतिशत है। बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में जहां पुरूष साक्षरता दर 60.78 प्रतिशत है, वही महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत से कम 47.10 प्रतिशत है।

2. बैगा जनजाति में अध्ययनरत सदस्यों का विवरण

वर्तमान में बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में शिक्षा प्राप्त कर रहे बालक–बालिकाओं का विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 15

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा मे अध्ययनरत सदस्यों का वितरण

क्र.	अध्ययन का स्तर	अध्ययनरत सदस्य					
		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	प्राथमिक	5176	54.36	4765	54.44	9941	54.40
2	माध्यमिक	2055	21.58	1696	19.38	3751	20.53
3	हाईस्कूल	659	6.92	634	7.24	1293	7.08
4	हायर सेकण्ड्री	237	2.49	158	1.81	395	2.16
5	स्नातक / स्नातकोत्तर	58	0.61	26	0.30	84	0.46
6	अन्य / तकनीकी	1337	14.04	1474	16.84	2811	15.38
योग		**9522**	**52.10**	**8753**	**47.90**	**18275**	**100.00**

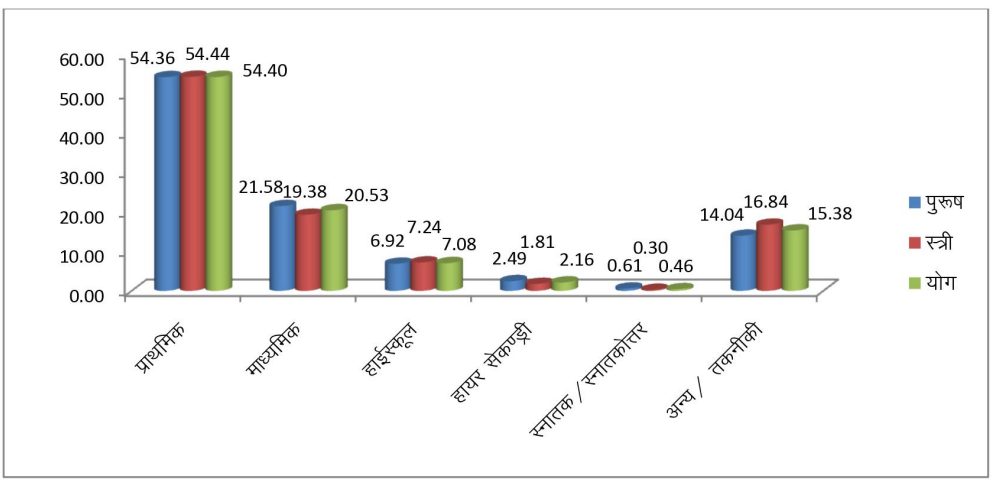

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के 18275 बालक–बालिकायें वर्तमान में अध्ययनरत है, जिसमें से 52.10 प्रतिशत (N=9522) बालक एवं 47.90 प्रतिशत (N=8753) बालिकाएं विभिन्न स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे है।

प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत कुल बैगा बालकों मे से 54.36 प्रतिशत (N=5176) बालक एवं अध्ययनरत कुल बैगा बालिकाओं में से 54.44 प्रतिशत (N=4765) बालिकाएं अध्ययनरत है। इस प्रकार प्राथमिक स्तर पर 54.40 प्रतिशत (N=9941) बालक–बालिकाएं अध्ययनरत है।

माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत कुल बैगा बालकों मे से 21.58 प्रतिशत (N=2055) बालक एवं अध्ययनरत कुल बालिकाओं मे से 19.38 प्रतिशत (N=1696) बालिकाएं अध्ययनरत है। इस प्रकार माध्यमिक स्तर पर 20.53 प्रतिशत (N=3751) बालक–बालिकाएं अध्ययनरत है।

हाईस्कूल स्तर पर अध्ययनरत कुल बैगा बालकों में से 6.92 प्रतिशत (N=659) बालक एवं अध्ययनरत कुल बालिकाओं में से 7.24 प्रतिशत (N=634) बालिकाएं अध्ययनरत है। इस प्रकार हाईस्कूल स्तर पर 7.08 प्रतिशत (N=1293) बालक–बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रहे है।

हायर सेकण्ड्री स्तर पर अध्ययरत कुल बैगा बालकों में से 2.49 प्रतिशत (N=237) बालक एवं अध्ययनरत कुल बैगा बालिकाओं में से 1.81 (N=181) बालिकाएं अध्ययरत है। इस प्रकार हायर सेकण्ड्री स्तर 2.16 प्रतिशत (N=395) बालक–बालिकाएं ही अध्ययनरत है।

अन्य स्तर अथवा तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे बालक–बालिकाओं का प्रतिशत 15.44 (N=2811) है।

3. बैगा जनजाति में अध्ययन समाप्त कर चुके सदस्यों का विवरण

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में किसी न किसी स्तर की शिक्षा प्राप्त कर अध्ययन छोड़ चुके सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 16

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा मे अध्ययन समाप्त कर चुके सदस्यों का वितरण

क्र.	अध्ययन का स्तर	अध्ययन समाप्त कर चुके सदस्य					
		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	प्राथमिक	6911	53.06	4685	54.69	11596	53.71
2	माध्यमिक	3289	25.25	1915	22.35	5204	24.10
3	हाईस्कूल	1276	9.80	759	8.86	2035	9.43
4	हायर सेकण्ड्री	473	3.63	177	2.07	650	3.01
5	हायर सेकण्ड्री	93	0.71	22	0.26	115	0.53
6	अन्य (तकनीकी)	982	7.54	1009	11.78	1991	9.22
योग		**13024**	**92.46**	**8567**	**88.22**	**21591**	**100.00**

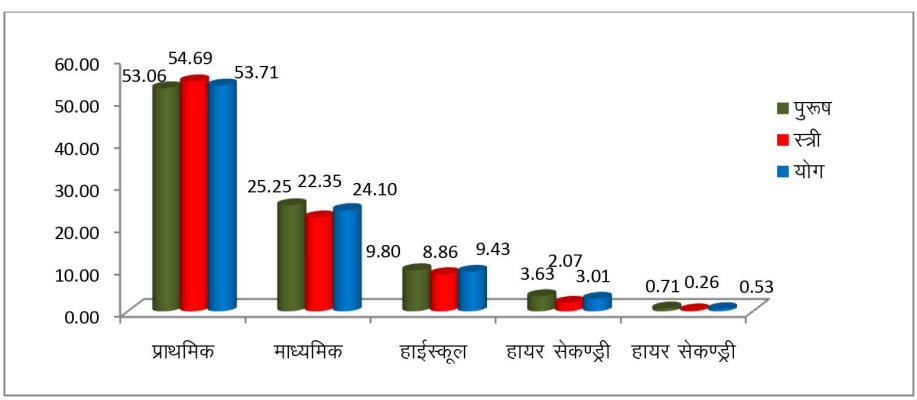

उपरोक्तानुसार बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के कुल शिक्षित सदस्यों में से 21591 सदस्यों द्वारा किसी न किसी स्तर की शिक्षा अर्जित कर अध्ययन छोड़ दिया है जिसमें पुरूषों की संख्या 92.46 प्रतिशत (N=13024) एवं महिला वर्ग की संख्या 88.22 प्रतिशत (N=8567) है।

प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक कुल 53.71 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा शिक्षा प्राप्त कर छोड़ दी गई जिसमें 53.06 प्रतिशत (N=6911) पुरूष एवं 54.69 प्रतिशत (N=4685) महिला है।

माध्यमिक स्तर तक 24.10 प्रतिशत (N=5204) व्यक्तियों द्वारा शिक्षा प्राप्त कर अध्ययन छोड़ दिया गया जिसमें 25.25 प्रतिशत (N=3289) पुरूष एवं 22.35 प्रतिशत (N=1915) महिलाएं है। इस प्रकार माध्यमिक स्तर तक कुल 77.81 प्रतिशत सदस्यों द्वारा अध्ययन छोड़ दिया गया ।

हाई स्कूल स्तर तक 9.43 प्रतिशत (N=2035) व्यक्तियों ने शिक्षा प्राप्त कर अध्ययन बंद कर दिया जिसमें 9.80 प्रतिशत (N=1276) पुरूष एवं 8.86 प्रतिशत (N=759) महिलाएं है।

हायर सेकण्ड्री स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कर 0.71 प्रतिशत (N=93) पुरूषों ने एवं 0.26 प्रतिशत (N=22) महिलाओं ने शिक्षा छोड़ दी।

4. बैगा जनजाति मे कुल साक्षर सदस्यों का विवरण

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में साक्षर व्यक्तियों की जानकारी निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 17

कुल साक्षर सदस्यों का विवरण

क्र.	कुल साक्षर सदस्यों का विवरण	साक्षर सदस्य		
		पुरूष	स्त्री	योग
1	अध्ययनरत्	9522	8753	18275
2	अध्ययन छोड़ चुके	13024	8567	21591
योग		**22546**	**17320**	**39866**

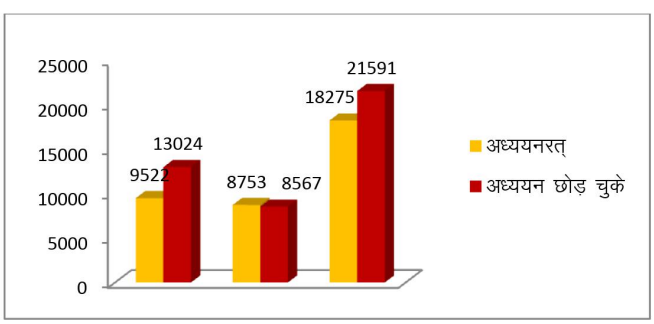

उपरोक्तानुसार बैगा जनजाति मे कुल 39866 व्यक्ति किसी न किसी स्तर तक शिक्षित है, जिसमें 22546 पुरूष एवं 17320 महिलाएं है।

5. बैगा जनजाति मे शालागामी उम्र समूह (7–14) में साक्षरता

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में शालागामी उम्र समूह 7–14 वर्ष की साक्षरता दर का विवरण निम्नांकित है –

तालिका क्रमांक 18

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा मे शालागामी उम्र 7–14 में साक्षरता

क्र.	शालागामी उम्र 7–14 में साक्षरता					
	पुरूष		स्त्री		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	7702	90.86	7174	88.45	14876	89.68
7–14 उम्र समूह की कुल जनसंख्या 16588 (पुरूष 8477 एवं स्त्री 8111)						

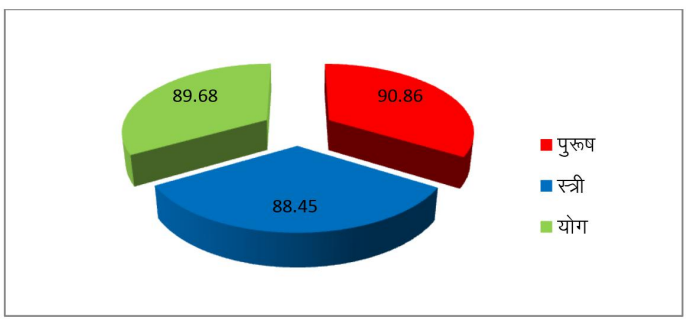

उपरोक्तानुसार बैगा जनजाति में 7–14 वर्ष उम्र समूह की तालिका क्रमांक 07 अनुसार कुल जनसंख्या 16588 है, जिसमे पुरूष जनसंख्या 8477 एवं स्त्री जनसंख्या 8111 है। तद्नुसार उपरोक्त तालिका के अनुसार बैगा जनजाति के 7–14 वर्ष उम्र समूह में कुल साक्षरता 89.68 प्रतिशत है जिसमें बालक साक्षरता 90.86 प्रतिशत तथा बालिका साक्षरता 88.45 प्रतिशत है।

7–14 वर्ष उम्र समूह की अधिक साक्षरता सर्व शिक्षा अभियान के तहत शत्प्रतिशत शाला मे नामांकन, शासन की शिक्षा संबंधी अन्य योजनाओं आदि का प्रभाव दिखाई देता है।

6. बैगा जनजाति में आंगनबाड़ी में अध्ययनरत बच्चों का विवरण

सामान्यतः आंगनबाड़ी की स्थापना गर्भवती स्त्रियों, धात्री माताओं, शिशुओं के पोषण, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं 03–06 वर्ष के आयु के बालक–बालिकाओं को औपचारिक शिक्षा के साथ–साथ पोषण आहार दिये जाने के लिये की गई है। बैगा जनजाति मे औपचारिक शिक्षा हेतु 03–06 वर्ष उम्र समूह के बालक–बालिकाएं जो आंगनबाड़ी जाते है, का विवरण निम्नांकित है –

तालिका क्रमांक 19

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा मे आंगनबाड़ी में अध्ययनरत बालक–बालिका

क्र.	आंगनबाड़ी में अध्ययनरत बालक–बालिका					
	बालक		बालिका		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2129	42.81	2261	45.01	4390	43.92

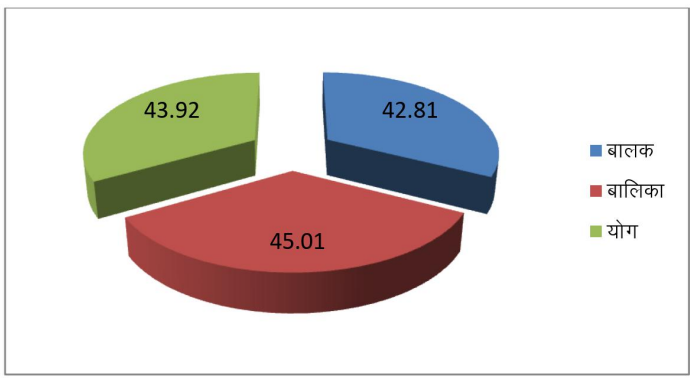

बैगा जनजाति में 3–6 वर्ष उम्र समूह की कुल जनसंख्या 9996 है जिसमें बालकों की जनसंख्या 4973 एवं बालिकाओं की जनसंख्या 5023 है। उक्त उम्र समूह मे 57.09 प्रतिशत बालक–बालिकाएं औपचारिक शिक्षा हेतु आंगनबाड़ी जाते है। जिसमे 55.57 प्रतिशत बालक एवं 58.59 प्रतिशत बालिका है।

==0==

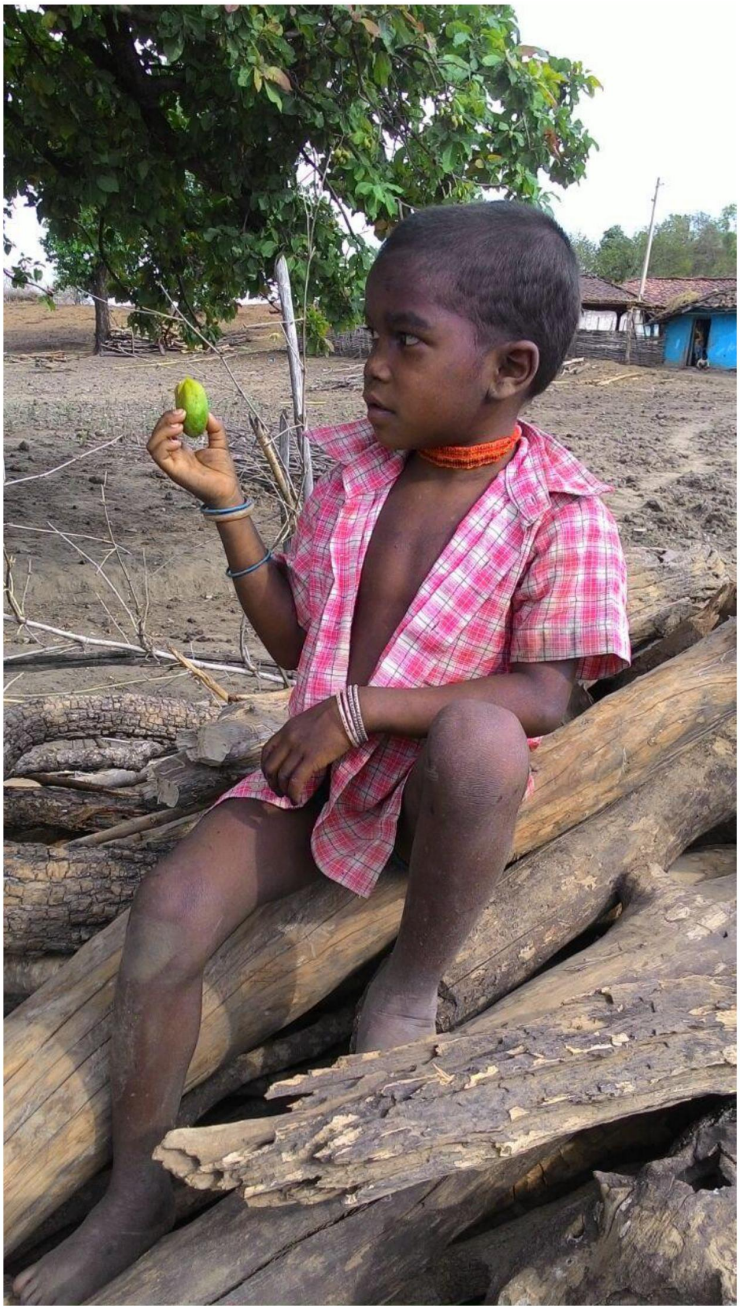

अध्याय 06

स्वास्थ्य स्थिति

विशेष पिछड़ी जनजातियों में स्वास्थ्य की स्थिति का अध्ययन एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इन समुदायों का स्वास्थ्यगत पहलुओं का पृथक से अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। किन्तु वर्तमान आधारभूत सर्वेक्षण में विशेष पिछड़ी जनजातियों के स्वास्थ्य के संबधं में सामान्य जानकारियां प्राप्त की गयी हैं।

जनजातियों विशेष कर विशेष पिछड़ी जनजातियों का स्वास्थ्य उनके भौगोलिक निवास क्षेत्रों, अधोसंरचनात्मक स्वास्थ्य सुविधाओं, प्रचलित मान्यताओं, विश्वासों, सामाजिक–सांस्कृतिक स्थिति, परंपरागत रोगोपचार पद्धति आदि कारकों द्वारा निर्धारित होती है। उपरोक्त कारकों के अध्ययन के बिना जनजातीय स्वास्थ्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता है।

जनजातीय स्वास्थ्य संबंधी अवधारणा में सामान्यतः दैवीय शक्तियों का प्रकोप, **जादू–टोना, नजर लगना, पूर्वज देवी–देवताओं का नाराज होना, प्राकृतिक शक्तियां** आदि को अस्वस्थ्यता का कारक माना जाता है, जिसके आधार पर जनजातीय समाज अपने परंपरागत लोक चिकित्सकों यथा **बैगा, गुनिया, सिरहा, झाखर आदि द्वारा तंत्र, मंत्र, नाड़ी, झाड़–फूंक** आदि के माध्यम से रोगोपचार किया जाता है।

उपरोक्त उपचार पद्धति के अतिरिक्त जनजातीय समुदायों में वनौषधीय चिकित्सा पद्धति विद्यमान है जो अत्यधिक प्रभावी चिकित्सा पद्धति है तथा जिसका समर्थन वर्तमान वैज्ञानिक पद्धति द्वारा भी किया जाता है।

जनजातियों में किसी रोगों के उपचार के लिए जनजातीय समुदायों द्वारा अपने परंपरागत स्थानीय लोक चिकित्सकों पर अत्यधिक विश्वास किया जाता है। लोक चिकित्सकों को परंपरागत ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित होता है तथा अपने स्थानीय वनौषधीय संसाधनों का ज्ञान भी होता है। अपने पारंपरिक ज्ञान से रोगों का लक्षणों के आधार पर उपचार करते हैं। जनजातियों के उत्तम स्वास्थ्य हेतु शासन द्वारा चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, उचित माध्यमों से प्रचार–प्रसार तथा उनके सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए आधुनिक चिकित्सा पद्धति के प्रति विश्वास एवं स्वीकार्यता में वृद्धि किया जाना आवश्यक है।

बैगा जनजाति में उपचार प्राथमिकता –

बैगा जनजाति में रोग या अस्वस्थ्यता की स्थिति में उपचार कराने की प्राथमिकता क्रम का विवरण निम्नानुसार है –

क्र.	विवरण	प्रथम प्राथमिकता क्रम	परिवार	
			संख्या	प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	घरेलू उपचार	**प्रथम**	13576	55.21
2	भगत बैगा, गुनिया	द्वितीय	17912	72.85
3	वनौषधीय उपचारक वैद्य	तृतीय	7136	29.02
4	योग्यताधारी चिकित्सक	चतुर्थ	22882	93.06
कुल परिवार – 24589				

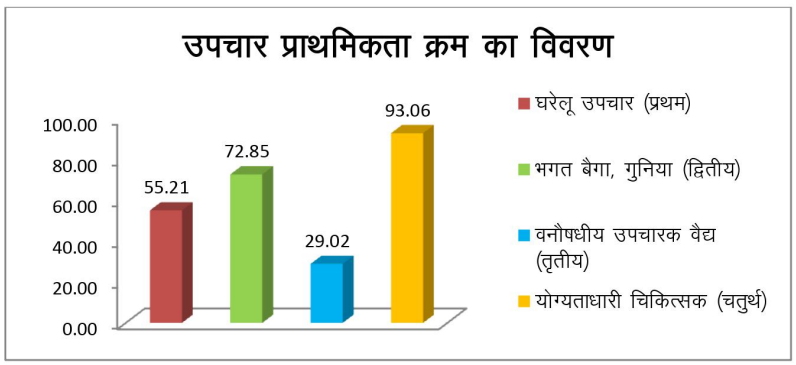

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है जनजातीय समाज स्वास्थ्यगत कारणों से अलौकिक शक्तियों पर अत्यधिक विश्वास करते हैं। अस्वस्थ्यता की स्थिति में 55.21 प्रतिशत परिवार घरेलू उपचार पद्धति का उपयोग करते हैं। 72.85 प्रतिशत परिवार उपचार हेतु पारंपरिक लोक चिकित्सकों भगत बैगा, गुनिया से उपचार को प्राथमिकता देते हैं। 29.02 प्रतिशत परिवार वनौषधीय उपचारक वैद्य की सहायता प्राप्त करते हैं तथा उक्त क्रम के अंतिम में 93.06 प्रतिशत परिवारों द्वारा आधुनिक या योग्यताधारी चिकित्सक की सेवा प्राप्त करने की जानकारी दी गयी है।

विभिन्न रोग/अस्वस्थ्यता से पीड़ित सदस्य

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में सर्वेक्षण के दौरान गत् 01 वर्ष में मलेरिया, सर्दी, खांसी एवं सामान्य बीमारियों से ग्रसित पाये गये। शासन द्वारा इनके स्वास्थ्य/उपचार हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

==0==

अध्याय 07
सामाजिक – आर्थिक स्थिति

आदिम समाज हो या ग्रामीण समाज या शहरी हो उसे समाज में अपना अस्तित्व बनाये रखने आवास, भोजन एवं वस्त्र जैसी महत्वपूर्ण साधनों की आवश्यकता होती है। इन सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने उसे कुछ न कुछ उपलब्ध संसाधनों से आर्थिक क्रिया–कलाप में सहभागिता देनी होती है।

जनजाति विशेषकर विशेष पिछड़ी जनजातियां दूर–दराज के क्षेत्रों, सघन वनो एवं पहाड़ियों में निवास करती है अतः इनके आवास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से निर्मित होते है वही रोजगार के अवसर भी अपर्याप्त होने व प्रकृति (वनों) से निकट का संबंध होने के कारण इनकी अर्थव्यवस्था वनो के इर्द–गिर्द ही अधिक रहती है।

शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कारण मजदूरी आदि के रूप में इन्हें रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे है, वही इन्दिरा आवास योजना आदि के माध्यम से स्थायी आवास भी उपलब्ध हुये है, पूर्व में विशेष पिछड़ी जनजातियां झूम अथवा स्थानांतरित कृषि पर जीवन निर्वाह करते थे तो उनकी बसाहट भी अस्थायी प्रकृति की होती थी।

उक्त अध्याय में बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के आवास एवं आर्थिक क्रिया कलापों का वर्णन किया गया है।

स्वयं के आधिपत्य के आवास

किसी भी परिवार को अपने जीवन एवं आर्थिक क्रियाकलापों और परिवार संचालन के लिये आवास की आवश्यकता होती है, बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में आवास के स्वामित्व का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. 22

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा में स्वयं के आवास की स्थिति

क्र.	आवास स्वामित्व विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	स्वयं का	23807	96.82
2	स्वयं का नही	782	03.18
योग		**24589**	**100.00**

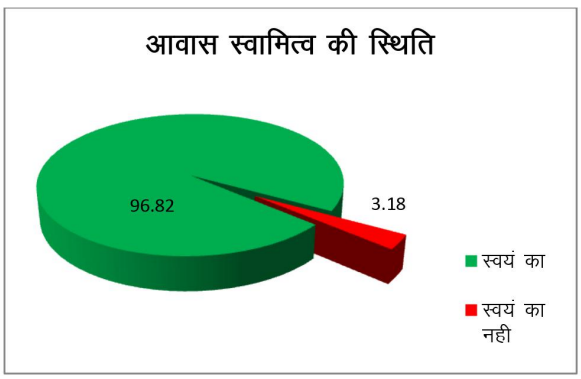

उपरोक्तानुसार बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों में से 96.82 प्रतिशत (N=23807) परिवारों के पास स्वयं के आवास है वही शेष 03.18 प्रतिशत (N=782) परिवार के आवास स्वयं का नही होना बताया गया। ऐसे परिवार किन्ही कारणों से अस्थायी रूप से अपने सगे–संबंधियों के आवास में रह रहे है।

आवास में कक्षो की संख्या

प्रायः जनजातीय क्षेत्रों में सीमित कक्ष ही आवश्यकतानुसार बनाये जाते है तथा आवास के सामने की खाली जगह (आंगन) का उपयोग बहुतायत से अन्य कार्यों हेतु किया जाता है, इनके आवासों में एक परछी (बरामदा) एवं 2 या 3 अन्य कमरे प्रायः निर्मित किये जाते है। रसोई सामान्यतः परछी के एक छोर में ही होती है, अंदर का कक्ष देवी–देवताओं व अनाज भण्डार के लिए कोठी आदि होती है।

बैगा जनजाति के आवासों में कक्षों की उपलब्धता निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. 23
विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के आवास में कक्षो की स्थिति

क्र.	कक्ष संख्या	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	01 कक्ष	7315	29.75
2	02–03 कक्ष	15805	64.28
3	04–05 कक्ष	948	03.86
कुल परिवार – **24589**			

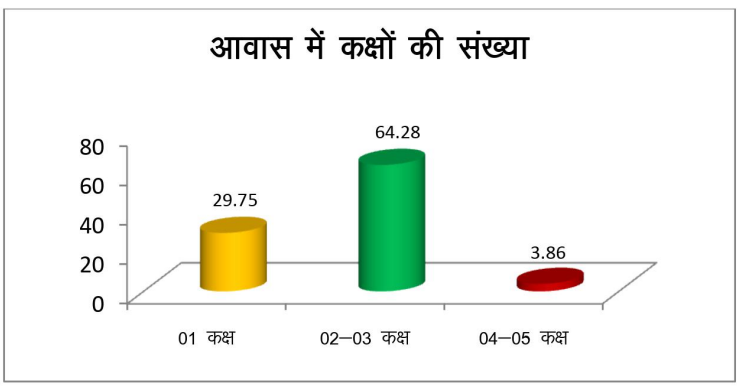

उपरोक्तानुसार बैगा जनजाति के आवासों में कक्षों की संख्या परिवार के सदस्यों एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्मित किये जाते है। बैगा जनजाति में 29.75 प्रतिशत (N=7315) परिवारों के आवास एकल कक्षीय पाये गये जबकि 64.28 प्रतिशत (N=15805) परिवारों के आवास में 2–3 कक्ष पाये गये। वहीं 03.86 प्रतिशत (N=948) बैगा परिवारों के घर में 4–5 कक्ष भी पाये गये है।

आवासीय योजना से लाभान्वयन –

शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ आदिवासी क्षेत्रों के लिये भी पंचायत के माध्यम से हितग्राही परिवारों को विभिन्न आवासीय योजना के माध्यम से आवास उपलब्ध कराये गये है। बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में योजनाओं के माध्यम से प्राप्त आवासों का विवरण निम्नानुसार है जिस पर उनका स्वामित्व है :–

तालिका क्र. 24

आवासीय योजना से लाभान्वयन की स्थिति

क्र.	विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	स्वयं का	14185	59.58
2	योजना (इंदिरा आवास)	9622	40.42
योग		**23807**	**100.00**

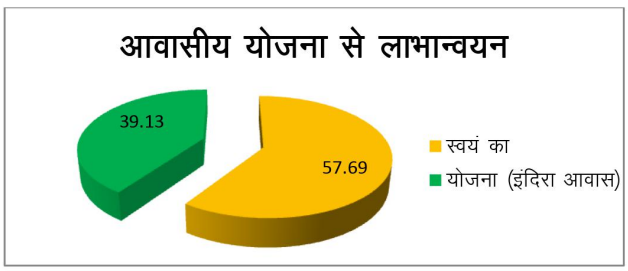

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि बैगा जनजाति के 59.58 प्रतिशत परिवार स्वयं के आवास पर निवासरत है, जबकि 40.42 प्रतिशत परिवारों को इंदिरा आवास अथवा प्रधानमंत्री आवास योजना आदि से आवास प्राप्त हुए है।

आवास आबंटन वर्ष

शासन द्वारा पंचायतों के माध्यम से विभिन्न वर्षो में आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत किये गये है। बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में भी भिन्न–भिन्न वर्षों में आवास स्वीकृत किये गये है वही अनेक परिवार योजना के तहत ऐसे आवासों में निवासरत है जो उनके पिता आदि को 15–20 वर्ष पूर्व आबंटित हुये थे। बैगा जनजाति में योजनांतर्गत प्राप्त आवासों की अवधि का विवरण निम्नांकित है :–

तालिका क्र. 25

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा में आवास आबंटन वर्ष

क्र.	प्रदत्त आवास की अवधि	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	5 वर्ष से कम	1119	11.63
2	5–10 वर्ष	3787	39.36
3	10–15 वर्ष	2115	21.98
3	15–20 वर्ष	1360	14.13
3	20 वर्ष से अधिक	1241	12.90
योग		**9622**	**100.00**

उपरोक्त तालिका अनुसार योजनान्तर्गत आवास प्राप्त बैगा विशेष पिछड़ी जनजातियों के हितग्राही परिवारों में से 12.90 प्रतिशत परिवारों के आवास आबंटन 20 वर्ष पूर्व के, 14.13 प्रतिशत परिवारों के आवास 15–20 वर्ष पूर्व, 21.98 प्रतिशत परिवारों को 10–15 वर्ष पूर्व, 39.36 प्रतिशत परिवारों को 5–10 वर्ष पूर्व एवं शेष 11.63 प्रतिशत परिवारों के आवास 5 वर्ष की अवधि में आवास आबंटन प्राप्त हुये है।

आवास प्रकार

आवास प्रायः कच्चे, पक्के, अर्द्ध पक्के प्रकार में वर्गीकृत किये जाते है, जनजातीय क्षेत्रों में आवास स्थानीय स्त्रोत से प्राप्त संसाधनो यथा मिट्टी, ईट, लकड़ी, बांस, घास–फूस की छत आदि से आवश्यकतानुसार निर्मित किये जाते है।

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के आवास का विवरण निम्नानुसार हैः–

दीवाल का प्रकार

बैगा जनजाति के आवास में दीवाल का प्रकार निम्नानुसार हैः–

तालिका क्र. 26
विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आवास में दीवार का प्रकार

क्र.	दीवार का प्रकार	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	मिट्टी	19080	77.60
2	मिट्टी एवं बांस	842	03.42
3	मिट्टी एवं लकड़ी	859	03.49
4	अर्द्ध पक्का	3023	12.29
5	पक्का	650	02.64
कुल परिवार – 24589			

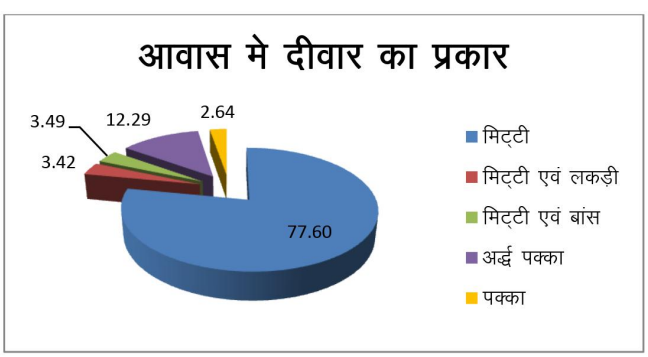

उपरोक्तानुसार बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में सर्वाधिक 77.60 प्रतिशत (N=19080) परिवारों के आवास की दीवालें मिट्टी की, 03.42 प्रतिशत (N=842) परिवारों के आवास की दीवाले मिट्टी एवं बांस की, 03.49 प्रतिशत (N=859) परिवारों के आवास की दीवाले मिट्टी एवं लकड़ी की निर्मित है। वहीं 12.29 प्रतिशत (N=3023) आवासों की दीवारें अर्द्धपक्के एवं 02.29 प्रतिशत (N=650) परिवारों के आवासों की दीवारे पक्के पाये गये है।

छत का प्रकार

बैगा जनजाति के आवास में छतों का प्रकार निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. 27
विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आवास में छत का प्रकार

क्र.	छत का प्रकार	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	घास–फूंस	3007	12.23
2	खपरैल	20854	84.81
3	एस्ब्रेस्टस	326	01.33
4	सीमेंट एवं कांक्रीट	277	01.13
कुल परिवार – 24589			

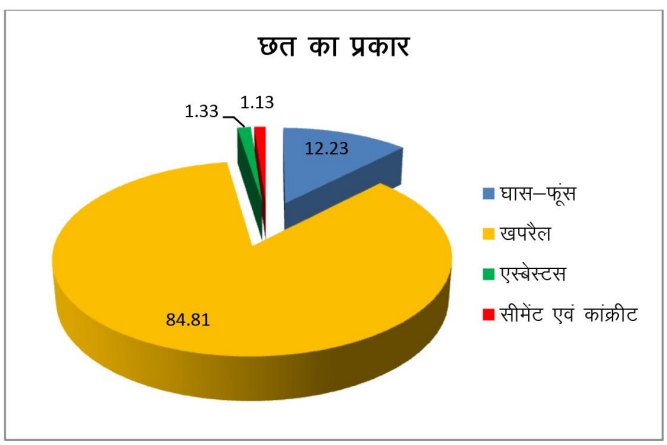

उपरोक्तानुसार बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के सर्वाधिक 84.81 प्रतिशत आवास की छत खपरैल की, 12.23 प्रतिशत आवासों की छत घास–फूस या खद्दर की, 01.33 प्रतिशत परिवारों

के आवास की छत एस्बेस्ट्स की एवं मात्र 01.13 प्रतिशत परिवारों के आवास की छत सीमेंट एवं कांक्रीट का होना पाया गया।

फर्श का प्रकार

बैगा जनजाति के आवास की फर्श (Floor) का प्रकार निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. 28

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आवास में फर्श का प्रकार

क्र.	फर्श का प्रकार	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	कच्चा (मिट्टी)	23312	94.81
2	अर्द्ध पक्का (आंशिक)	492	02.01
3	पक्का	593	02.41
कुल परिवार – 24589			

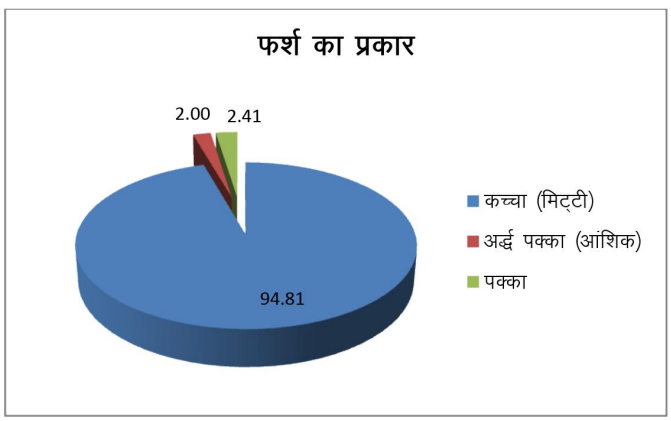

उपरोक्तानुसार बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के 94.81 प्रतिशत परिवारों के आवास की फर्श मिट्टी की या कच्चे प्रकृति की है वही 02.01 प्रतिशत परिवारों के आवास की फर्श अर्द्धपक्की (पत्थर स्लेब या सीमेंट फ्लोरिंग) की एवं 02.41 प्रतिशत परिवारों के फर्श पक्के पाये गये।

घर का निवास क्षेत्र

बैगा जनजाति के आवास सामान्यतः अपेक्षाकृत छोटे होते है तथा उनके पास दैनिक आवश्यकताओं की सीमित वस्तुएं रहती है इनके घर की निवास क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:–

तालिका क्र. 29

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा में घर का निवास क्षेत्र

क्र.	निवास क्षेत्र (वर्ग फीट में)	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	300 से कम	11879	48.31
2	300 से 500	5921	24.08
3	500 से अधिक	6789	27.61
कुल परिवार – 24589			

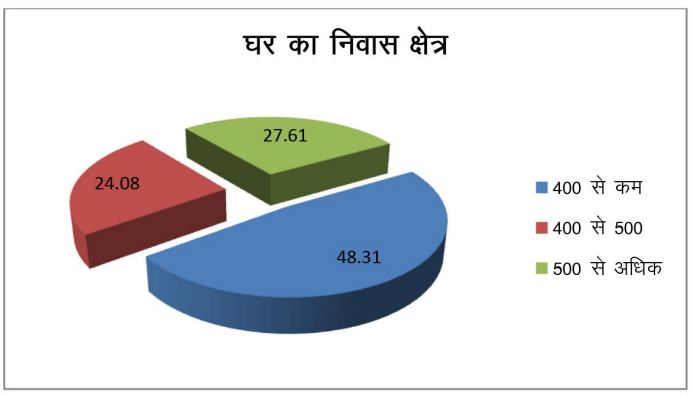

उपरोक्तानुसार बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के 48.31 प्रतिशत (N=11879) परिवारो के आवास का क्षेत्रफल 300 वर्गफूट से कम, 24.08 प्रतिशत (N=5921) परिवारों के आवास का क्षेत्रफल 300–500 वर्गफूट तक पाया गया। शेष 27.61 प्रतिशत (N=6789) बैगा परिवारों के आवास का क्षेत्रफल 500 वर्गफूट से अधिक का पाया गया।

कार्यशीलता

जनजातीय समाजो की अर्थव्यवस्था सामान्यतः संग्रह की अर्थव्यवस्था न होकर जीविकोपार्जन की होती है, आदिवासी अर्थव्यवस्था में परिवार उत्पादकता की ईकाई है जहां परिवार के समस्त सदस्य आपस में मिलकर ईकाई की भांति अपने–अपने कार्यों को संपादित करते है, कार्य प्रकृति अनुसार आदिम जीवन में कार्यों को पारिवारिक या घरेलू कार्य एवं आर्थिक उपार्जन के कार्य के रूप में विभक्त किया जा सकता है।

आर्थिक कार्यो में व्यक्तियों की संलग्नता के आधार पर उसकी कार्यशीलता निर्धारित की जाती है किसी भी समाज में अकार्यशील, कार्यशील एवं आंशिक कार्यशील सदस्य होते है।

कार्यशील एवं आंशिक कार्यशील व्यक्ति/सदस्य ही परिवार की अर्थव्यवस्था के मुख्य वाहक माने गये है।

कार्यशील अथवा आंशिक कार्यशील सदस्यों की गणना प्रायः 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे, वृद्ध सदस्य एवं निःशक्तजनों को छोड़कर शेष जनसंख्या पर की जाती है।

अतः उपरोक्तानुसार बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल स्त्री–पुरूष जनसंख्या में से कार्यशील जनसंख्या का वर्गीकरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. 30

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा में कार्यशील जनसंख्या का विवरण

क्र.	विवरण	कार्यशील जनसंख्या					
		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	कार्यशील जनसंख्या	**22217**	**50.04**	**16632**	**37.87**	**38849**	**43.99**

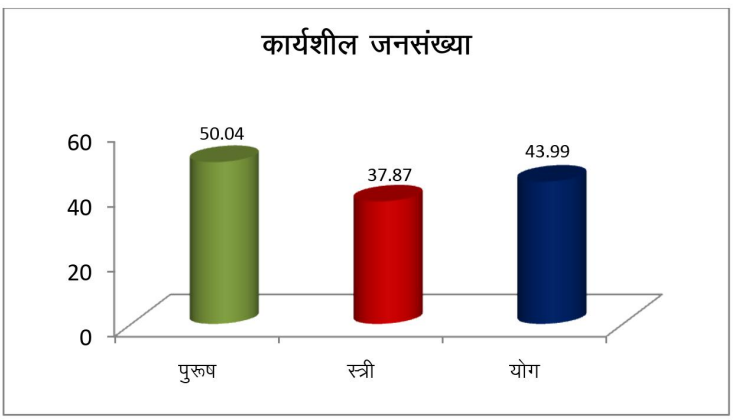

उपरोक्तानुसार बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल जनसंख्या 88317 (पुरूष 44402 एवं स्त्री 43915) में से 43.99 प्रतिशत (N=38849) जनसंख्या कार्यशील है जिसमें 50.04 प्रतिशत (N=22217) पुरूष एवं 37.87 प्रतिशत (N=16632) स्त्री कार्यशील जनसंख्या है जो सक्रिय रूप से परिवार के भरण–पोषण हेतु आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता हेतु प्रयासरत होते है।

व्यवसायिक वर्गीकरण

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के परम्परागत अर्थोपार्जन के साधन में **परम्परागत कृषि, वनोपज संग्रहण, मत्स्याखेट, बांस बर्तन सह रस्सी निर्माण** के साथ–साथ **मजदूरी** अथवा **कृषि मजदूरी** का कार्य कर अपना जीवकोपार्जन करते है।

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति की आर्थिक संलग्नता को प्राथमिक अथवा मुख्य व्यवसाय एवं द्वितीयक अथवा गौण व्यवसाय में विभक्त किया गया है। जिससे प्राप्त आय से वे अपनी आजीविका व परिवार का भरण–पोषण करते है। बैगा जनजाति में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक अथवा मुख्य व्यवसाय में व्यक्तियों की संलग्नता का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. 31
विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा परिवारों की प्राथमिक व्यवसाय में संलग्नता

क्र.	विवरण	संलग्न व्यक्ति					
		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	कृषि	14891	67.03	8994	54.08	23885	61.48
2	वनोपज	769	03.46	866	05.21	1635	04.21
3	मजदूरी	5140	23.14	5409	32.52	10549	27.15
4	सेवा / नौकरी	103	00.46	68	00.41	171	00.44
5	बांस बर्तन, रस्सी निर्माण आदि	418	01.88	399	02.40	817	02.10
6	अन्य	896	04.03	986	05.39	1792	04.61

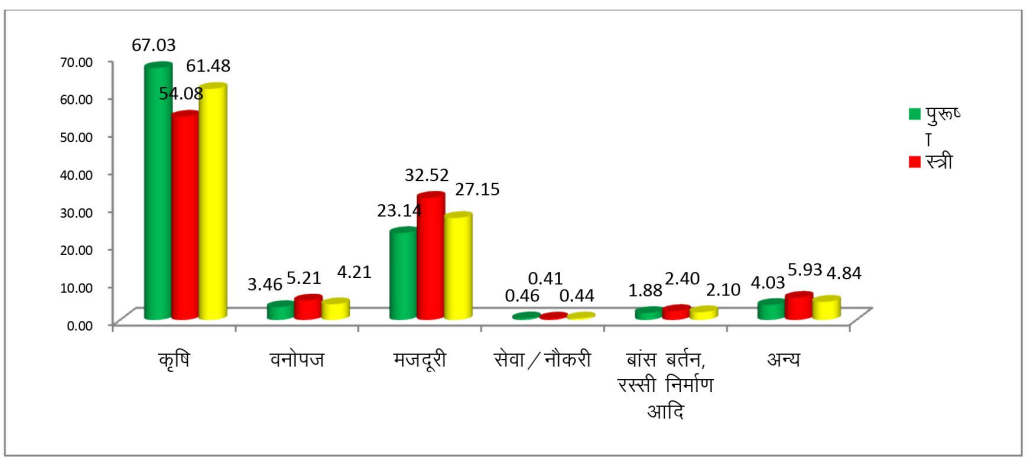

उपरोक्तानुसार बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल कार्यशील जनसंख्या में से सर्वाधिक 61.48 प्रतिशत व्यक्ति कृषि कार्य, 27.15 प्रतिशत व्यक्ति मजदूरी कार्य, 04.21 प्रतिशत

व्यक्ति वनोपज संग्रहण, 02.10 प्रतिशत व्यक्ति बांस बर्तन एवं रस्सी निर्माण, 04.61 प्रतिशत व्यक्ति अन्य कार्य जैसे– पशुपालन, सब्जी विक्रय, किराना दूकान आदि को व 00.44 प्रतिशत व्यक्ति सेवा/नौकरी को अपना प्राथमिक (मुख्य) व्यवसाय होने की जानकारी दी।

इसी प्रकार बैगा जनजाति में द्वितीयक अथवा गौण व्यवसाय में संलग्नता का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. 32

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा परिवारों की द्वितीयक व्यवसाय में संलग्नता

क्र.	विवरण	संलग्न व्यक्ति					
		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	कृषि	2267	10.20	1660	09.98	3927	10.11
2	वनोपज	2897	13.04	2253	13.55	5150	13.26
3	मजदूरी	14644	65.91	10232	61.52	24876	64.03
4	सेवा/नौकरी	45	00.20	36	00.22	81	00.21
5	बांस बर्तन रस्सी निर्माण आदि	177	00.80	165	00.99	342	00.88
6	अन्य	134	00.60	124	00.75	258	00.66

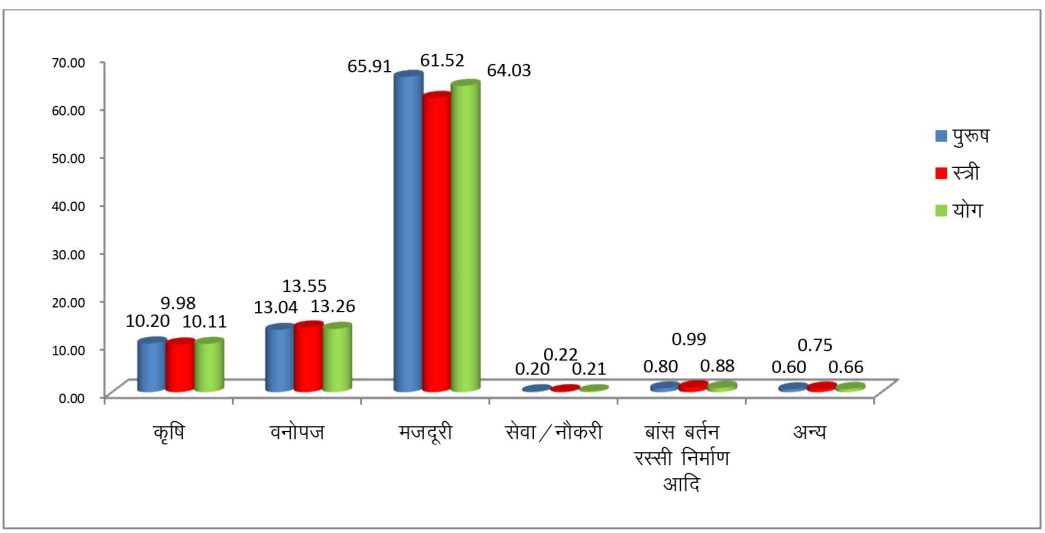

उपरोक्तानुसार बैगा जनजाति में सर्वाधिक 64.03 प्रतिशत कार्यशील व्यक्तियों द्वारा मजदूरी कार्य को मुख्य रूप से द्वितीयक (गौण) व्यवसाय बताया। 13.26 प्रतिशत व्यक्तियों ने वनोपज संग्रहण को, 10.11 प्रतिशत व्यक्तियो ने कृषि को, 00.88 प्रतिशत व्यक्तियों ने बांस बर्तन एवं

रस्सी निर्माण को, एवं 00.66 प्रतिशत व्यक्तियों ने अन्य कार्यो को द्वितीयक (गौण) व्यवसाय के रूप में कार्य करना बताया। मात्र 0.21 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा नौकरी/सेवा कार्य को द्वितीयक अथवा गौण व्यवसाय के रूप में करना बताया गया।

रोजगार हेतु मानव दिवस की संख्या

जनजातियों में सामान्यतः उनकी सीमित आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रमुख साधन के रूप में परम्परागत **आदिम तकनीक की कृषि, वनोपज संकलन, शिकार, मत्स्याखेट, कला–कौशल का ज्ञान रखने वाले बांस–बर्तन, झाड़ू, रस्सी** आदि के निर्माण को प्राथमिकता देते है, किन्तु समय के साथ–साथ उनके व परिवार की अन्य आर्थिक आवश्यकताओं में भी वृद्धि हो रही है, अतः उन्हें उपरोक्त आर्थिक उपार्जन के स्त्रोतो के अलावा मजदूरी/कृषि मजदूरी जैसे कार्य भी मिलते है जिससे उनकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है।

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के कार्यशील व्यक्तियों को एक वर्ष में प्राप्त रोजगार हेतु मानव दिवसों की संख्या का विवरण निम्नांकित है :–

तालिका क्र. 33

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा में कार्यशील व्यक्तियों को प्राप्त रोजगार मानव दिवसो की संख्या का विवरण

क्र.	विवरण	रोजगार प्राप्त व्यक्ति					
		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2 या 2 माह से अधिक का रोजगार	11317	57.65	8315	43.35	19632	50.53

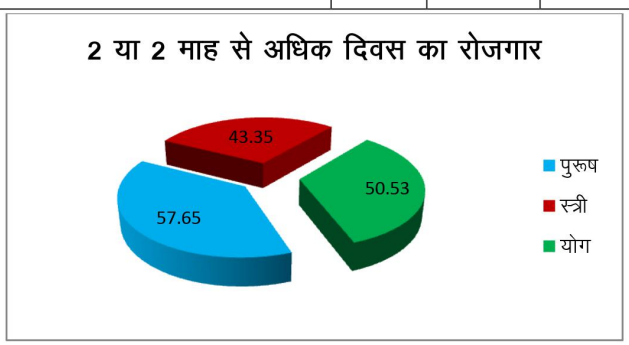

उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि, बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल कार्यशील जनसंख्या 38849 (पुरूष 22217, स्त्री 16632) में से 49.47 प्रतिशत (N=19632) व्यक्तियों को 2 या

2 माह से अधिक का रोजगार प्राप्त हुआ, जिसमें 57.65 प्रतिशत पुरूष एवं 43.35 प्रतिशत महिलाएं संलग्न रही।

उपरोक्त रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का मानव दिवस में प्राप्त रोजगार का वितरण निम्नांकित है :–

तालिका क्र. 34

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा में कार्यशील व्यक्तियों को प्राप्त रोजगार मानव दिवसो की संख्या का विवरण

क्र.	विवरण	रोजगार प्राप्त व्यक्ति					
		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	02 माह से कम	10900	49.06	8317	50.01	19217	49.47
2	2–4 माह	4219	18.99	3676	22.10	7895	20.32
3	5–6 माह	1974	08.86	1547	09.30	3521	09.06
4	6 माह से अधिक	4417	19.88	2844	17.10	7261	18.69
5	वर्ष पर्यन्त	707	03.18	248	01.49	955	02.46
योग		**22217**	**100.00**	**16632**	**100.00**	**38849**	**100.00**

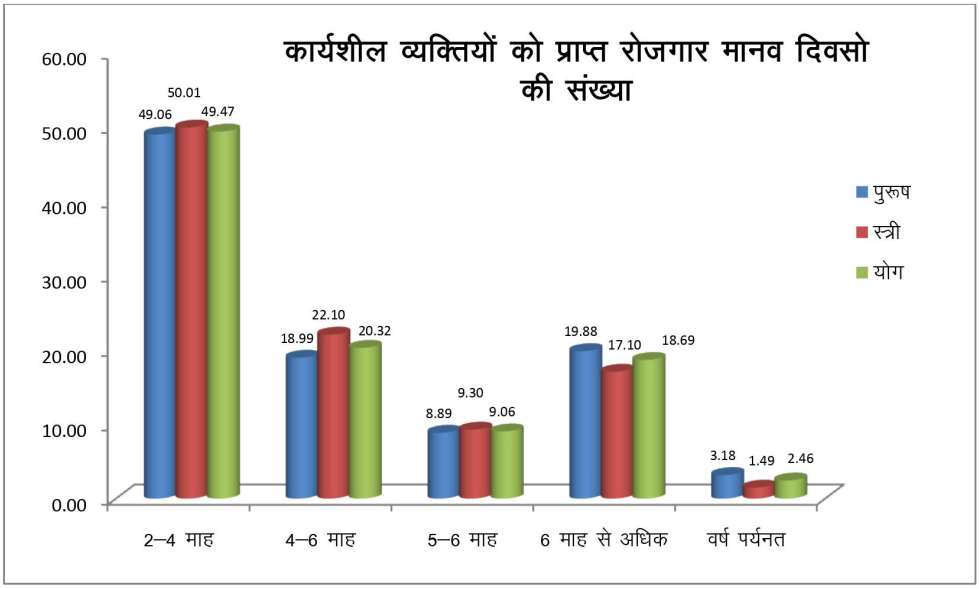

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 2 माह से कम रोजगार प्राप्त करने वाले बैगा कार्यशील जनसंख्या 49.47 प्रतिशत (N=19217) में पुरूष 49.06 प्रतिशत एवं महिला 50.01 प्रतिशत

व्यक्तियों को 02 माह से कम रोजगार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 20.32 प्रतिशत कार्यशील जनसख्या (N=7895) व्यक्तियों को 2–4 माह के मानव दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ जिसमें 18.99 प्रतिशत पुरूष एवं 22.10 प्रतिशत महिला है।

5–6 माह का रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या 09.06 प्रतिशत (N=3521) है जिसमें 08.86 प्रतिशत पुरूष एवं 09.30 प्रतिशत स्त्री जनसंख्या की संलग्नता रही।

6 माह से अधिक का रोजगार प्राप्त करने वाले कार्यशील सदस्यों की संख्या 18.69 प्रतिशत (N=7261) है जिसमें पुरूष संख्या 19.88 प्रतिशत एवं स्त्री संख्या 17.10 प्रतिशत है।

बैगा जनजाति के कुछ परिवारों को वर्ष पर्यन्त का रोजगार प्राप्त होता है तालिका से ज्ञात होता है कि वर्ष पर्यन्त तक रोजगार प्राप्त कार्यशील सदस्यों की जनसंख्या 02.46 प्रतिशत (N=955) है जिसमें पुरूष संख्या 03.18 प्रतिशत एवं स्त्री संख्या 01.49 प्रतिशत है।

भूमि धारिता

जनजातियां विशेषकर विशेष पिछड़ी जनजातियां अनेको वर्षों से अपने बसाहट क्षेत्रों के वनो में निवास कर रही है। जंगली कंदमूल, वनोपज संकलन, परम्परागत व्यवसाय आदि के साथ–साथ कृषि कार्य भी करते है। सर्वेक्षित बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में भूमि धारिता निम्नांकित है:–

तालिका क्र. 35
बैगा जनजाति में स्वयं के आधिपत्य की भूमिधारिता

क्र.	विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	भूमिधारक (स्वयं के आधिपत्य एवं अतिक्रमित)	13709	55.75
2	भूमिहीन	10880	44.25
योग		**24589**	**100.00**

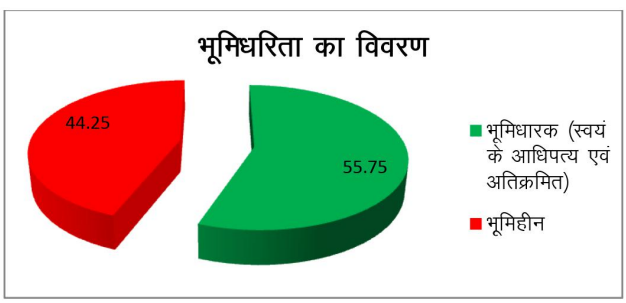

उपरोक्तानुसार बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के 55.75 प्रतिशत परिवार भूमिधारक है, शेष 44.25 प्रतिशत परिवार भूमिहीन पाये गये है।

भूमि का प्रकार

जनजातियों के कृषियुक्त रकबे से अपेक्षाकृत कम उत्पादन का मुख्य कारण उनकी कृषि की परम्परागत तकनीक, आधुनिक खाद–बीज का उपयोग न करना, पर्याप्त मानव संसाधन श्रम की अनुपलब्धता आदि के साथ–साथ कृषि भूमि का असिंचित होना या सिंचाई की सुविधा का न होना है। बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के भूमि धारक परिवारों में उनकी कृषि भूमि का प्रकार निम्नांकित हैः–

तालिका क्र. 36
बैगा जनजाति में भूमि का प्रकार

क्र.	विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	सिंचित	1293	09.43
2	असिंचित	12416	90.57
योग		**13709**	**100.00**

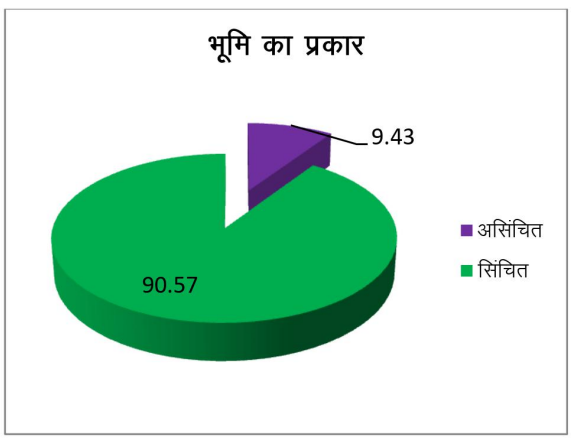

उपरोक्तानुसार बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के भूमि धारक 13709 (55.75 प्रतिशत) परिवारों में से सर्वाधिक 90.57 प्रतिशत परिवारों की कृषि भूमि असिंचित प्रकार की है। केवल 09.43 प्रतिशत परिवारों की भूमि ही सिंचित अथवा सिंचित प्रकार की है।

स्वयं के आधिपत्य की भूमि का रकबा

बैगा जनजाति में स्वयं के आधिपत्य की कृषि भूमि का भूमिधारक परिवारें में उपलब्ध रकबे का विवरण निम्नलिखित हैः–

तालिका क्र. 37
स्वयं के आधिपत्य की भूमि का विवरण

क्र.	स्वयं के आधिपत्य की भूमि का विवरण	रकबा (एकड़)	स्वयं के आधिपत्य वाले भूमिधारक परिवार संख्या	प्रति परिवार औसत भूमिधारिता (एकड़)
1	असिंचित	28534.13	12416	02.30
2	सिंचित	3449.51	1293	02.67
योग		**31983.64**	**13709**	**02.33**

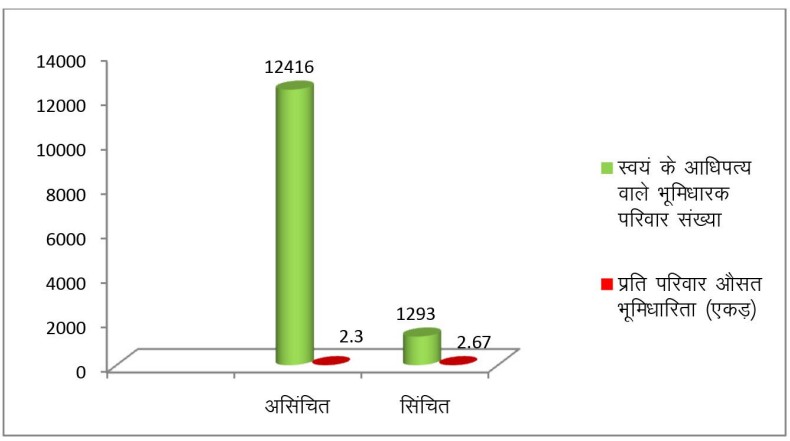

उपरोक्तानुसार बैगा जनजाति में स्वयं के आधिपत्य वाले भूमि धारकों के परिवारों की संख्या 13709 है, जिसमें से 12416 परिवारों के पास कुल 28534.13 एकड़ की असिंचित कृषि भूमि है जो प्रति परिवार औसतन 02.30 एकड़ है।

स्वयं के आधिपत्य वाले शेष 1293 भूमिधारक बैगा परिवारों में कुल 3449.51 एकड़ की सिंचित कृषि भूमि है, जो प्रति परिवार औसतन 02.67 एकड़ है।

समग्र रूप से स्वयं के आधिपत्य वाले बैगा भूमिधारक परिवारों (N=13709) में सिंचित एवं असिंचित दोनो ही प्रकार की कुल कृषि भूमि का रकबा 31983.64 एकड़ है जो भूमि धारक परिवारों में औसतन प्रति परिवार 02.33 एकड़ है।

बेवर (झूम) कृषि पर निर्भरता

विशेष पिछड़ी जनजातियां पूर्व में झूम कृषि अथवा स्थानांतरित कृषि पर निर्भर थी, भारत सरकार द्वारा भी अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट मापदण्डों के आधार पर विशेष पिछड़ी जनजातियां (PVTGs) घोषित करते समय स्थानांतरित कृषि को भी एक मापदण्ड के रूप में रखा गया था।

पूर्ववर्ती शासकीय प्रयासों से विशेष पिछड़ी जनजातियां स्थायी कृषि की ओर अग्रसर हुई है। बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति पूर्व में **"बेवर" (झूम)** कृषि करती थी। वर्तमान में दूरस्थ पहाड़ी एवं सघन वन क्षेत्रों में यदा–कदा बैगा लोग बेवर कृषि आंशिक रूप से करते है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. 38
झूम (बेवर) कृषि पर निर्भरता

क्र.	विवरण	परिवार					
		हां		नही		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	बेवर कृषि में संलग्नता	110	00.45	24479	99.55	24589	100.00

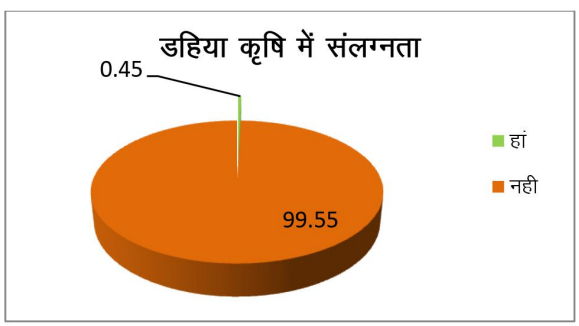

उपरोक्तानुसार बैगा जनजाति के परिवारों में से वर्तमान में केवल 00.45 प्रतिशत परिवार ही कभी–कभी आंशिक रूप से बेवर (झूम) कृषि कर रहे है 99.55 प्रतिशत परिवार स्थायी कृषि करते है।

अधिया अंतर्गत भूमि विवरण

सामान्यतः ऐसे परिवार जो कम रकबे के भूमिधारक है, अथवा भूमिहीन है तथा कृषि कार्य करने में समक्ष है उनके द्वारा किसी अन्य की कृषि भूमि आपसी संवाद के माध्यम से प्राप्त कर

उसमें कृषि उपजों का उत्पादन करता है तथा आपसी संवाद में लिये गये निर्णयानुसार उक्त भूमि पर उपज की उत्पादन मात्रा का आधा या कुछ हिस्सा भूमि स्वामी को दिया जाता है जिसे **''अधिया''** पद्धति कहा जाता है।

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में अधिया भूमि लिये गये परिवारों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका क्र. 39

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा में अधिया ली गई भूमि का विवरण

क्र.	विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	हां	745	03.03
2	नही	23844	96.97
योग		**24589**	**100.00**

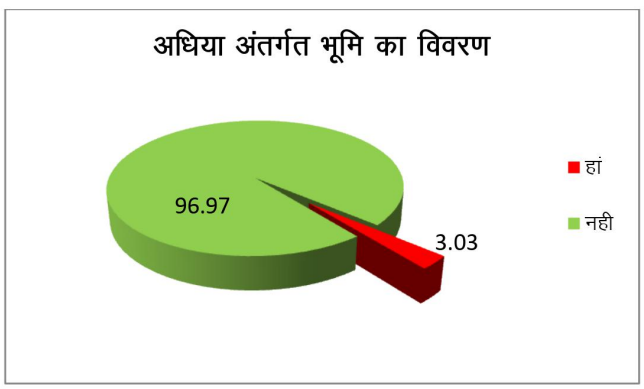

उपरोक्तानुसार बैगा जनजाति कुल परिवारों में से केवल 03.03 प्रतिशत (N=745) परिवारों द्वारा ही कृषि करने हेतु दूसरे की भूमि अधिया अंतर्गत ली है।

बंधक रखी गयी भूमि का विवरण

सामान्यतः सीमांत या लघु कृषकों द्वारा अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण के रूप में अपनी भूमि को अन्य व्यक्ति जो उनका पारिवारिक सदस्य या अन्य वर्ग को स्थानांतरित कर देता है।

नियमानुसार भू–राजस्व अधिनियम अनुसार किसी जनजाति समुदाय के व्यक्ति की भूमि गैर जनजाति के व्यक्ति के द्वारा हस्तांतरण को वैधता नही दी गई है। उक्त अधिनियम में जनजातियों की भूमि के संरक्षण के संबंध में उपाय उपबंधित किये गये है। फिर भी जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे प्रकरण यदा–कदा देखने को मिल जाते है, हांलाकि अधिकांश हस्तांतरण संबंधी प्रकरण स्वजातीय भी देखने को मिलते है।

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में बंधक रखे गये भूमि धारक परिवारो का विवरण निम्नांकित है :–

तालिका क्र. 40
बैगा जनजाति में बंधक रखे गये भूमिधारक परिवारों का विवरण

क्र.	विवरण	हॉ		नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	बंधक रखी भूमि वाले परिवार	02	00.02	13707	99.98	13709	100.00

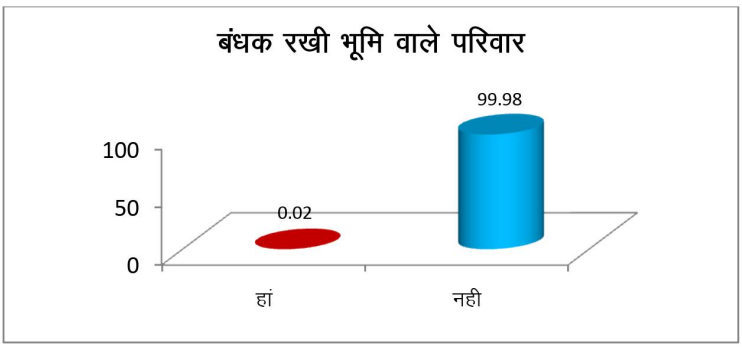

उपरोक्तानुसार बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के स्वयं के आधिपत्य वाले भूमिधारक परिवारों (N=13709) में से 0.02 प्रतिशत (N=02) परिवारों द्वारा ही अपनी कृषि भूमि अन्य के पास बंधक अथवा हस्तांतरित की गई है।

पशुधन

जनजातियों में भी सामान्यतः पशुओं को सम्पत्ति माना जाता है। बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में भी पशुओं को उनकी सामाजिक–आर्थिकी में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन पशुधन का उपयोग समय–समय पर विक्रय कर अर्थोपार्जन करने, कृषि कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठानों में पुजई एवं अतिथि सत्कार में भोज आदि हेतु किया जाता है।

बैगा जनजाति में पालतू पशुओं का विवरण निम्नांकित है :–

तालिका क्र. 41
विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा जनजाति में पशुपालन में संलग्नता

क्र.	पशुधन का प्रकार	संलग्न परिवार		पशुओं की संख्या	प्रति परिवार पशुओं की औसत संख्या
		संख्या	प्रतिशत		
1	गाय	5504	22.38	11361	02.06
2	बैल	8813	35.84	18004	02.04
3	भैस/भैंसा	908	03.69	1942	02.14
4	बकरा/बकरी–भेड़	3397	13.82	9860	02.90
5	मुर्गा/मुर्गी	5489	22.32	21163	03.86
6	सुअर	2021	08.22	13616	06.74
कुल सर्वेक्षित परिवार – 24589					

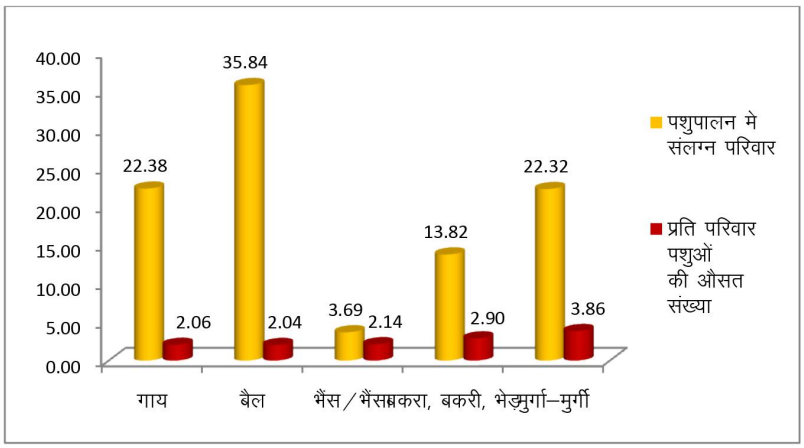

उपरोक्तानुसार बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के सर्वाधिक 35.84 प्रतिशत (N=8813) परिवारों द्वारा बैलों का पालन करते पाये गये एवं 22.38 प्रतिशत (N=5504) परिवारों द्वारा गाय का पालन किया जाता है। 22.32 प्रतिशत (N=5489) परिवारों द्वारा मुर्गा/मुर्गी का, 13.82 प्रतिशत (N=3397) परिवारों द्वारा बकरा/बकरी एवं भेड़ पालन में संलग्न पाये गये। वही केवल 08.22 प्रतिशत (N=2021) परिवारों ने सुअर का एवं 03.69 प्रतिशत परिवारों (N=908) ने भैंस/भैसा का पालन किया है।

पशुपालन में संलग्न परिवारों में प्रति परिवार औसतन लगभग 4 मुर्गा–मुर्गी, 03 बकरा–बकरी, 07 सुअर, 02–02 गाय, भैंस एवं बैल का पालन करते पाये गये है।

वृक्षो पर स्वामित्व

जनजातीय जीवनशैली में वृक्षों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, वृक्ष इन्हें प्राकृतिक वातावरण प्रदान करते है साथ ही वृक्ष इनके सामाजिक धार्मिक एवं आर्थिक जीवन का आधार रहा है।

वृक्षों से इनके जीवन की अधिकांश आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है आवास निर्माण हेतु इमारती वृक्ष जैसे **साल (सरई), आम** प्रमुख है, **फलदार वृक्षों में महुआ, कोसम, ईमली, कटहल, हर्रा, बेहड़ा, मुनगा, आंवला** आदि मुख्य है, वहीं **गोंद (लासा), परसा (पत्तल, दोना बनाने में उपयोगी)** आदि भी इनके सामाजिक जीवनोपयोगी वृक्ष है। **महुआ, साल, ईमली आदि वृक्ष के फल/बीज** आर्थिक जीवन के संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

बैगा जनजाति में स्वयं के आधिपत्य के वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. 42
विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा में वृक्षों पर स्वामित्व

क्र.	वृक्ष के प्रकार	परिवारों का आधिपत्य		कुल वृक्षों की संख्या	प्रति परिवार औसतन वृक्ष
		संख्या	प्रतिशत		
1	साल/सरई	2059	08.37	16116	07.83
2	आम	2049	08.33	4610	02.25
3	महुआ	8364	34.02	40809	04.88
4	कोसम	123	0.50	349	02.84
5	ईमली	267	01.09	347	01.30
6	सल्फी	06	0.03	31	05.17
7	अन्य	17708	72.02	37611	02.12
कुल सर्वेक्षित परिवार – 24589					

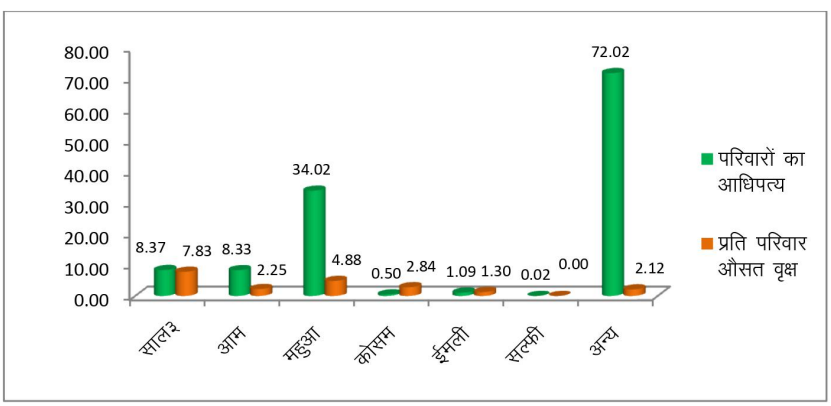

उपरोक्तानुसार स्वयं के आधिपत्य के वृक्षों वाले परिवारों में 08.37 प्रतिशत (N=16116) परिवारों में प्रति परिवार औसतन 07.83 प्रतिशत साल–सरई के वृक्षों पर आधिपत्य है, इसी प्रकार 08.33 प्रतिशत (N=2049) परिवारों में प्रति परिवार औसतन 02.25 आम वृक्ष, 34.02 प्रतिशत (N=8364) परिवारों में प्रति परिवार महुआ वृक्षों की संख्या औसतन 04.88 है। 0.50 प्रतिशत (N=123) परिवारों का कोसम वृक्ष पर आधिपत्य है, ईमली के वृक्षों पर आधिपत्य वाले परिवारों की संख्या 01.09 प्रतिशत (N=267) है, जो प्रति परिवार औसतन वृक्ष 1.30 है।

अन्य प्रकार के वृक्षों जैसे सामान्य उपयोग के गोंद, परसा, मुनगा, आंवला आदि पर आधिपत्य वाले परिवारों की संख्या 72.02 प्रतिशत (N=17708) है जो औसतन 2.12 है।

आय के स्रोत

सामान्यतः जनजातियों की अर्थव्यवस्था एवं आय के मिश्रित स्त्रोत होते है, किन्तु वन आधारित जीवन होने के कारण इनकी आय के प्रमुख स्त्रोतो में वनो की भागीदारी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से दोनो प्रकार की होती है। जनजातियां उन्नत कृषि बहुतायत से नही करते और न अधिक शिक्षित होने के कारण व्यवसाय या सेवा में अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व होता है। अतः सीमित कृषि, वनोपज मजदूरी, पशुपालन आदि का मिश्रण से आदिवासी अर्थव्यवस्था का संचालन होता है।

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में आय के स्त्रोत निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. 43
विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा में आय के विभिन्न स्रोत

क्र.	आय के स्त्रोत	संलग्न परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	स्थायी/स्थानां. कृषि	19614	79.76
2	सेवा	2877	11.70
3	शिकार/मत्स्य पालन	4592	18.67
4	उद्यानिकी	5958	24.23
5	पशुपालन	3914	15.92
6	वृक्ष से उत्पादन (स्वयं के)	8655	35.20
7	वनोपज संकलन	22226	90.39
8	गृहउद्योग (रस्सी, बांस)	2756	11.21
9	स्थायी सम्पत्ति का विक्रय	2037	08.28
10	उपहार एवं विनमिय	2319	09.43
11	मजदूरी	23557	95.80
12	व्यवसाय/वाणिज्य	3571	14.52
13	अन्य	15523	63.13
कुल बैगा परिवार – 24589			

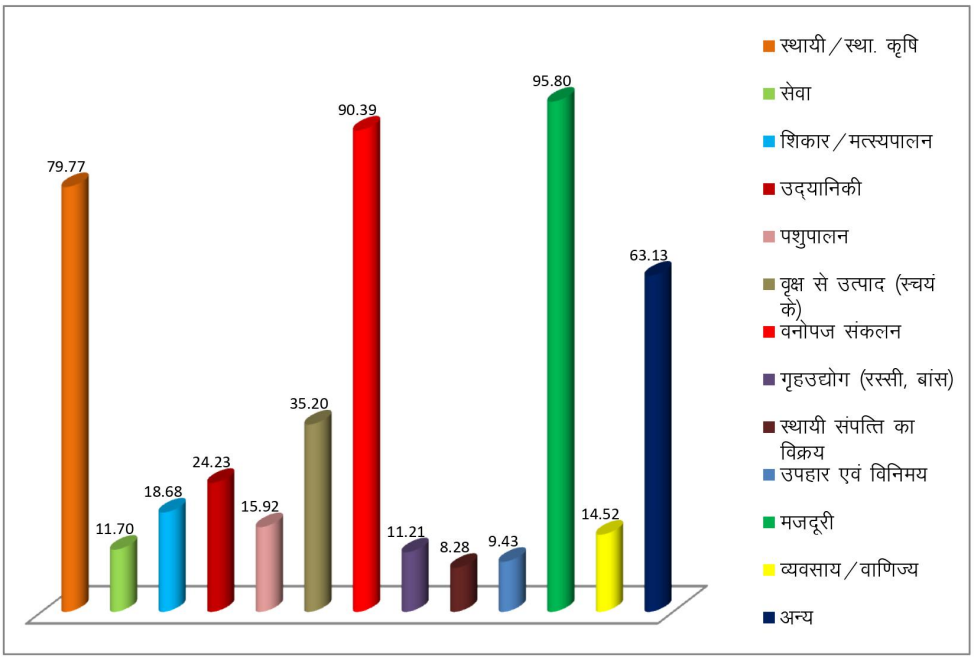

उपरोक्तानुसार बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के सर्वाधिक 90.39 प्रतिशत (N=22226) परिवारों की आय का मुख्य स्त्रोत वनोपज संकलन से आय अर्जित करना पाया गया। इसी प्रकार 79.76 प्रतिशत (N=19614) परिवारों की आय का मुख्य स्त्रोत कृषि, 35.20 प्रतिशत (N=8655) परिवारों की आय वृक्ष से उत्पादन (स्वयं), 24.23 प्रतिशत (N=5958) परिवारों को उद्यानिकी, 18.67 प्रतिशत (N=4592) परिवारों को शिकार/मत्स्यपालन, 15.92 प्रतिशत (N=3914) परिवारों को पशुपालन से, 14.52 प्रतिशत (N=3571) परिवारों को व्यवसाय/वाणिज्य, 11.21 प्रतिशत (N=2756) परिवारों को गृहउद्योग परम्परागत व्यवसाय से, 11.70 प्रतिशत (N=2877) परिवारों को सेवा, 09.43 प्रतिशत (N=2319) परिवारो को उपहार एवं विनिमय से, 08.28 प्रतिशत (N=2037) परिवारो को स्थायी सम्पत्ति का विक्रय से आय प्राप्त हुई है।

बैगा जनजाति के सर्वाधिक 95.80 प्रतिशत (N=23557) परिवारों को मजदूरी (शासकीय एवं कृषि मजदूरी) से आय प्राप्त हुई। वही 63.13 प्रतिशत (N=15523) परिवार उपरोक्त मदो के अलावा अन्य स्त्रोतों से भी आय प्राप्त की है।

कुल वार्षिक आय

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों को उपरोक्त दर्शित आय के स्त्रोतों से प्राप्त आय का विवरण एवं प्रति परिवार औसत वार्षिक आय का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. 44
विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा में विभिन्न मदों में कुल वार्षिक आय का विवरण

क्र.	आय के स्त्रोत	संलग्न परिवार संख्या	वार्षिक कुल आय	प्रति परिवार औसत वार्षिक आय
1	स्थायी / स्थानां. कृषि	19614	111908872	5705.56
2	सेवा	2877	38385053	13342.04
3	शिकार / मत्स्य पालन	4592	7804750	1699.64
4	उद्यानिकी	5958	6592030	1106.42
5	पशुपालन	3914	5223791	1334.64
6	वृक्ष से उत्पादन (स्वयं के)	8655	19325143	3517.54
7	वनोपज संकलन	22226	77291952	3477.55
8	गृहउद्योग (रस्सी, बांस)	2756	2226601	807.91
9	स्थायी सम्पत्ति का विक्रय	2037	244080	119.82
10	उपहार एवं विनमिय	2319	2271512	979.52
11	मजदूरी	23557	276818049	11750.99
12	व्यवसाय / वाणिज्य	3571	23447060	6565.96
13	अन्य	15523	61639396	3970.84
कुल बैगा परिवार – 24589			**63,31,78,289**	**25750.47**

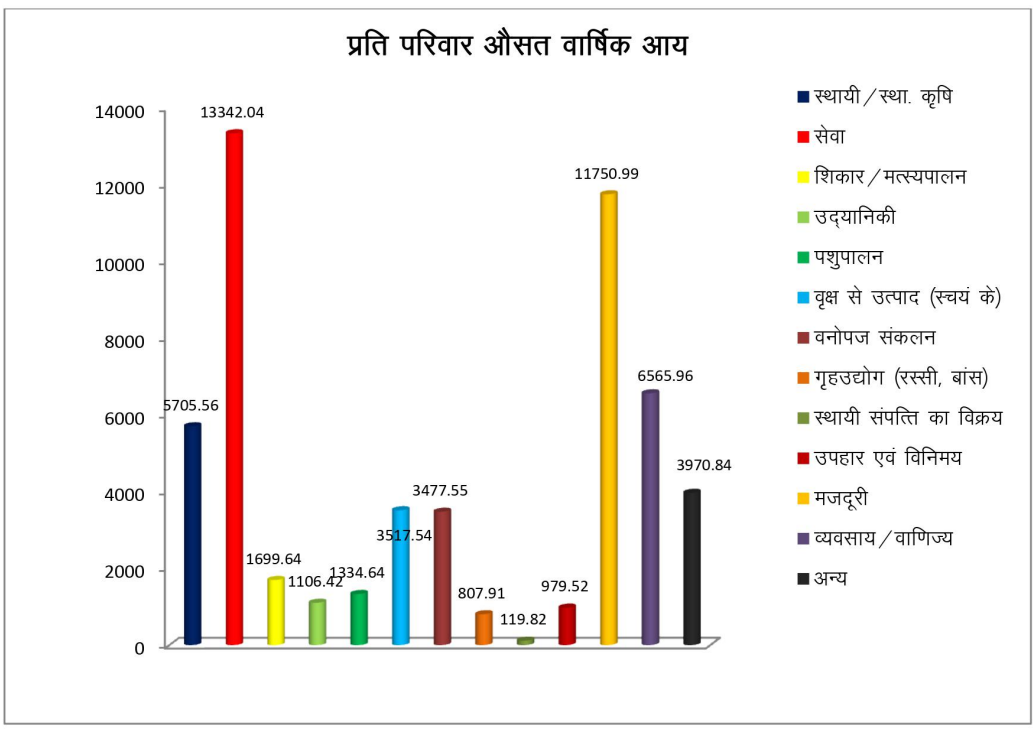

उपरोक्तानुसार बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के कुल 24589 परिवारों को विभिन्न मदों से कुल 63,31,78,289 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त हुई जो बैगा जनजाति में प्रति परिवार औसतन वार्षिक आय 25750.47 रुपये है।

वार्षिक आय में मदो की सहभागिता

सामान्यतः जनजातीय समाजों में आय प्राप्ति के मिश्रित स्त्रोत होते है जैसे कृषिकाल में कृषि उपज हेतु कार्य करना, वनोपज के रूप में महुआ, तेन्दूपत्ता, तेन्दू, चार आदि संकलन का कार्य करना, मजदूरी कार्य इत्यादि मिलने पर मजदूरी में जाना, शेष समय या वर्ष भर कच्चा सामग्री की उपलब्धता के आधार पर परम्परागत व्यवसाय का कार्य करना आदि है।

बैगा जनजाति में भी इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था पायी जाती है अतः बैगा जनजाति की व समस्त मदों से प्राप्त वार्षिक आय में विभिन्न मदों के योगदान अथवा सहभागिता का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. 45
विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा में कुल वार्षिक आय में मदों की सहभागिता

क्र.	आय के स्त्रोत	वार्षिक कुल आय	कुल वार्षिक आय में मदो की सहभागिता का प्रतिशत
1	स्थायी/स्थानां. कृषि	111908872	17.67
2	सेवा	38385053	06.06
3	शिकार/मत्स्य पालन	7804750	01.23
4	उद्यानिकी	6592030	01.04
5	पशुपालन	5223791	0.83
6	वृक्ष से उत्पादन (स्वयं के)	19325143	03.05
7	वनोपज संकलन	77291952	12.21
8	गृहउद्योग (रस्सी, बांस)	2226601	0.35
9	स्थायी सम्पत्ति का विक्रय	244080	0.04
10	उपहार एवं विनमिय	2271512	0.36
11	मजदूरी	276818049	43.72
12	व्यवसाय/वाणिज्य	23447060	03.70
13	अन्य	61639396	09.74
कुल बैगा परिवार – 24589		**63,31,78,289**	**100.00**

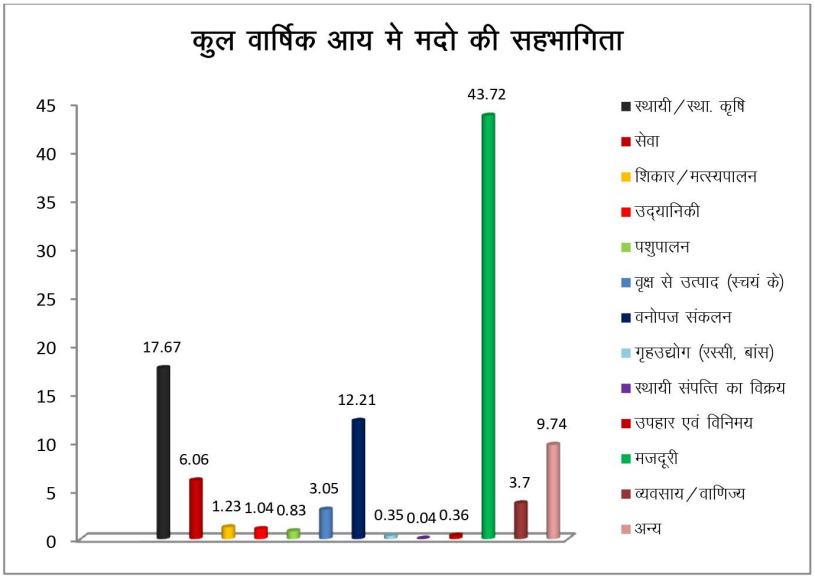

उपरोक्तानुसार बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के आय के परम्परागत स्त्रोतों जैसे स्थायी अथवा पेदा कृषि, शिकार–मत्स्यपालन, पशुपालन, स्वयं के वृक्ष से उत्पादन, वनोपज, संकलन, गृह उद्योग अन्तर्गत मोहलाईन छाल से रस्सी निर्माण एवं बांस–बर्तन निर्माण से कुल वार्षिक आय में इन पारंपरिक मदो की सहभागिता लगभग 36.78 प्रतिशत रही है।

बैगा जनजाति के कुल वार्षिक आय में एक बड़ा भाग मजदूरी (शासकीय अथवा निजि) का है। जो कुल वार्षिक आय में 43.72 प्रतिशत सहभागिता रखता है। व्यवसाय–वाणिज्य से प्राप्त आय की सहभागिता 03.70 प्रतिशत है। वही अन्य प्रकार के स्त्रोतों से प्राप्त आय की सहभागिता 09.74 प्रतिशत है।

वार्षिक आय का वितरण

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा द्वारा आय के समस्त स्त्रोतों से प्राप्त कुल वार्षिक आय का परिवारों में वितरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. 46
विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा में कुल वार्षिक आय का वितरण

क्र.	वार्षिक आय की श्रेणी (रुपये)	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	10000 से कम	2003	08.15
2.	10000–20000	8446	34.35
3.	20000–30000	8537	34.72
4.	30000 से अधिक	5321	21.64

उपरोक्तानुसार बैगा जनजाति के परिवारो में से सर्वाधिक 34.72 प्रतिशत परिवारों की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय 20000–30000 रूपये के मध्य पायी गई। इसी प्रकार 34.35 प्रतिशत परिवारों की कुल वार्षिक आय 10000–20000 रुपये, 21.64 प्रतिशत परिवारों की आय 30000 रूपये से अधिक पायी गई। जबकि लगभग 08.15 प्रतिशत परिवारों की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय 10000 रुपये से कम पायी गई।

वार्षिक व्यय मद

कोई भी समुदाय अपने परिवार के सदस्यो के भरण – पोषण एवं जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न मदों में व्यय करता है। सामान्यतः जनजातीय परिवारों में कुल वार्षिक व्यय का अधिकतम भाग भोजन संबंधी आवश्कताओं पर व्यय किया जाता है। बैगा जनजाति में व्यय मदों एवं उसमें संलग्न परिवारों का विवरण निम्नांकित है :–

तालिका क्र. 47
विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा जनजाति में कुल वार्षिक व्यय के मदों का विवरण

क्र.	विवरण	संलग्न परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	कृषि/भोजन/साग–भाजी, बाड़ी – फल–फूल	24589	100.00
2	पारम्परिक व्यवसाय	2770	11.27
3	पोषाक, गहने	24589	100.00
4	पूजा एवं पर्व	24040	97.70
5	मादक पेय पदार्थ	23717	96.05
6	अतिथि सत्कार	23070	93.82
7	रोगोपचार	21313	86.68
8	शिक्षा	6580	26.76
9	टीकाउ संपत्ति क्रय	5970	2428
10	लगान	1735	07.06
11	गृह निर्माण एवं मरम्मत	10254	41.70
12	ऋण की अदायगी	1328	05.40
13	न्यायलयीन व्यय	463	01.88
14	उपहार	8299	33.75
15	अन्य	15206	61.84
कुल सर्वेक्षित परिवार – 24589			

@dy/BaigaPVTG Final

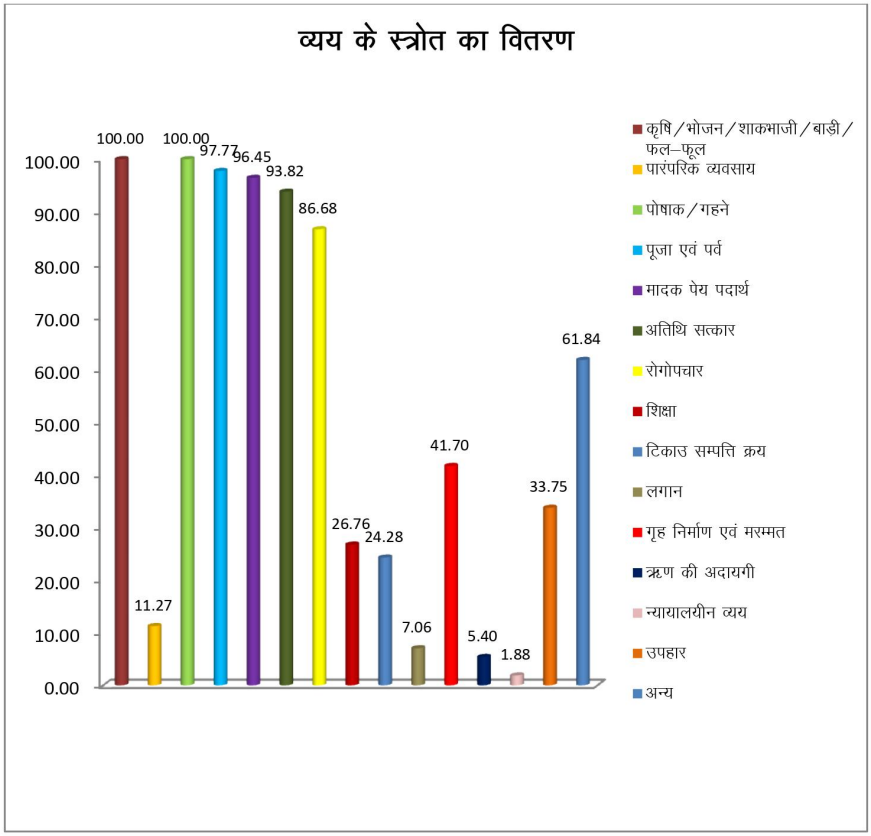

उपरोक्तानुसार भोजन एवं कपड़ा जैसे आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शत–प्रतिशत बैगा परिवार द्वारा कुछ न कुछ राशि व्यय की जाती है। जनजातीय धार्मिक आस्थाओं एवं मान्यताओं से परिपूर्ण होता है अतः 97.70 प्रतिशत परिवारों द्वारा इस मद में व्यय किया गया । महुआ आदि की बनी कच्ची शराब बैगा जनजाति में धार्मिक कर्मकाण्डक का आवश्यक अंग होने के साथ–साथ मनोरंजन में भी उपयोग होता है इस मद में 96.05 प्रतिशत (N=23617) परिवारों की व्यय संलग्नता रही।

अतिथि सत्कार सामाजिक जीवन का एक प्रमुख अंग है जिसमें बैगा जनजाति के 93.82 प्रतिशत परिवारों की व्यय सहभागिता रही, अतिथि सत्कार में व्यय राशि का एक बड़ा (लगभग पूर्ण) भाग भोजन एवं पेय संबंधी आवश्यकताओं में व्यय होता है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा किसी भी समुदाय के समग्र विकास की कुंजी है, स्वास्थ्यगत मदो में बैगा जनजाति के 86.68 प्रतिशत परिवारों द्वरा व्यय किया है, वही शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता होने पर केवल 26.76 प्रतिशत परिवारों द्वारा कुछ न कुछ राशि व्यय की है हालांकि शासन द्वारा विभिन्न शैक्षणिक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है।

कुल वार्षिक व्यय

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों में उपरोक्त मदों में निम्नानुसार राशि व्यय की गई :–

तालिका क्र. 48

बैगा जनजाति में कुल वार्षिक व्यय का विवरण

क्र.	विवरण	संलग्न परिवार	कुल वार्षिक व्यय	प्रति परिवार औसत व्यय
1	कृषि/भोजन/साग–भाजी, बाड़ी – फल–फूल	24589	230772730	9385.20
2	पारम्परिक व्यवसाय	2770	8478322	3060.76
3	पोषाक, गहने	24589	59957747	2438.40
4	पूजा एवं पर्व	24040	26027858	1082.69
5	मादक पेय पदार्थ	23717	61119642	2587.95
6	अतिथि सत्कार	23070	40961137	1775.52
7	रोगोपचार	21313	31874141	1495.53
8	शिक्षा	6580	8791575	1336.11
9	टीकाउ संपत्ति क्रय	5970	9797063	1641.05
10	लगान	1735	625354	360.44
11	गृह निर्माण एवं मरम्मत	10254	19229673	1875.33
12	ऋण की अदायगी	1328	2491082	1875.81
13	न्यायलयीन व्यय	463	539043	1380.22
14	उपहार	8299	8737558	1052.84
15	अन्य	15206	38046564	2502.08
कुल योग (परिवार 24589)			**54,74,49,489**	**22264.00**

उपरोक्तानुसार बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में शत–प्रतिशत परिवारों द्वारा कृषि–भोजन–शाकभाजी एवं पोषाक/गहने मद में क्रमशः परिवार औसतन 9385 रुपये व 2438 रुपये का व्यय किया गया।

पूजा–पर्व (धार्मिक समारोह) पर प्रति परिवार (N=24040) 1082.69 रुपये औसतन व्यय किया गया। मादक पेय पदार्थ पर 23717 परिवारो द्वारा प्रति परिवार औसतन 2587.95 रुपये व अतिथि सत्कार पर 23070 परिवारों द्वारा औसतन प्रति परिवार 1775.52 रुपये का व्यय किया गया। रोगोपचार या स्वास्थ्य संबंधी मदों में बैगा जनजाति के 21313 परिवारों द्वारा वर्ष भर में प्रति परिवार औसतन 1495.53 रुपये का व्यय किया गया।

शिक्षा विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लिये सामान्यतः निःशुल्क है, बैगा जनजाति के 6580 परिवारों द्वारा शिक्षा मद में प्रति परिवार औसतन 1336.11 रुपये का व्यय किया गया। बैगा जनजाति के 1328 परिवारों द्वारा प्रति परिवार औसतन 1875.81 रुपये का ऋण वापसी भुगतान किया बताया गया। शेष मदों में व्यय राशि उपरोक्तानुसार है।

कुल वार्षिक व्यय में मदों की सहभागिता

तालिका क्र. 49

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा में कुल वार्षिक व्यय के मदों का विवरण

क्र.	विवरण	कुल वार्षिक व्यय	कुल वार्षिक व्यय में मदो की सहभागिता का प्रतिशत
1	कृषि/भोजन/साग–भाजी, बाड़ी – फल–फूल	230772730	42.15
2	पारम्परिक व्यवसाय	8478322	01.56
3	पोषाक, गहने	59957747	10.95
4	पूजा एवं पर्व	26027858	04.75
5	मादक पेय पदार्थ	61119642	11.16
6	अतिथि सत्कार	40961137	07.48
7	रोगोपचार	31874141	05.82
8	शिक्षा	8791575	01.61
9	टीकाउ संपत्ति क्रय	9797063	01.79
10	लगान	625354	0.11
11	गृह निर्माण एवं मरम्मत	19229673	03.51
12	ऋण की अदायगी	2491082	0.46
13	न्यायलयीन व्यय	539043	0.10
14	उपहार	8737558	01.60
15	अन्य	38046564	06.95
योग		**54,74,49,489**	**100.00**

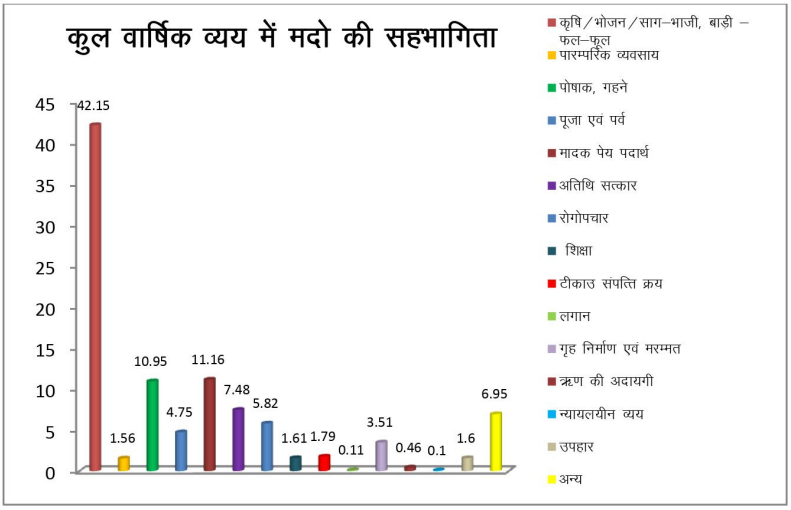

उपरोक्तानुसार बैगा जनजाति में समग्र रूप से भोजन अथवा खान–पान मद पर कुल वार्षिक व्यय का 60.79 प्रतिशत भाग (कृषि, भोजन, शाकभाजी, मादक पेय पदार्थ, अतिथि सत्कार), पोषाक एवं गहनो पर 1095 प्रतिशत, पूजा–पर्व पर 4.75 प्रतिशत भाग व्यय किया गया।

रोगोपचार मद पर कुल वार्षिक व्यय का 05.82 प्रतिशत एवं शिक्षा पर केवल 01.61 प्रतिशत भाग ही व्यय किया गया है।

कुल वार्षिक व्यय का वितरण

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा द्वारा अपनी आजीविका हेतु व्यय के विभिन्न स्त्रोतों में किये गये कुल वार्षिक व्यय का समस्त परिवारों में वितरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. 50

बैगा जनजाति में समस्त मदों में कुल वार्षिक व्यय का परिवारों में वितरण

क्र.	कुल वार्षिक व्यय का वितरण (रूपये में)	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	10000 से कम	3287	13.37
2	10000 से 20000	9965	40.53
3	20000 से 30000	7178	29.19
4	30000 से अधिक	3903	15.87

उपरोक्तानुसार विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों में से सर्वाधिक 40.53 प्रतिशत (N=9965) परिवारों द्वारा पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 10000– 20000 रुपये तक का वार्षिक व्यय किया, 29.19 प्रतिशत (N=7178) परिवारों द्वारा 20000–30000 रुपये का वार्षिक व्यय,

15.87 प्रतिशत (N=3903) परिवारों द्वारा 30000 से अधिक का विभिन्न मदो में कुल वार्षिक व्यय किया। 10000 रुपये से भी कम का कुल वार्षिक व्यय करने वाले परिवारों की संख्या 13.37 प्रतिशत (N=3287) है।

ऋण ग्रस्तता

सामान्यत जीवन में किसी परिवार को विषम अथवा विशेष परिस्थितियों में स्वयं की आय के अतिरिक्त अन्य राशि अथवा ऋण से प्राप्त राशि की आवश्कता होती है, चूंकि जनजातीय समाज विशेषकर विशेष पिछड़ी जनजातियों की अर्थव्यवस्था प्रायः संग्रह की अर्थव्यवस्था न होकर केवल निर्वाह की अर्थव्यवस्था में जीवन यापन कर रही है एवं उन्हे अपनी आजीविका चलाने एवं विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक अवसरों पर राशि की अथवा वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिसके लिये वे अपने सगे–संबंधियों, दुकानदारों, साहूकारों व बिचौलियों पर निर्भर रहते है। बैगा जनजाति में भी इस प्रकार की ऋणग्रस्तता पायी जाती है।

वनोपज एवं कृषि उपजों का विनिमय

जनजातीय समाजों में वनो का महत्वपूर्ण स्थान है। वन जहां उनका आश्रय स्थान है वही धार्मिक क्रिया–कलापों एवं वनोपजों के संकलन एवं विक्रय से उनकी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है वनोपजों के संकलन के साथ–साथ सीमित संसाधनों के साथ आदिम तकनीक की कृषि करते है।

वनोपजों यथा सरई बीज(साल बीज), हर्रा बेहड़ा, कुसूम बीज, तेंदूपत्ता, आंवला, गोंद, आदि का संकलन कर एवं कृषि उत्पादों की आवश्यकतानुसार सामान्य स्थानीय साप्ताहिक हाट–बाजार, निकट की किराना दुकान, कोचिये एवं वनोपज सहकारी समितियों को विक्रय किया जाता है। जिसमें इनकी पारिवारिक आवश्यकताएं एवं साप्ताहिक हाट–बाजार से दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के सामान क्रय करने में मदद मिलती है।

वनोपज एवं कृषि उपजों के विक्रय का प्रकार

बैगा जनजाति में कृषि उपजों के विक्रय का प्रकार निम्नानुसार हैः–

तालिका क्र. 51
बैगा जनजाति में कृषि विक्रय के प्रकार का वितरण

क्र.	विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	नगद	17842	72.56
2	विनिमय	340	01.38
3	दोनों	6407	26.06
योग		**24589**	**100.00**

उपरोक्तानुसार बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में कृषि एवं वनोपजों का विक्रय सामान्यतः दुकानों, बिचौलियो, हाटबाजार एवं विशिष्ट वनोपजों जैसे तेदूपत्ता सालबीज आदि का विक्रय शासकीय सहकारी समिति में किया जाता है। बैगा जनजाति के 72.56 प्रतिशत (N=17842) परिवारों द्वारा नगद रूप में एवं 26.06 प्रतिशत (N=6407) परिवारों द्वारा नगद एवं वस्तु विनिमय दोनों ही स्वरूपों में कृषि उपजों एवं वनोत्पादों का विक्रय किया है।

पलायन की स्थिति

सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु पलायन करने की तुलना में जनजातियों विशेषकर विशेष पिछड़ी जनजातियों में पलायन प्रायः कम पाया जाता है। जनजातियां सामान्यतः दूर–सघन वनो में ज्यादातर निवासरत होती है, प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध होने व जीवनआवश्यक सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के उपलब्ध संसाधनों से कर लेने व प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करने में ज्यादा सक्षम होते है। बैगा जनजाति में पलायन की स्थिति निम्नांकित है :–

तालिका क्र. 52
बैगा जनजाति में पलायन की स्थिति

क्र.	पलायन की स्थिति	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	हां	3082	12.53
2	नही	21507	87.47
योग		**24589**	**100.00**

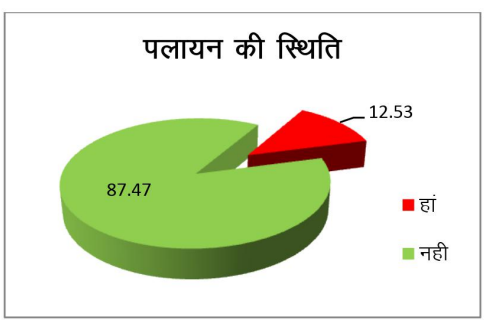

उपरोक्तानुसार बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में कार्य हेतु अन्यत्र पलायन करने वाले परिवारों की संख्या 3082 (12.53 प्रतिशत) पायी गई। जबकि 21507 (87.47 प्रतिशत) परिवार पलायन नहीं करते है।

परम्परागत कला–कौशल का ज्ञान

बैगा जनजाति प्रकृति के निकट होने के कारण विशेष परम्परागत कला–कौशल का ज्ञान रखते है जंगल से प्राप्त बांस से विभिन्न प्रकार की टोकरीयॉ, अनाज साफ करने हेतु सुपा, रस्सी, चटाई एवं झाडु आदि का निर्माण करते है। बैगा जनजाति में परम्परागत कला–कौशल के ज्ञान की स्थिति निम्नांकित है :–

तालिका क्र. 53

बैगा जनजाति में परम्परागत कला–कौशल का ज्ञान की स्थिति

क्र.	परम्परागत कला–कौशल का विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	बांस वर्तन निर्माण	14352	58.37
2	रस्सी निर्माण	7895	32.11
3	चटाई निर्माण	3521	14.32
4	झाडु निर्माण	7261	29.53
5	अन्य	955	03.88
कुल परिवार–24589			

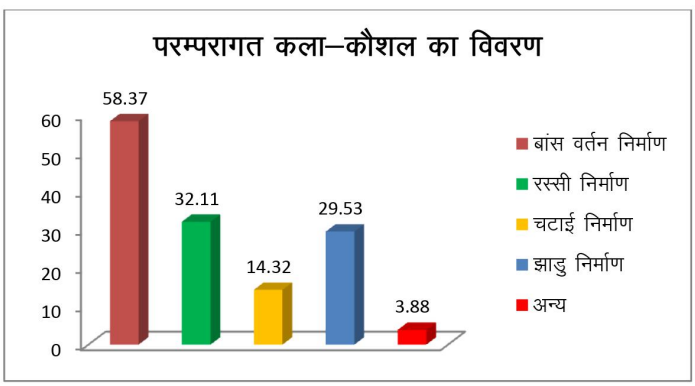

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि बैगा जनजाति में सर्वाधिक 58.37 प्रतिशत परिवारों को बांस वर्तन बनाने की कला–कौशल का परम्परागत ज्ञान है। इसी प्रकार 32.11 प्रतिशत परिवारों को रस्सी निर्माण, 14.32 प्रतिशत परिवारों को चटाई निर्माण, 29.53 प्रतिशत परिवारों को झाडु निर्माण एवं 03.88 प्रतिशत परिवारों को अन्य कार्य जैसे– दोना, पत्तल आदि परम्परागत कला–कौशल का ज्ञान है।

अध्याय 08

शासकीय योजनाओं से लाभान्वयन

भारत सरकार द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि में कृषि पूर्व अर्थव्यवस्था, स्थित या घटती हुई जनसंख्या, न्यून साक्षरता एवं पृथक्कीकरण जैसे मापदण्डों के आधार पर 75 जनजातीय समूह को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध करते हुए इनके सर्वांगीण विकास हेतु शत्प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान से अनेक योजनाएं संचालित की गई।

छत्तीसगढ़ राज्य की बैगा इन्हीं विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में से एक है जिनके सर्वांगीण विकास हेतु लगातार अनेक योजनाएं संचालित किया जा रहा है। योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु दो बैगा विकास अभिकरण का गठन हुआ जिसका मुख्यालय बिलासपुर एवं कबीरधाम जिला है साथ ही तीन विकास प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है जो जिला कोरिया, राजनांदगांव एवं मुंगेली में संचालित है।

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति की प्रस्तुत आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार शासकीय योजनाओं से लाभान्वयन की स्थिति का वर्णन निम्नांकित सारणियों में प्रदर्शित है।

आर्थिक विकास योजना से लाभान्वित परिवारों का वितरण

सर्वेक्षित 24589 परिवारों में से 0.30 प्रतिशत अर्थात 76 परिवार आर्थिक विकास के किसी न किसी योजना से लाभान्वित हुए हैं। योजनावार लाभान्वित परिवारों का वितरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. 54
आर्थिक विकास योजना से लाभान्वित परिवारों का वितरण

क्र.	विवरण	लाभान्वित परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	पशुधन विकास	50	65.79
2	मत्स्य पालन	1	1.32
3	मधुमक्खी पालन	15	19.74
4	रेशम एवं कोसा	1	1.32
5	लघु व्यवसाय	1	1.32
6	गृह उद्योग	3	3.95
7	कर्जमाफी	5	6.58
योग		**76**	**100.00**

आर्थिक विकास योजना से लाभान्वित कुल 76 परिवारों में से सर्वाधिक 65.79 प्रतिशत (संख्या 50) परिवार पशुधन विकास संबंधी योजना से लाभान्वित हुए हैं। तत्पश्चात क्रमशः मधुमक्खी पालन से 19.74 प्रतिशत, कर्जमाफी से 6.58 प्रतिशत, गृह उद्योग 3.95 प्रतिशत एवं मत्स्य पालन, रेशम एवं कोसा, लघु व्यवसाय से 1.32 प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए हैं।

उद्यानिकी

इस योजना में परिवारेां को फलदार पौधों का वितरण किया जाता है जिसे हितग्राही परिवार अपने उद्यान/बाडत्री में रोपित कर प्राप्त फल का स्वयं उपयोग करने के अलावा विक्रय कर आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। सर्वेक्षित परिवारों में इस योजना की स्थिति निम्नांकित हैं :–

तालिका क्र. 55
आर्थिक विकास योजना से लाभान्वित परिवारों का वितरण

क्र.	विवरण	लाभान्वित परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	लाभान्वित	28	0.11
2	गैर लाभान्वित	24561	99.89
योग		**24589**	**100.00**

उपरोक्तानुसार 0.11 प्रतिशत सर्वेक्षित परिवारों को इस योजना से लाभ हुआ है।

स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं से लाभान्वयन

सर्वेक्षित बैगा परिवारों में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं से लाभान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. 56
स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं से लाभान्वित परिवारों का वितरण

क्र.	विवरण	लाभान्वित परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	लाभान्वित	3	0.02
2	गैर लाभान्वित	24586	99.98
योग		**24589**	**100.00**

इस योजना के तहत मुख्य रूप विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए निःशुल्क दवाई का वितरण, गंभीर बीमारियों में इलाज की सुविधा एवं आर्थिक सहायता, स्मार्ट कार्ड द्वारा निःशुल्क इलाज की सुविधा, जंगली जानवरों से घायल लोगों की निःशुल्क इलाज एवं आर्थिक सहायता, मलेरिया से बचाव एवं रोकथाम हेतु मच्छरदानी का वितरण आदि अनेक योजनाएं संचालित है।

उपरोक्तानुसार विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं से लाभान्वित बैगा परिवारों की संख्या बहुत कम 0.02 प्रतिशत है।

शिक्षा संबंधी योजनाओं से लाभान्वयन

शिक्षा संबंधी मुख्य रूप से निम्नलिखित योजनाएं संचालित है :–

1. छात्रावास/आश्रम शाला

निवास स्थान से 8 किमी. से अधिक दूरी पर स्थित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रावास एवं आश्रमशालाओं की सुविधा दी जाती है। प्री. मैट्रिक छात्रवृत्ति भी दिया जाता है।

2. मध्यान्ह भोजन

माध्यमिक शाला स्तर तक के बच्चों को स्कूल में ही मध्यान्ह भोजन दिया जाता है।

3. गणवेश प्रदाय

इस योजना के तहत निःशुल्क गणवेश प्रदाय किया जाता है।

4. छात्रवृत्ति सुविधा

इस योजना के तहत राज्य छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रावीण्य छात्रवृत्ति दिया जाता है।

सर्वेक्षित परिवारों में शिक्षा संबंधी योजनाओं से लाभान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है–

तालिका क्र. 57
शैक्षणिक योजनाओं से लाभान्वित परिवारों का वितरण

क्र.	विवरण	लाभान्वित परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	लाभान्वित	5	0.02
2	गैर लाभान्वित	24584	99.98
योग		**24589**	**100.00**

उपरोक्तानुसार तालिका अनुसार मात्र 0.02 प्रतिशत (संख्या–5) परिवारों को शिक्षा संबंधी विभिन्न योजनाओं से लाभ हुआ है।

प्रशिक्षण संबंधी योजनाओं से लाभान्वयन

इस योजना के अंतर्गत लोगों को विभिन्न क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। सर्वेक्षित परिवारों में इस योजना की स्थिति निम्नांकित है –

तालिका क्र. 58
कौशल प्रशिक्षण संबंधी योजनाओं से लाभान्वित परिवारों का वितरण

क्र.	विवरण	लाभान्वित परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	लाभान्वित	10	0.04
2	गैर लाभान्वित	24579	99.96
योग		**24589**	**100.00**

उपरोक्तानुसार सर्वेक्षित परिवारों में मात्र 0.04 प्रतिशत (संख्या–10) परिवारों को इस योजना का लाभ हुआ है।

पुनर्वास संबंधी योजना से लाभान्वयन

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति की पुर्नवास संबंधी योजना से लाभान्वित हितग्राहियों का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. 59
पुर्नवास संबंधी योजनाओं से लाभान्वित परिवारों का वितरण

क्र.	विवरण	लाभान्वित परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	लाभान्वित	1185	4.85
2	गैर लाभान्वित	23404	95.18
योग		**24589**	**100.00**

उपरोक्तानुसार पुर्नवास संबंधी योजना से 4.82 प्रतिशत (संख्या 7185) परिवार लाभान्वित हुए हैं।

==0==

अध्याय 09

सारांश एवं निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ राज्य में 05 विशेष पिछड़ी जनजातियां अबूझमाडिया, बैगा, बिरहोर, कमार एवं पहाड़ी कोरवा निवासरत हैं। भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय के शतप्रतिशत अनुदान से उक्त जनजातियों का आधारभूत सर्वेक्षण किया गया है। प्रस्तुत प्रतिवेदन बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के उक्त आधारभूत सर्वेक्षण पर आधारित है। प्रतिवेदन के सारांश एवं निष्कर्ष निम्नानुसार है।

1. सामाजिक पृष्ठ भूमि

1.1 परिवारों की संख्या

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के 05 जिलो बिलासपुर, कबीरधाम, कोरिया, मुंगेली, राजनांदगांव में निवासरत हैं। बिलासपुर जिले के विकासखण्ड गौरेला, कोटा एवं तखतपुर में 3675 बैगा परिवार, कबीरधाम जिले के विकासखण्ड बोड़ला एवं पंडरिया में 11261 बैगा परिवार, कोरिया जिले के विकासखण्ड भरतपुर, खडगवां व मनेन्द्रगढ़ में 5947 बैगा परिवार, मुंगेली जिले के विकासखण्ड लोरमी में 2358 बैगा परिवार, एवं राजनांदगांव जिले के विकासखण्ड छुईखदान में 1348 बैगा परिवार निवासरत है।

इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य के कुल जिलों में 24589 बैगा परिवार निवासरत है।

1.2 जनसंख्या

छत्तीसगढ़ राज्य में बैगा जनजाति की कुल जनसंख्या 88317 है। जिसमें पुरूष 50. 28 प्रतिशत (N=44402) तथा महिला 49.72 प्रतिशत (N=43915) है। सबसे अधिक जनसंख्या 49. 80 प्रतिशत (N=43979) कबीरधाम जिला में तथा सबसे कम जनसंख्या 4.97 प्रतिशत (N=4385) राजनांदगांव जिले में है ।

विकासखण्ड स्तर पर कबीरधाम जिले के बोडला विकासखण्ड में सबसे अधिक जनसंख्या 30.39 प्रतिशत (N=26839) तथा सबसे कम जनसंख्या 0.28 प्रतिशत (N=244) बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखण्ड में है ।

राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 7,822,902 में से बैगा जनजाति की जनसंख्या 1.13 प्रतिशत है।

1.3 परिवार प्रकार

कुल परिवारों का सबसे अधिक 95.77 प्रतिशत (N=23549) केन्द्रीय परिवार, 4.04 प्रतिशत (N=993) संयुक्त परिवार एवं 0.19 प्रतिशत (N=47) विस्तृत परिवार है।

बैगा जनजाति परिवारों की कुल जनसंख्या 88,317 में से पुरूष जनसंख्या 44,402 (50.28 प्रतिशत) तथा महिला जनसंख्या 43,915 (49.72 प्रतिशत) हैं। जिनमें से पुरूषो की सबसे अधिक जनसंख्या 49.82 प्रतिशत (N=22121) कबीरधाम जिला में तथा सबसे कम जनसंख्या 9.52 प्रतिशत (N=4229) मुंगेली जिला में है एवं महिलाओं की सबसे अधिक जनसंख्या 49.77 प्रतिशत (N=21858) कबीरधाम जिला में एवं न्यूनतम जनसंख्या 4.96 प्रतिशत (N=2179) राजनांदगांव जिला में है।

1.4. परिवार आकृति

बैगा जनजाति के परिवारों के औसत आकृति 3.59 है। कबीरधाम जिले की औसत आकृति सबसे अधिक 3.90 तथा बिलासपुर जिले में सबसे कम 3.23 है।

1.5 उम्र समूह जनसंख्या

बैगा जनजाति समुदाय में 0–14 आयु वर्ग समूह में कुल जनसंख्या 35.14 प्रतिशत है।

1.6 विधवा, विधुर, परित्यक्ता की स्थिति

बैगा जनजाति के कुल 44,504 विवाहितों में से विधवा, विधुर, परित्यक्ता व परित्यक्त 9.70 प्रतिशत पाया गया। विवाहित स्त्री जनसंख्या में से विधवा व परित्यक्ता 6.88 प्रतिशत तथा कुल विवाहित पुरूष जनसंख्या में से विधुर व परित्यक्त 12.39 प्रतिशत है।

राज्य में बैगा आदिम समूह में 45 वर्ष से अधिक आयु समूह के व्यक्तियों की जनसंख्या 13.87 प्रतिशत है। जो यह संकेत करता है कि इस जनजाति में व्यक्ति कम दीर्घायु है।

1.7 लिंगानुपात की स्थिति

बैगा जनजाति का आधाभूत सर्वेक्षण वर्ष 2014–15 अनुसार लिंगानुपात 989 है।

जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का लिंगानुपात 991 हैं एवं छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 1020 है।

बैगा जनजाति का सबसे अधिक लिंगानुपात (1008) कोरिया जिला एवं सबसे कम लिंगानुपात (966) बिलासपुर जिले में पाया गया। विकासखण्डवार सबसे अधिक लिंगानुपात बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखण्ड में (1239) व सबसे कम लिंगानुपात कोरिया जिले के विकासखण्ड खड़गवा मे (920) पाया गया है ।

1.8 जनसंख्या वृद्धि दर की स्थिति

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में दशकीय जनसंख्या वृद्वि दर 23.86 प्रतिशत है। जो छत्तीसगढ़ राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वृद्वि दर 18.23 प्रतिशत की तुलना में अधिक है।

1.9 वैवाहिक स्थिति

बैगा जनजाति में युवकों का विवाह 15–18 आयु वर्ग में सर्वाधिक 54.45 प्रतिशत (N=12415) एवं युवतियों का विवाह 19–21 आयु वर्ग में सर्वाधिक 51.24 प्रतिशत (N=11121) हुआ है।

1.10 धार्मिक आस्था

छत्तीसगढ़ राज्य की बैगा जनजाति अपने आदि परंपरा का निर्वहन करते हुए स्वयं को हिन्दू धर्म के धर्मावलंबी मानते है।

1.11 सामाजिक नेतृत्व की स्थिति

बैगा जनजाति के कुल 24589 परिवारों में से 0.35 प्रतिशत धर्म निरपेक्ष मुखिया, 0.43 प्रतिशत धार्मिक मुख्या, 0.44 प्रतिशत गुनिया/सिरहा, 0.04 प्रतिशत ज्योतिषी, 0.13 प्रतिशत चौकीदार/कोटवार एवं 0.09 प्रतिशत अन्य सामाजिक पद का निर्वहन करते है।

बैगा जनजाति परिवार में सबसे अधिक सामाजिक नेतृत्व 0.44 प्रतिशत (107) गुनिया/सिरहा तथा सबसे कम 0.04 प्रतिशत (11) ज्योतिषी की भूमिका का निर्वहन करते है।

2. शैक्षणिक स्थिति

2.1 साक्षरता दर

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल जनसंख्या 73867 (6 वर्ष के उम्र से अधिक) जिसमें (पुरूष 37096 व महिला 36771) में से पुरूष साक्षरता दर 60.78 प्रतिशत (N=22546) एवं महिला साक्षरता दर 47.10 प्रतिशत (N=17320) है। कुल साक्षरता दर 53.97 प्रतिशत है।

2.2 शालागामी उम्र में साक्षरता

7–14 वर्ष की उम्र समूह में शालागामी उम्र के कुल 14876 बच्चों में से 89.68 प्रतिशत (N=14876) बच्चे साक्षर है। आंगनबाड़ी में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं की कुल संख्या 4390 में से बालकों की प्रतिशत 42.81 (N=2129) तथा बालिकाओं की प्रतिशत 45.01 (N=2261) है।

2.3 अध्ययनरत सदस्य

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के अध्ययनरत कुल सदस्य 18275 में से 54.40 प्रतिशत प्राथमिक, 20.53 प्रतिशत माध्यमिक, 7.08 प्रतिशत हाई स्कूल, 2.16 प्रतिशत हायर सेकेण्ड्री, 0.46 प्रतिशत स्नातक/स्नातकोत्तर एवं 15.38 प्रतिशत अन्य स्तर अथवा तकनीकी शिक्षा में अध्ययनरत पाया गया ।

बैगा जनजाति के अध्ययनरत बालक–बालिकाओं में से 14.04 प्रतिशत (N=1337) बालक तथा 16.84 प्रतिशत (N=1474) बालिकाएं अन्य स्तर अथवा तकनीकी शिक्षा में अध्ययनरत पाया गया जिसमें बालिकाओं की संख्या बालकों की तुलना में अधिक है।

2.4 शिक्षा प्राप्त कर अध्ययन छोड़ने की स्थिति

अध्ययन समाप्त कर चुके कुल 21591 सदस्यों में से 92.46 प्रतिशत पुरूष, 88.22 प्रतिशत महिला है। जिनमें से प्राथमिक स्तर पर 53.71 प्रतिशत, माध्यमिक स्तर पर, 24.10 प्रतिशत, हाई स्कूल स्तर पर 9.43 प्रतिशत, हायर सेकेण्ड्री स्तर पर 3.01 प्रतिशत स्नातक स्तर पर 0.53 प्रतिशत एवं अन्य तकनीकी स्तर पर 9.22 प्रतिशत सदस्य शिक्षा प्राप्त कर अध्ययन छोड़ चुके हैं।

2.5 रोग उपचार

कुल 24589 परिवारों में से रोग या अस्वस्थ्य होने की स्थिति में 55.21 प्रतिशत परिवार घरेलू उपचार, 72.85 प्रतिशत परिवार भगत/बैगा/गुनिया, 29.09 प्रतिशत परिवार वनऔषधि उपचारक वैद्य एवं 93.06 प्रतिशत परिवार योग्यता धारित चिकित्सक से इलाज कराते है। सबसे अधिक योग्यता धारित चिकित्सक द्वारा 93.06 प्रतिशत एवं भगत/बैगा/गुनिया द्वारा 72.85 प्रतिशत परिवार इलाज कराते है।

3.सामाजिक आर्थिक स्थिति

3.1 आवास

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के कुल 24,589 परिवारों में से 96.82 प्रतिशत परिवारों के पास स्वयं का आवास है। केवल 3.18 प्रतिशत परिवारों के पास स्वयं का आवास नही है।

बैगा परिवारों के 77.60 प्रतिशत मकानों के दीवार मिट्टी, 6.91 प्रतिशत मकानो के दीवार मिट्टी एवं बांस या मिट्टी एवं लकड़ी के, 12.29 प्रतिशत मकानो के दीवार अर्द्धपका व केवल 2.64 प्रतिशत मकानों के दीवार पक्के पाए गये।

कुल 24,589 बैगा परिवारों में से 29.75 प्रतिशत परिवारों के घर एक कक्ष, 64.28 प्रतिशत परिवारों के घर में 2–3 कक्ष एवं 3.86 प्रतिशत परिवारों के घरों में 4–5 कक्ष पाए गये ।

बैगा परिवारों के 48.31 प्रतिशत मकानों का क्षेत्र 300 वर्ग फीट से कम, 24.08 प्रतिशत मकान 300 से 500 वर्ग फीट एवं 27.61 प्रतिशत मकान 500 वर्ग फीट से अधिक बना पाया गया।

3.2 आवासीय योजना का लाभान्वयन

बैगा परिवारों के आवासो में 59.58 प्रतिशत (14185) परिवारों के स्वयं के आवास है तथा 40.42 प्रतिशत (N=9622) परिवार इंदिरा आवास योजना से लाभान्वित हुये है।

3.3 कार्यशील जनसंख्या

88,317 कुल जनसंख्या में से कार्यशील जनसंख्या 43.99 प्रतिशत पाये गये तथा शेष जनसंख्या 56.01 प्रतिशत अकार्यशील जनसंख्या है।

कुल 38,849 कार्यशील जनसंख्या में से प्राथमिक व्यवसाय के रूप में 61.48 प्रतिशत परिवार कृषि कार्य, 27.15 प्रतिशत परिवार मजदूरी कार्य एवं 4.21 प्रतिशत परिवार वनोपज संकलन को मानते है।

द्वितीयक व्यवसाय के रूप में 64.03 प्रतिशत परिवार मजदूरी को एवं 13.26 प्रतिशत परिवार वनोपज संग्रहण को, 10.11 प्रतिशत परिवार कृषि को एवं 0.88 प्रतिशत परिवार बासं–बर्तन एवं रस्सी निर्माण को मानते है।

3.4 रोजगार प्राप्त मानव दिवस की स्थिति

कुल 38849 कार्यशील जनसंख्या के परिवारों में से 2 या 2 माह से अधिक रोजगार प्राप्त व्यक्ति 50.53 प्रतिशत है व दो माह से कम का रोजगार प्राप्त व्यक्ति प्रतिशत 49.47 प्रतिशत है।

3.5 भूमिधारिता

24589 परिवारों में से स्वयं के आधिपत्य एवं अतिक्रमित भूमि धारक 55.75 प्रतिशत (N=13709) तथा भूमिहीन 44.25 प्रतिशत (10880) है ।

सिंचित भूमि धारकों के परिवारों का प्रतिशत 9.43 है असिंचित भूमि धारकों के परिवारों का प्रतिशत 90.57 है जिनकी कृषि मानसून पर आधारित है। असंचित भूमि धारकों के प्रति परिवार औसत भूमि धारित 2.30 एकड़ है तथा सिंचित भूमि धारको के प्रति परिवार औसत भूमि धारित 2.67 एकड़ है। बैगा जनजाति परिवारों के झूम (बेवर) कृषि पर निर्भरता 0.45 प्रतिशत है, 3. 03 प्रतिशत परिवार अधिया पर ली गई भूमि पर कृषि कार्य करते है तथा 13709 भूमि धारक परिवारों में से केवल 0.02 प्रतिशत परिवारों द्वारा अपनी भूमि बंधक पर रखना पाया गया ।

3.6 पशुधन

कुल 24589 परिवारों में से 61.91 प्रतिशत परिवारों के पास प्रति परिवार औसत 6.24 गाय, बैल, भैस, 13.82 प्रतिशत परिवारों के पास औसतन 02.90 प्रतिशत बकरा/बकरी–भेड़, 22.32 प्रतिशत परिवारों के पास औसतन 3.86 प्रतिशत परिवारों में मुर्गा–मुर्गी व 8.22 प्रतिशत परिवारों के पास प्रति परिवार औसतन 6.74 प्रतिशत सुअर पालन में संलग्न है।

3.7 वृक्षो पर स्वामित्व

कुल 24589 परिवारों में से 8.37 प्रतिशत परिवारों के अधिपत्य में साल/सरई वृक्ष पर प्रति परिवार औसतन अधिपत्य 7.83 वृक्ष, महुआ वृक्ष पर 34.02 प्रतिशत परिवारों के आधिपत्य में प्रति परिवार औसतन 4.88 वृक्ष एवं 72.02 प्रतिशत परिवारो पर अन्य वृक्षो पर प्रति परिवार औसतन 2.12 वृक्षों पर अधिपत्य है।

3.8 आय के स्त्रोंत

बैगा जनजाति में प्रति परिवार के समस्त स्त्रोंतो से कुल वार्षिक आय 25750.47 रूपये हैं। आय का सर्वाधिक 43.72 प्रतिशत मजदूरी, 17.67 प्रतिशत कृषि, 12.21 प्रतिशत भाग वनोपज संकलनएवं 6.06 प्रतिशत भाग सेवा नौकरी से प्राप्त होती है।

बैगा परिवारों के 8.15 प्रतिशत परिवारों की कुल वार्षिक आय 10000रूपये से कम, 69.07 प्रतिशत परिवारों का कुल वार्षिक आय 10000–30000 रूपये तथा 21.64 प्रतिशत परिवारों की कुल वार्षिक आय 30000 रूपये से अधिक पायी गई।

3.9 वार्षिक व्यय के मद

बैगा जनजाति के कुल **24589** परिवारों में से कृषि, भोजन, साग–सब्जी में सर्वाधिक व्यय किया जाता है। इस मद पर प्रति परिवार औसत व्यय 9385.20 रूपये है व कुल वार्षिक व्यय में इस मद पर **42.15** प्रतिशत व्यय करना पाया गया।

पारंपरिक व्यवसाय में **11.27** प्रतिशत परिवार संलग्न है। जिस पर प्रति परिवार औसतन 3060.76 रूपये वार्षिक व्यय पाये गये। कुल वार्षिक व्यय में इस मद में 1.56 प्रतिशत व्यय पाया गया।

पूजा एवं पर्व में 97.77 प्रतिशत परिवारों द्वारा व्यय किया गया है। इस मद में प्रति परिवार औसत व्यय 1082.69 रूपये है तथा कुल वार्षिक व्यय में इस मद पर 4.75 प्रतिशत व्यय किया गया है।

3.10 कुल वार्षिक व्यय का वितरण

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में समस्त मदों में कुल वार्षिक व्यय में 10000 से कम वार्षिक व्यय किये जाने वाले परिवारों का प्रतिशत 13.37 प्रतिशत पाया गया ।

10000–20000 रूपये तक के वार्षिक व्यय किये जाने वाले परिवारों का प्रतिशत 40.53 एवं 20000–30000 रूपये तक के वार्षिक व्यय किये जाने वाले परिवारों का प्रतिशत 29.19 पाया गया तथा 30000 रूपये से अधिक वार्षिक व्यय किये जाने वाले परिवारों का प्रतिशत 15.87 पाया गया ।

3.11 ऋण ग्रस्तता

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति की अर्थ व्यवस्था प्रायः संग्रह की अर्थ व्यवस्था न होकर केवल जीवन निर्वाह किया जाता है। इन्हें आजीविका चलाने एवं विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक अवसरों पर राशि या वस्तुओं की आवश्यकता होने पर सगे–संबंधियों दुकानदारों व बिचौलियों पर निर्भर रहते हैं । इस प्रकार बैगा जनजाति में ऋण ग्रस्तता पायी जाती है।

3.12 वनोपज एवं कृषि उत्पादों का विक्रय एवं विनमय

वनोपज संग्रहण एवं कृषि उत्पादन का विक्रय 72.56 प्रतिशत परिवारों द्वारा नगद विक्रय करना पाया गया तथा 1.38 प्रतिशत परिवारों द्वारा विनिमय करना पाया गया।

वनोपज संग्रहण व कृषि उत्पादो का विक्रय एवं विनिमय 26.06 प्रतिशत परिवारों द्वारा करना पाया गया ।

3.13 पलायन की स्थिति

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में 87.47 प्रतिशत परिवार पलायन नही करते है। केवल 12.53 प्रतिशत परिवारों द्वारा पलायन करना पाया गया।

3.14 परंपरागत कला कौशल

बांस बर्तन निर्माण में 58.37 प्रतिशत परिवार, रस्सी निर्माण में 32.11 प्रतिशत परिवार, चटाई निर्माण में, 14.32 प्रतिशत परिवार, झाड़ू निर्माण में 29.53 प्रतिशत परिवार व अन्य कला कौशल (दोना पत्तल) में 3.88 प्रतिशत परिवार संलग्न पाये गये।

4. आर्थिक विकास योजना

4.1 लाभान्वित परिवार

बैगा जनजाति के कुल 24,589 परिवारों में से आर्थिक विकास योजना से सबसे अधिक पशुधन विकास योजना से लाभान्वित परिवार 65.79 प्रतिशत तथा सबसे कम मत्स्य पालन,

रेशम एवं कोसा व लघु व्यवसाय से 1.32–1.32 प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुआ है। फलदार पौधों का वितरण योजना अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों की संख्या 0.11 प्रतिशत है।

4.2 शिक्षा, मध्यान्ह भोजन, छात्रवृत्ति, गणवेश योजना

बैगा जनजाति के परिवार के बच्चों को उनके निवास स्थान से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने वाले छात्र–छात्राओं को छात्रावास एवं आश्रम शालाओं की सुविधा दी जाती है। राज्य के स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों के साथ ही बैगा जनजाति के माध्यमिक स्तर तक अध्ययनरत बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है तथा निशुल्क गणवेश योजना, पाठ्य पुस्तक एवं छात्रवृत्ति के भी लाभ प्राप्त हो रहें है।

सुझाव –

1. बैगा जनजाति में प्रति परिवार सदस्यों की औसत संख्या 3.59 पायी गई। इनकी जनसंख्या को संरक्षित, संवर्धित करने के उद्देश्य से इनकी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ–साथ अच्छी स्वास्थ्य एवं समुचित पोषण आहार उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।

2. 3–14 एवं 15–18 वर्ष आयु समूह के अध्ययनरत बच्चों के संख्या के अनुपात में शिक्षकों/आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करके वर्षों से चली आ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए योजना बनाकर समुचित क्रियान्वयन किये जाने की आवश्यकता है।

3. बैगा जनजाति की कुल जनसंख्या का 13.87 प्रतिशत 45 वर्ष से अधिक आयु समूह के सदस्य प्रतिनिधित्व करते है। इस उम्र के जनसंख्या की कमी यह संकेत करता है कि, इस समुदाय के व्यक्तियों की जीवन प्रत्याशा दर कम है। इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

4. बैगा परिवारों के बच्चों को प्रारंभ से ही आंगनबाड़ी/स्कूलों में मिलने वाले पोषण आहार, गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन, सुनिश्चित करके शारीरिक शिक्षा की नियमितता पर ध्यान देने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

5. बैगा जनजातियों के निवास क्षेत्रों के भौगोलिक स्थिति मैदानी क्षेत्रों के भौगोलिक स्थिति से भिन्न होती है। ये लोग अधिकतर दुर्गम पहाड़ियों एवं सुदूर क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनके निवास बिखरे हुए होते हैं। अतः इनके ग्राम का स्कूल मध्य में हो जिससे बच्चे आसानी से स्कूल में अध्ययन के लिए नियमित रूप से आ सके।

6. बैगा जनजाति समूह के बच्चों के लिए विशेष आश्रम शाला जिला स्तर पर संचालित है, जिसे विकासखण्ड एवं बड़े ग्राम स्तर पर विस्तार करने की आवश्यकता है।

7. शिक्षा में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति निम्न है, अतः बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करने हेतु समय–समय पर जागरूकता, कैम्प, कार्यशाला, प्रवेश उत्सव आयोजित कर इन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए।

8. बैगा जनजाति के बच्चों को उनके परम्परागत हुनर व कला कौशल को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आधुनिकीकरण के साथ अन्य जीविकोपार्जन के कौशल सिखाने हेतु इस कला कौशल में दक्ष व्यक्ति या संस्थाएं स्वेच्छा से स्कूलों में इन बच्चों को सिखा सके, जैसे – कारपेन्टरी, लोहे का कार्य, बिजली का कार्य सीखकर जीवन निर्वाह के लिए तैयार हो सके, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।

9. हाईस्कूल एवं उच्च शिक्षा के लिए चयनित बैगा जनजाति के प्रतिभावान बच्चों को शहरों में मुफ्त हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराकर अच्छे स्कूलों में गुणवत्तापरक एवं व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

10. कुल बैगा परिवारों में 40.42 प्रतिशत परिवार आवास योजना से लाभान्वित है। शेष परिवारों हेतु उक्त योजना से उनके परम्परागत अथवा आवश्यकतानुरूप योजना का क्रियान्वयन किया जा सकता है।

11. बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को समय पर इलाज, दवाई एवं आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए व गंभीर बीमारियों की पहचान एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य हेतु कुछ ग्रामों के समूह के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु निर्धारित मापदंड को भी शिथिल किया जावे। साथ ही स्वास्थ्य अमलों की पदस्थापना पर्याप्त हो।

12. बैगा जनजाति 69.07 प्रतिशत परिवारों की कुल वार्षिक आय 10,000 से 30,000 है अतः इनके आर्थिक विकास की ओर कार्यक्रमों के संचालन की आवश्कता प्रतीत होती है।

13. बैगा जनजाति के सदस्यों में उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आदि विकास हेतु शासन स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं का ज्ञान/जागरूकता कम प्रतीत होती है, अतः इस हेतु उनके ही समुदाय के शिक्षित वर्ग द्वारा योजनाओं के प्रचार–प्रसार का प्रयास किया जा सकता है।

(शम्मी आबिदी)
संचालक
आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़